# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् सत्र का २६ वां दिवस [संख्या २२



शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

(राजस्व विद्युत, सहकारिता, पशुपालन, आयुर्वेद, नियुक्ति, उपनिवेशन, सामान्य प्रशासन, जन सम्पर्क, खनिज, कृषि, सैनिक कल्याण, उद्योग विभाग)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न श्री विद्यासागर

**ग्राम कुंआरिया में भूमि पर नाजायज कब्जा**

५००. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा सु): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नाथूवास मांजा नामक सरकारी बिला नाम जमीन जो ग्राम कुंआरिया, तहसील राजसमन्द जिला उदयपुर में स्थित है पर श्री नानपुरी सेणा ने करीब ६ वर्ष से नाजायज कब्जा कर रखा है तथा इसकी शिकायत तहसीलदार व



कलेक्टर को स्थानीय लोगों ने की है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

**उप मन्त्री राजस्व** (श्री गंगाराम चौधरी) कुंआरिया ग्राम में मांजा नाथूवास ग्राम शामिल नहीं है बल्कि अलग ग्राम स्थित है। मौजा नाथूवास में नानपुरी सहने का गत ६ वर्ष से सरकारी बिला नाम भूमि पर अनधिकृत कब्जा नहीं है।

**श्री विद्यासागर** : तो क्या जो शिकायत की गई, वह गलत है ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : कुछ भूमि पर कब्जा अवश्य है, उस सम्बन्ध में धारा ९१ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करना अभी विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरलाल मीणा।

**प्रतापगढ़ सब डिवीजन के ग्रामों में बिजली**

५०१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला चित्तौड़गढ़ के सब डिवीजन प्रतापगढ़ में कुल कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों में बिजली लग चुकी है ?

Page No 2



(श्री हरलाल मीणा)

(२) क्या यह सही है कि कुछ ग्रामों में बिजली लगाने की मन्जूरी हो चुकी है ? यदि हां तो यहां अभी तक बिजली क्यों नहीं लगाई गई है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि प्रतापगढ़ सब डिविजन की अरनोद पंचायत समिति के पूरे क्षेत्र में कहीं भी बिजली नहीं दी है ?

**उपमन्त्री विद्युत** (श्री खेतसिंह) :

(१) कुल ५३० ग्राम व कस्बे हैं जिनमें ८ ग्राम व कस्बों का विद्युतिकरण ३१-३-१९६९ तक किया जा चुका है।

(२) जी हां वर्ष १९६९-७० में ६ ग्रामों का विद्युतिकरण स्वीकृत किया जा चुका है। जिनमें से सभी ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(३) जी हां।

**श्री हरलाल मीणा** : अरनोद प्रतापगढ़ से कितना दूर है और वहां बिजली कब तक देंगे ?

**श्री खेतसिंह** : यह पंचायत समिति हैड क्वार्टर से ६-७ मील दूर है। इसलिए अभी सर्वे कराया जा रहा है।

**श्री हरलाल मीणा** : प्रतापगढ़ में यह दूसरे नंबर का गांव है। शर्म की बात है कि वह प्रतापगढ़ से ६-७ मील दूर है, सेकंड नंबर गांव है, पंचायत समिति हैड-क्वार्टर है, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल है, मंडी है, कई दिनों से मांग चल रही है लेकिन उस गांव में बिजली नहीं दे रहे हैं, पक्षपात किया जा रहा है।

**श्री खेतसिंह** : ४० ऐसे तहसील हैड-क्वार्टर हैं जहां पर अभी विद्युतिकरण नहीं हुआ है। आपने अरनोद के लिए कहा है। मैंने कहा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है, उसके बाद विचार किया जायगा।

**श्री हरलाल मीणा** : कब तक बिजली देने का इरादा है ?

**श्री खेतसिंह** : डेफीनेट डेट तो नहीं दे सकता लेकिन इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है इसका मतलब यह है कि भविष्य में इस पर विचार जरूर किया जायगा।

श्री **रामकुमार नंदवाना** (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ जिले में कितने गांवों में बिजली दी गई है ?

श्री **खेतसिंह** : वहां ९१ गांवों को इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है।

श्री **रामकुमार नंदवाना** : मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ३ जून १९६९ को राम कुमार नंदवाना को पत्र लिखा था।

श्री **अध्यक्ष** : कौन सा प्रश्न है।

श्री **रामकुमार नंदवाना** : उसी जिले से संबंधित है।

प्रश्न सं० ५०२

श्री **अध्यक्ष** : श्री किशनलाल वर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री **पृथ्वीसिंह**।

# Page No 3



**ग्राम नाणा की गोचर भूमि**

५०३. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम नाणा तहसील बाली में कितनी भूमि गोचर घोषित की हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गोचर भूमि में से कुछ भूमि वहां के स्वार्थी तत्वों ने अपने अधिपत्य में ले रखी है ? यदि हां, तो उन्हें हटाने हेतु आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**उपमन्त्री राजस्व** (श्री गंगाराम चौधरी)

(१) ग्राम नाणा तहसील बाली में खसरा नं. ९८८/१ व २३/१२४७ रकबा क्रमशः ३००० व ३७७८।) १ कुल ६७७८।) बीघा १ बिस्वा भूमि गोचर घोषित की गई है।

(२) जी हां, यह सही है कि उक्त ग्राम की गोचर भूमि में वहां के कुछ स्वार्थी तत्वों ने कुल १३४।) बीघा १ बिस्वा भूमि पर नाजायज काश्त की है जिसके विरुद्ध नियमानुसार बेदखल करने की कार्यवाही तहसील में विचाराधीन है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : किन स्वार्थी तत्वों ने कब्जा किया है, नाम बता सकते हैं ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : नामों की जानकारी नहीं है। २४ व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : हटाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : विचाराधीन है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : ४ साल से उनका कब्जा है, इतने लम्बे समय से उनका कब्जा है अभी तक उनको हटाने के लिए विचार कर रहे हैं या हटाने की कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : कार्यवाही चल रही है। धारा ९१ के तहत तहसील में विचाराधीन है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : ९१ की कार्यवाही डिस्पोजल की सीमा क्या है ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : २०२६ के जो मामले हैं, वह अभी तक तहसील में विचाराधीन हैं, नोटिसेज दिये गये हैं और उनका उत्तर आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**श्री पृथ्वीसिंह** : यह गोचर भूमि का सवाल है। बाली तहसील में १४ गांव ऐसे हैं जहां गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा किया है। क्या स्पेशल प्रायोरटी देकर ९१ के केसेज के डिस्पोजल की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : राज्य सरकार के आदेश हैं कि चरागाह भूमि के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर तहसीलदार कार्यवाही करे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : एक तरफ मन्त्री महोदय मानते हैं कि कब्जा नाजायज है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है। दोनों चीजें

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अगर देखा जाये साथ-साथ तो एक दूसरे के कान्ट्रे डिक्टरी हैं। मन्त्री महोदय को कहना चाहिए कम से कम कि तुरन्त कार्यवाही की जा रही है या की जायगी इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिए। यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि विचाराधीन है, साथ साथ यह कहना कि कब्जे नाजायज हैं ?

**राजस्व मन्त्री** (श्रीरामकिशोर व्यास) : कार्यवाही तो उनके खिलाफ की जा रही है लेकिन जब तक ९१ के केसेज पूरी तरह तय नहीं हो जायं तब तक विचाराधीन ही माने जाते हैं।

**श्री पृथ्वीसिंह** : आपके यहां से आदेश हो चुके हैं कि....

**श्री अध्यक्ष** : नेक्सट।

**श्री पृथ्वीसिंह** : एक क्लैरीफिकेशन।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती मदन कौर।

**बाड़मेर जिले में उत्कृष्ट नस्ल की गायें**

५०४. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या बाड़मेर जिले में दो उत्कृष्ट नस्ल की गायों (थारपरकर और कांकरेज) के क्षेत्र निर्धारित कर दिये गए हैं ? यदि हां तो तहसील अथवा पंचायत समिति के अनुसार ब्योरा दें।

(२) इन दोनों नस्लों के विकास हेतु गत दस वर्षों में कितने कितने सांड पंचायत समिति बालोतरा और बायतु क्षेत्र में वितरित किये गए ?

**उपमन्त्री पशुपालन** (श्री हरिसिंह) :

(१) जी हां। सूची संलग्न है।

(२) बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में २ थारपरकर व ८३ कांकरेज नस्ल के व बायतु क्षेत्र में २६ कांकरेज नस्ल के सांड वितरित किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री अध्यक्ष** : नाथूलाल करोल।

**तहसील सांगानेर की चरागाह भूमि पर कब्जा**

५०५ श्री **नाथूलाल करोल** (जमवा रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के चरागाह की जमीन पर किस किस आदमी का कितने दिनों से कब्जा चला आ रहा है ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यह भी उस तालिका में बताने की कृपा करें कि किस किस ग्राम के चरागाह किस किस पंचायत के तहत में हैं ? और उस चरागाह की जमीन का खसरा नम्बर क्या है ?

(२) जिन आदमियों का कब्जा चरागाह की जमीन पर चला आ रहा है उसके लिए राज्य सरकार क्या सोचती है ?

Page No 5



**उप मन्त्री राजस्व** (श्री गंगाराम चौधरी):

(१) तहसील सांगानेर में चरागाह की भूमि ३१६।।३ बीघा पर १२१ व्यक्तियों का नाजायज कब्जा चल रहा है जिनमें से १७ व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया है। सूची संलग्न है।

(२) अतिक्रमणियों के विरुद्ध प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**श्री नाथूलाल करौल**: कहीं पर दो बिस्वा किया जाता है, कहीं पर ५ बिस्वा किया जाता है। जो आपने सूची दी है उसमें इस तरह से लोगों का चरागाह पर कब्जा है ५-५ ३-३ २-२ और ८-८ बिस्वा कब्जा है तो छोटे छोटे टुकड़ों पर जो कब्जा कर रखा है, उसके लिए क्या विचार है?

**श्री गंगाराम चौधरी**: बेदखल करने का विचार है। धारा ९१ के तहत नियमानुसार कार्यवाही चल रही है।

श्री **नाथूलाल करौल**: अगर आपने ९१ के तहत कार्यवाही चला रखी है तो तीन वर्ष पूरे हो गये, आज तक नहीं हटाया? तीन-तीन दो-दो बिस्वा पर कब्जा है ८ बिस्वा ५ बिस्वा। इनको किस तरह रेग्यूलराइज करेंगे, कोई कानून बनाकर? और जो बड़े टुकड़ों पर कब्जा है जैसे १३ बिस्वा १५ बिस्वा, उनको रिलीज कराया?

**श्री नाथूलाल करौल**: मैं सही अर्ज कर रहा हूं।

**राजस्व मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) जो छोटे कब्जे के मामले हैं, तीन बिस्वा, पांच बिस्वा, जिनके पास में काश्त की. जमीन आगयी है उनके लिये विचार करेंगे।

**श्री पृथ्वीसिंह**: क्या इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो इस प्रकार की भूमि में नाजायज कब्जे कर लिये गये हैं उनकी फसलों को कुर्क कर लिया जाय और जला दिया जाय?

**श्री गंगाराम चौधरी**: सन् ६३ में यह आदेश जरूर जारी किये गये थे। कुछ अंश तक पालना की गई थी। इस वर्ष उस इलाके में अकाल पड़ा हुआ है तो यह आदेश क्रियान्वित नहीं किये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ५०६**

**श्री शंकरलाल**

**(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)**

**श्री महेन्द्र कुमार।**

**उप वैद्यों की पदोन्नति**

**५०७. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु.)** क्या **आयुर्वेद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में विगत ५ वर्षों में कितने उप वैद्यों को वैद्य के पदों पर पदोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री महेन्द्र कुमार)

(२) राज्य में विगत ५ वर्षों में कितने उप वैद्यों ने विभाग की अनुमति लेकर वैद्याचार्य, आयुर्वेद की रत्न की परीक्षायें कब कब पास की ? और इन्हें कब वैद्य के पदों पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) राज्य के वैद्यों के स्थान पर जिन उप वैद्यों को पदोन्नत किया गया है उनमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने विभाग को बिना अनुमति के वैद्याचार्य आयुर्वेद रत्न आदि की परीक्षायें पास की हैं ? ऐसी पदोन्नति के क्या कारण हैं ?

**उप मंत्री आयुर्वेद** (श्री समर्थ राज) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। कृपया अगली टर्न के लिये रख दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री रामनारायण चौधरी।**

**विदेश यात्रा पर भेजे गये अधिकारी**

**५०८. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)** : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत ५ वर्षों में कितने सरकारी अधिकारी विभिन्न देशों की यात्रा हेतु विदेश भेजे गये तथा उन प्रत्येक पर कितना कितना राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने खर्चा किया ?

(२) विदेशों से वापिस आकर उपरोक्त अधिकारियों ने किस किस विभाग में कार्य किया तथा जिस समय उनको विदेश के लिये उपयुक्त समझ कर चुना गया उस समय वे किन पदों पर कार्य कर रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(३) अगले वित्तीय वर्ष में किन किन अधिकारियों को विदेश भेजने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा वे किस किस देश की यात्रा करेंगे ?

(४) क्या यह सही है कि श्री भगवतसिंह मेहता, भूतपूर्व मुख्य सचिव भी अपने रिटायरमेंट के कुछ महिनों पहिले ही विदेश होकर आये थे ? यदि हां, तो कहां कहां और उन पर कितना व्यय किया गया ?

**उप मंत्री (प्रद्युम्नसिंह)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सिलसिले में सूचना एकत्रित नहीं हो पायी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण चौधरी का प्रश्न है।

स्थगित किया गया है।

**श्री हीराभाई।**

**ग्राम छीच में भूमि पर जबरन कब्जा**

५०९. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) । क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरा भाई)

(१) क्या जिला बांसवाड़ा के छीच ग्राम पंचायत क्षेत्र पटवारी हलका बोडीग्राम पाटन के काश्तकारान श्री चम्पा पिता गमा, खूमा पिता थावरा आदि किसानों के नाम भूमि अराजी नं. ५२ रकबा १६ बीघा ५३। १६)।।। बीघा कुल रकबा २२)।। ३ बीघा जमीन थी जिस पर सरपंच श्री मोहनलाल आचार्य पंचायत छीच ने जबरन कब्जा कर लिया है ? अगर हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त आदिवासी किसानों के पास और जमीन नहीं है और जमीन छीन लेने से वे किसान भूमिहीन हो गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि श्री सरपंच मोहनलाल छीच के खिलाफ उक्त जमीन के बारे में उन किसानों ने अपनी जमीन छुड़ाने के वास्ते कोई कार्यवाही भी की थी ? यदि हां, तो कब व कहां ?

(४) क्या सरकार उक्त सरपंच से वह जमीन छुड़ा कर वापिस उन किसानों को दिलाने की कार्यवाही कर रही है ? अगर हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच महोदय ने अपने पद का दुरुपयोग किया है ? अगर नहीं, तो किस प्रकार ?

**उप मन्त्री. राजस्व** (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) छींच ग्राम पंचायत क्षेत्र पटवारी हल्का वोड़ीग्राम के ग्राम पाटन के खसरा नम्बर ५२ रकबा १६) बीघा एवं खसरा नम्बर ५३ रकवा ६।।) बीघा कुल २२।।) बीघा क्रमशः सर्व श्री चंपा पिता गमा तथाखुमा पिता थावरा आदिवासी के नाम ही दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत का नाजायज कब्जा संवत् २०२२ से है।

(२) उक्त दोनों कृषक अपनी उक्त भूमि छोड़ कर फरार हो गये हैं अतःएव इनके पास इसके सिवाय कोई भूमि है या नहीं,कहा नहीं जा सकता।

(३) उक्त कृषकों द्वारा अपनी भूमि छुड़ाने हेतु कोई कार्यवाही होना पाया नहीं जाता है।

(४) उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित करने की कार्यवाही तहसील से जारी है।

(५) सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग का कोई मामला नहीं वनता है।

**श्री हीराभाई** : इस जमीन के बारे में तहसीलदार बागीडोरा के समक्ष कोई कार्यवाही हुई ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : मैंने अपने उत्तर में ही निवेदन किया है कि भूमि छोड़ दी है इसलिये अवेन्डन्मेन्ट की कार्यवाही तहसील के विचाराधीन है।

**श्री हीराभाई** : आदिवासियों की जमीन पर भी तहसीलदार ने बेदखल करने के लिये सरपंच के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : खातेदार की

(श्री गंगाराम चौधरी)

भूमि पर नाजायज कब्जा होता है तो तहसील कार्यवाही नहीं कर सकती है। खातेदार भाग गये हैं। टिनेन्सी एक्ट की धारा ९० के अन्तर्गत अबेन्डमेन्ट की कार्यवाही होना विचाराधीन है।

**श्री हीराभाई** : जो काश्तकार फरार हो जाता है तो नोटिफिकेशन इश्यू किया जाता है और नोटिफिकेशन के बाद ही उस जमीन को नीलाम किया जा सकता है।

**श्री गंगाराम चौधरी** : नीलाम नहीं की जाती है। प्रोक्लेमेशन अवश्य किया है। माकूल जवाब नहीं आता है तो सिवाय चक घोषित की जाती है।

**श्री हीराभाई** : अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि मोहनलाल आचार्य है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है और सरपंच है पहले तो उसने अपने कब्जे में ली। पंचायत समिति से उसने ऋण लिया......

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछिये।

**श्री हीराभाई** : सारी बात पूछूंगा। मेरी अर्ज सुन लीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : कांग्रेस का अध्यक्ष है क्या ?

**श्री हीराभाई** : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये तब पता लगेगा। क्या यह सही है कि पहले मोहनलाल आचार्य ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और पंचायत समिति से ऋण लेकर कुआ भी खुदवा लिया था ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : इन तथ्यों की तो जानकारी नहीं है। यही निवेदन कर सकता हूं कि अबेन्डमेन्ट की कार्यवाही पूरी होवेगी और सिवाय चक घोषित हो जावेगी तो नाजायज कब्जा हटाया जावेगा चाहे किसी का भी हो।

**श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट.सु.)** : एक तो आपने आदिवासियों को फरार बताया। यह बिल्कुल गलत है। जब सरपंच ने कब्जा कर लिया तो वे लोग क्या करेंगे ? दूसरी जगह जावेंगे। फरार नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछिये।

**श्री विट्ठल भाई** : जो कुआ खोदा और पंचायत समिति ने लिखा भी था, कार्यवाही क्या हुई आपको बताऊंगा। कुआ खोद डाला। पंचायत के नाम से मोहनलालजी सरपंच ने कार्यवाही की। पहले खुद ने कब्जा किया और खुद ने कुआ खुदवाया और तकावी ली। आप कहते हैं नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : दूसरा प्रश्न हो तो पूछिये।

**श्री हीराभाई** : तहसीलदार ने उनको तलब किया। ११.५.६७ को तहसीलदार के पास शिकायत हुई। इस बीच पटवारी को बुलाया। गिरदावर को बुलाया। गांव मौका पर तहसीलदार गया और उनके बयान लिये। जिनकी जमीन है और बयान लेने के बाद तहसीलदार ने यह लिखा कि उस जमीन पर पंचायत समिति ने तकाबी दी है, नहीं दी है तो उसको रोक दिया

(श्री हीरा भाई)

जाय। आदिवासियों की जमीन सवर्ण ने ले ली है।

**श्री अध्यक्ष** : क्या ऐसी कार्यवाही हुई है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** (राजस्व मंत्री): यह कहा गया है कि सरपंच का कब्जा नहीं है पंचायत का कब्जा है।

**श्री हीराभाई** : बाद में हुआ है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आपने कहा कि आदिवासी फरार हैं और आपने कहा कि नहीं हैं तो दरख्वास्त दिला दीजिये।

**श्री हीराभाई** : वे लोग मौजूद हैं और गलत कार्यवाही की गई। आप उनको सहयोग देंगे क्या ?

**श्री मानसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या उस जमीन में कुआ है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह मैं नहीं कह सकता।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि आदिवासियों की जमीन होने के कारण सरपंच महोदय कानूनी तौर से लेने में असमर्थ हुए तो पचायत के नाम से लेने का प्रयास किया और फरार बता कर कागजी कार्यवाही करने की चेष्टा की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह सही नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण** : तो सही क्या है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जो मैंने बताया ?

**श्री दौलतराम सारण** : आपने क्या बताया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने कहा नहीं।

**श्री दौलतराम सारण** : आपने बताया नहीं तो यह तथ्यों से गलत हुआ। आपने बताया कि फरार है। फरार नहीं है। ऋण लेकर कुआ खुद ने बनाया। आपने यह नहीं बताया कि मोहनलाल ने पहले कब्जे में ली या नहीं। जमीन का मालिक है या नहीं ? फिर आपने क्या बताया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने सब कुछ बताया। आपने सुना नहीं।

**श्री दौलतराम सारण** : आदिवासियों का खेत है, भूमि है। उन आदिवासियों को फरार बता कर के सरपंच ने स्वय ने कब्जा करने की चेष्टा की। फिर पंचायत का नाम लेकर उसका कब्जा लेने की चेष्टा की। अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है। इसकी जांच करके मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आदिवासियों को जमीन दिलाये।

**श्री मदनसिंह** : तहसीलदार की कार्यवाही में स्पष्ट है। माननीय सदस्य के पास कागजात हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने माननीय मन्त्री जी से निवेदन किया है कि जो प्रश्न यहां उठे हैं और उठ सकते हैं उन सब प्रश्नों पर जांच करा ली जाय।

श्री नत्थीसिंह।

**श्री हीराभाई** : एक क्वेश्चन है।

**श्री अध्यक्ष** : ग्रौर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह।

**राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण देने की नीति।**

५१०. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) की अनुपस्थिति में श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया :

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण देने की नीति को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण नीति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जो ऋण नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है उनके कारण उक्त बैंक से ऋण लेने में किसान को कम से कम ३ माह का समय लगता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक ऐसा ऋण दस दिन में देने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस ऋण नीति में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : १) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण नीति सदन की मेज पर रख दी गई है।

२) जी नहीं। कम समय में भी यदि निर्धारित कार्यवाही पूर्ण हो जाये तो ऋण स्वीकृत हो सकता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कितना समय लगता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ऋण नीति में और सरलीकरण करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**श्री रामकिशन** : यह आपने कैसे कहा कि कम समय में हो सकता है। आपके यहां पब्लिक इन्क्वायरी का प्रोवीजन है सारे प्रोसीजर को कम्पलीट करने में तीन महीने से अधिक का ही समय लगता है कम का तो सवाल ही नहीं ?

**श्री रामदेवसिंह** : बैंक को ऋण देने से पहले सब तरह से तसल्ली करनी पडती है कहीं उसकी जमीन रहन तो नहीं रखी हुई है या किसी को बेच तो नहीं दी है इस प्रकार की जांच करने के बाद ऋण दिया जाता है।

**श्री रामकिशन** : जितनी देर कमर्शियल

# Page No 11



(श्री रामकिशन)
बैंक से ऋण प्राप्त करने में लगती है वह ज्यादा से ज्यादा दस पन्द्रह दिन है उस गति से भूमि बंधक बैंक्स में काम नहीं हो रहा है । नेशनेलाइज्ड बैंक्स में दूसरी प्रकार की गड़बड़ी शुरू हो गई है क्या राज्य सरकार इस प्रकार के नियम बनायेंगी ताकि ऋण जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके ? तीन महीने का समय लगता है उसको कम किया जा सके ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) कामर्शियल बैंक्स ने भी दीर्घकालीन ऋण देना शुरु कर दिया है और दीर्घकालीन ऋण लेन्ड मोर्टगेज बैंक भी देता है । इसमें अवश्य समय लगता है हम भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि इसमें भी कम समय लगे । अब राज्य सरकार ने पासबुक्स देना तय कर लिया जिसमें सब इन्द्राजात होंगे उसके बाद ऋण मिलने में समय कम लगेगा ।

**श्री रामकिशन** : पास बुक्स के बारे में तो कभी का निर्णय हो चुका है लेकिन जिस प्रकार व्यवसायिक बैंक्स भूमि संबंधी सब जानकारी करने के बाद दस पन्द्रह दिन में लोन दे सकते है तो आपके भूमि बन्धक बैंक क्यों नहीं दे सकते ?

**श्री अमृतलाल यादव** : माननीय अध्यक्ष इसका प्रयत्न किया जायगा कम से कम समय लगे यह प्रश्न विचाराधीन है ।

**श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू)** क्या यह सही है कि भूमि बन्धक बैंक में प्रोसीजर इतना कठिन है कि उसमें समय लग जाता है इसलिये आप इसका सरली करण कब करेंगे ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: भूमि बन्धक बैंक किसानों को ऋण देता है उसके लिये किसानों से प्रशासनिक व्यय के रूप में कुछ खर्चा परसेन्टेज के हिसाब से वसूल किया जाता है । करीब सत्तर अस्सी रुपया क्या उसको उचित समझते हैं ?

**श्री रामदेव सिंह** : लिया जाता है ।

**श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर)** : जब व्यवसायिक बैंक इस प्रकार का खर्चा नहीं लेते है तो क्या आप भी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भूमि बन्धक बैंक भी न लें ?

**श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** आप यह सरलीकरण का निर्णय कब तक ले लेंगे ?

**श्री अमृतलाल यादव** : बहुत जल्दी करेंगे ?

**श्री रामकिशन** : आप बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आखिर कितने दिन में कर लेंगे यह निश्चित रूप से बतलाइये ?

**श्री अमृतलाल यादव** : समय नहीं बता सकता । जल्दी की जायगी ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकुमार नन्दवाना ।

**ग्राम पंचायत सेमलपुरा में वन विभाग से राजस्व में आई भूमि ।**

५११. श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तोडगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि वन विभाग से ग्राम पंचायत सेमलपुरा में करीब २७६

# Page No 12



(श्री रामकुमार नन्दवाना)

बीघा भूमि दिनांक १४. २. ७० को रिलीज होकर राजस्व में आ गई है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन लोगों को कब्जा लेना था उन्हें नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)

(१) जी हां, ३२६।। बीघा भूमि दिनांक १२. २. ७०. को वन विभाग से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित हुई है।

(२) जी हां, यह सही है कि आवटन सुदा भूमि पर आवंटियों को अभी तक कब्जे नहीं किये गये है इसका कारण यह है कि इस भूमि के साथ ग्राम सेमलपुरा की चरनोट भूमि भी आवंटन हुई थी ग्रामवासी इस वन विभाग से आई भूमि से चरनोट छुड़वाना चाहते हैं। ग्राम सेमलपुरा के जिन जिन व्यक्तियों को भूमि आवटित हुई है वे कब्जा लेने को तैयार नहीं हुए। इसके कारण दूसरे ग्रामों के व्यक्ति जिनको भूमि आवंटित हुई है वे भी ग्रामवासियों के झगड़े के कारण भूमि प्राप्त करने उपस्थित नहीं हुए।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

**मोटर रिपेयरिंग वर्कशाप, कोटा के लिये अवाप्त भूमि।**

५१२. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्त अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट कोटा ने फरवरी, ६१ में मोटर रिपेयर वर्कशाप, कोटा, के लिये झालावाड रोड पर हवाई अड्डों के सामने की भूमि को अवाप्त किया था ?

(२) अगर हां, तो स्थान, खसरा नं. व क्षेत्रफल अलग अलग बताने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि आवास भूमि के पुराने खसरा नं. बदल गए हैं अगर हां, तो पुराने नम्बरों के नये खसरा नं. बताने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवास भूमि में कुछ भूमि प्राईवेट पार्टियों की भी थी ? अगर हां, तो किन किन की ? कृपया उनका रकबा मय नए पुराने खसरा नं. बताने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि कुल अवाप्त भूमि पर सरकार ने कब्जा नहीं किया ? अगर हां, तो किस किस पर और क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि अवाप्त भूमि पर अनधिकृत तामीर हुई है ? अगर हां, तो किस किस के कब कब व क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्कशाप क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अनधिकृत पेट्रोल पम्प बनाये है अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

**उप मंत्री उपनिवेशन** (श्री बृजप्रकाश गोयल)

# Page No 13



(श्री वृज प्रकाश गोयल)

(१) जी हां। फरवरी ६१ में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा १७ (४) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा ४ के अधिन कोटा नगर में मोटर रिपेयर वर्कशाप बनाने के लिये सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता की दशा में उक्त भूमि पर आधिपत्य लेने के लिये निर्देश जारी किया गया था।

(२) सूची संलग्न है।

(३) जी हां। पुराने व नये खसरा नम्बरों की तालिका संलग्न की जा रही है।

(४) जी हां। यह सही है। आधिपत्य में आने वाली भूमि में से १० बीघा १५ बिस्वा भूमि श्री बुद्धिराम महाजन की थी। जिसके पुराने व वर्तमान खसरा नं० मय रकबा के प्रश्न के खण्ड नं. ३ के (संलग्न तालिका से अंकित है।

(५) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(६) (७) प्रश्न के खण्ड 'क' के उत्तर ३ में अंकित खसरा नं. ४८ (नया) की भूमि पर पेट्रोल पम्प का निर्माण हुआ है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार ये निर्माण सन् ६२ में होना प्रतीत होता है। जहां तक अनधिकृत तामीर का प्रश्न है, पेट्रोल पम्प जिला दण्डनायक द्वारा नियमानुसार १६ जनवरी, १९६२ को प्रदत्त नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अनुसार लगाया गया था।

**(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)**

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** आपने (खंड५) के उत्तर में जी नहीं कहा है। क्या यह सही नहीं है कि यह बुद्धिराम की भूमि है आज तक उस पर किसी प्रकार का कन्स्ट्रकशन नहीं हुआ और दस पन्द्रह साल से उस पर आज तक काश्त हो रहा है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं था इसलिये जवाब नहीं दे सकता।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** इस प्रश्न को अनेक बार सबस्टेन्टिव मोशन के रूप में उठाया गया है फिर आप कहते हैं जी नहीं। क्या यह सही है कि इस अवाप्त भूमि पर कब्जा नहीं किया और यह भूमि दस बारह वर्ष से बुद्धिराम महाजन के नाम थी वह अब तक सरकारी कब्जे में नहीं और उस पर किसी प्रकार की तामीर नहीं है आज तक उस पर काश्त की जा रही है क्या यह सही है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** अवाप्त हो चुकी है फिर भी आपने कहा उस पर अनधिकृत कब्जा किया गया है इस प्रकार का प्रश्न आने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** इस प्रश्न पर सबस्टेन्टिव मोशन भी आया था उस समय जमीन का नम्बर देते हुए बताया गया था अब भी सरकार ने उसको कब्जे में नहीं लिया और काश्त हो रही है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** यह अलग से प्रश्न है।

# Page No 14



**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि वह जमीन श्रीमती रक्षादेवी के नाम बेचान कर दी गई है।

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : यह अलग से प्रश्न है इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : एक बार नहीं अनेक बार यह प्रश्न आया है क्या यह भूमि सरकार ने अवाप्त कर ली है?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : अवाप्त कर ली है कब्जा कर लिया है गवर्नमेण्ट के पास जमीन है।

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** क्या इस भूमि पर सरकार ने पजेशन ले लिया है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : ले लिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** : कब लिया है कब्जा ? ३१ तारीख तक तो नहीं लिया गया यह मैं तहकीक कह सकता हूं ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : २३।६।६२ को तहसीलदार द्वारा सारी जमीन पर कब्जा ले लिया गया है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : इस प्रश्न पर मैं स्तीफा दे सकता हूं अगर यह बात सही है तो अभी तक उस पर काश्त हो रही है आप इसको गलत बता दें तो या तो मैं स्तीफा दूं या तो आप स्तीफा दें ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : आप स्पेसिफिकेशन एलीगेशन लगाते हैं तो जांच करा ली जायगी इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या राज्य सरकार के कोलोनाइजेशन विभाग ने अभी अभी इसको अवाप्त करने का नोटिस जारी किया है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : आप यह प्रश्न देते तो इसका जवाब दे सकता था।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : इस भूमि पर जो पेट्रोल पम्प बना है वह पेट्रोल पम्प रक्षा देवी के नाम से बनाया गया है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : यह मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : जिस रकबे पर यह निर्मित किया गया है वह प्राइवेट व्यक्ति का रकबा है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : सिवाय चर्क का एरिया है गवर्नमेन्ट की जमीन है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : यह जब गवर्नमेंट की जमीन है तो उसके ऊपर पैट्रोल पंप कैसे बन गया ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : यह मैंने खुद ने माना है कि उसके ऊपर अनधिकृत तामीर है। इसके मुतल्लिक कार्यवाही चल रही है और जिसका पैट्रोल पंप है उनकी दरख्वास्त है उसको रेगुलराईज करने के लिये....

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
सभा में यह प्रश्न उठ चुका है और उसके बाद भी इस सरकारी जमीन पर पैंट्रोल पंप बना है और जो १० बीघा १२ बिस्वा जमीन है उस पर भी खेती की जा रही है और यह खेती श्रीमती रक्षा देवी धमपत्नी श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा हो रही है और राजस्थान सरकार ने इस १० बीघा १२ बिस्वा जमीन पर आज तक कोई कब्जा नहीं लिया है और जिस पर पैंट्रोल पंप बना है वह भी सरकारी जमीन है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** आप फैक्ट्स् को डिस्ट्रोरिट कर रहे हैं। उस जगह पर पैंट्रोल पंप बन गया था, जब कब्जा लिया गया था तब ही बन चुका था। और इस पर निंदा प्रस्ताव भी आ गया है। फिर बार बार आप इस पाइंट को यहां रेज करते हैं।

**श्री भैरोंसिंह :** जिस भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की गई है क्या उस भूमि का कम्पेनशेशन दे दिया गया है।

**श्र बृजप्रकाश गोयल :** इसके मुत्तलिक क्या कार्यवाही हुई है यह नहीं कहा जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट

**श्री भैरोंसिंह :** लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के मातहत इस भूमि पर कब्जा करने के लिये नोटिफिकेशन इश्यू किया है।

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** नोटिफिकेशन इश्यू कर के कब्जा कर लिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह :** यह नोटिफिकेशन की बात है।

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** नोटिफिकेशन हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या सरकार ने इस भूमि पर ट्रेस पासर के रूप में किसी व्यक्ति को सेक्शन ६१ को नोटिस दिया।

**श्री बृजप्रकाश गोयल :** यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**प्रश्न सं० ५१३**

**श्री अध्यक्ष :** श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५१४

**श्री हरिलाल सिंह :**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

**श्री नथमल चोहला।**

**भूमि कर कब्जा**

५१५. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम मदनपुरा के बन में खसरा नं० ८६ दिनांक २०-५-६७ को स्वर्गीय श्री रामकुमार फौजी की बेवा रामरतनी के नाम दस बीघा भूमि का आवंटन हुआ था ?

(श्री नथमल चोहला)

(२) क्या यह सही है कि श्री रामकुमार वीरगति को प्राप्त हो गया था ?

(३) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री रामकुमार की बेवा रामरतनी को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप मंत्री** (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, यह यहां तक सही है कि सीकर जिले के अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ में श्रीमती रामरतनी बेवा स्वर्गीय श्री रामकुमार नायक को १० बीघा भूमि का आवटन हुआ था परन्तु यह आवंटन खसरा सं. ६८ ग्राम फदनपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में २०-५-६८ को हुआ था ।

(२) जी हां, यह सही है कि श्री रामकुमार नायक भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे ।

(३) जी हां, यह सही है कि श्रीमती रामरतनी को अब तक कब्जा नहीं दिया गया है । इसका कारण यह है कि जिलाधीश की आज्ञा के विरुद्ध राज्य सरकार में अपील चल रही है जिस पर स्थगन आदेश जारी हो चुके हैं । यह मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री नथमल चोहला** : यह कब तक सुलट जायेगा । तीन वर्ष हो गये हैं ।

**श्री खेतसिंह** : इसके लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री नथमल चोहला** : जिलाधीश का निर्णय हो गया था तो जल्दी ही कब्जा मिलना चाहिये था । इतने दिनों तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया ?

**श्री खेतसिंह** : जैसे ही यह निश्चित हुआ एक व्यक्ति ने जो इस पर काश्त कर रहा था निगरानी कर दी थी ।

**श्री नथमल चोहला** : कब्जा दिलाने के लिये जिलाधीश ने लिखा तो कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ?

**श्री खेतसिंह** : अगर तहसीलदार ने इसमें कोई देरी की है तो इस बात की जांच कर ली जायेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट

**श्री दौलतराम सारण** : कोई जैन होगा ?

**श्री रामनारायण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने प्रभाव को काम में लेकर इस सरकार को मूव करने की कृपा करें । चीन और भारत और पाक और भारत की लड़ाई के दौरान जो फौजी मारे गये हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारों को एलाट शुदा जमीन सरकार की लालफीताशाही के कारण प्राप्त नहीं हुई है, उन पर उनका कब्जा नहीं हुआ है । इसलिये आप सरकार का ध्यान इस ओर दिलायेंगे कि वे ऐसे तमाम कब्जों को पुन: रेगुलराईज करने का कदम उठाये ।

# Page No 17



श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है ऐसी बात नहीं है। कुछ ही केसेज हैं जिनमें कि टंटे हैं और आम तौर पर लोगों को राजस्थान नहर पर जमीन दी गई है उनके कोई टंटे नहीं है। जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं और जिनको राजस्थान नहर पर जमीन अलाट की गई है उनको वहां पर कब्जा दे दिया गया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : यह मसला पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री श्रवणलाल : यह फौजियों का मामला है। जहां भी जमीन एलाट हुई है, उनको जमीन तो एलाट हो गई है लेकिन जहां तक कब्जा दिलाने की बात है उनमें से अधिकतर को कब्जा नहीं दिलाया गया है और कब्जा दे दिया गया है तो वे किसी और कारण से वहां पर काश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामले राजस्थान में एक नहीं अनेकों हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे केसेज हैं जहां कि बेवाओं ने अपने जिले के अन्दर ही जमीन चाही है और जो जमीन चाही है उसमें उन्होंने या तो गोचर भूमि के लिये एप्लाई किया है और या वह ऐसी जमीन है जिस पर कोई काबिज है और उससे छुड़वाकर उनको कब्जा दिलाना है। ऐसे मामलों में टंटे हैं और जिन बेवाओं ने राजस्थान नहर पर जमीन चाही है उन सब को वहां पर जमीन दे दी गई और कब्जा दे दिया गया है। उन पर कोई टंटे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो अपील है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : राजस्थान नहर क्षेत्र में सैनिकों को जो जमीनें दी गई है वह बिल्कुल ही······

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसी जमीन है जिस पर कि कभी पानी नहीं लग सकेगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो अपील है और राज्य सरकार इनको जब चाहे तब डिस्पोज आॅफ कर सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : जल्दी ही इसका फैसला कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

**प्रश्न सं० ५१६**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

**समाचार पत्रों में चित्रों का प्रकाशन**

५१७. श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़) क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दौलतराम सारण)

(१) क्या जन सम्पर्क विभाग समाचार पत्रों को चित्र भी प्रकाशनार्थ भेजता है।

(२) १ अप्रेल १९६७ से ३१ जनवरी १९७० तक कितने चित्रों की कितनी प्रतियां किस किस दैनिक पत्र को प्रकाशनार्थ भेजी गई ? ये चित्र किस किस प्रकार के थे ?

(३) उपरोक्त समय में कितने समाचार पत्रों में कुल कितने चित्रों की प्रतियां प्रकाशित हुई।

(४) उपरोक्त समय में कितने अलबम किन किन व्यक्तियों को कब कब भेंट किये गये ?

(५) क्या उक्त विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह पता चल सके कि कुल भेजे गये चित्रों के कितने प्रतिशत चित्र प्रकाशित होते हैं ?

**राज्य मंत्री, जन सम्पर्क** (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां,

(२) १ अप्रेल १९६७ से ३१ जनवरी १९७० तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को ९६१ चित्रों की २११५४ प्रतियां प्रकाशनार्थ भेजी गई। इनमें से जिन जिन पत्रों को प्राय सभी चित्रों की प्रतियां भेजी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसी भी पत्र पत्रिकाएं बहुत हैं जिनको चित्रों का विषय ध्यान में रख कर समय समय पर चित्रों की प्रतियां भेजी जाती है। जो चित्र प्रकाशनार्थ भेजे गये उनमें राजस्थान के जन जीवन से संबधित प्रायः सभी विषयों के चित्र आ जाते हैं। राज्य में होने वाली प्रमुख घटनाओं, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों आदि सभी विषयों से सम्बन्धित चित्र प्रकाशन के लिये भेजे जाते हैं।

(३) कौन सा चित्र किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ इसकी पूरी जानकारी रखना सम्भव नहीं होता। पत्र पत्रिकाएं देश भर में फैली हुई हैं और कई समाचार पत्रों के एक दिन में कई संस्करण निकलते हैं इसलिये सब को प्राप्त करना और देखना सम्भव नहीं होता। फिर भी जिन समाचार पत्रों की प्रतियां जन सम्पर्क निदेशालय में प्राप्त हो जाती हैं उनमें राजस्थान के सम्बन्ध में क्या प्रकाशित होता है इसका ध्यान रखा जाता है। इनमें यह चित्र भी आ जाते हैं। परन्तु इस प्रकार का हिसाब पूरी तरह नहीं रखा जा सकता कि कौनसा चित्र किस किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

(४) इसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) इसका उत्तर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आ गया है और जैसा कहा गया है इस प्रकार की व्यवस्था रखना कठिन है कि जिससे यह मालूम हो सके कि कुल भेजे गये चित्रों में से कितने प्रकाशित हुए और कितने प्रकाशित नहीं हो सके।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री दौलतराम सारण** : आप यह चित्र पत्रों में भेजते हैं। "दैनिक, साप्ताहिक, मासिक सभी तरह के पत्रों को आप चित्र

# Page No 19



(श्री दौलतराम सारण)

भेज रहे हैं और भेजे जाते हैं और वे प्रकाशित होते हैं या नहीं है और होते हैं तो कितने प्रतिशत ? इसकी आपको जानकारी हो तो बता दीजिये और नहीं प्रकाशित होते हैं तो क्या कारण है ? और क्यों इस तरह अन्धाधुन्ध चित्र उनको भेजे जाते हैं ?

**श्री हीरालाल देवपुरा :** अन्धाधुन्ध नहीं भेजे जाते हैं । जो प्रकाशित होते हैं उनका प्रतिशत निकालना सम्भव नहीं हैं । कई पत्र ऐसे हैं जो देश के विभिन्न भागों में निकलते हैं और उनकी प्रतियां प्राप्त नहीं होती है । चित्र सब जगह भेजते हैं परन्तु सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**श्री दौलतराम सारण :** जो सूची दी है उनमें २५ पत्र ऐसे हैं जो करीब करीब जयपुर में ही है। उनके अन्दर क्या प्रकाशित होते है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा :** उनकी सूची है और उनका हिसाब भी है ।

**श्री दौलतराम सारण :** जब आपके पास जानकारी है तो उसके हिसाब से प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत प्रकाशित हुए हैं ?

**श्री हीरालाल देवपुरा :** जब तक कि सारी सूचना उपलब्ध न हो बताना कठिन है ।

**श्री दौलतराम सारण :** क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि वह कितना खर्च कर रही है और उसकी जानकारी प्राप्त की जाये कि उससे कोई लाभ हो रहा है ? उनका प्रकाशन भी हो रहा है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा :** जहां तक सम्भव पड़ता है जानकारी प्राप्त की जाती है और जो रेकार्ड रखा जाता हैं उसके हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** पेमेन्ट करने से पहले यह अनिवार्य है कि जो विज्ञापन दिया गया है उसकी प्रति अखबार के बिल के साथ आती है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** माननीय सदस्य इस प्रश्न को समझे नहीं हैं ।

**श्री हरजीराम बुरडक :** राजस्थान में कौन सा पत्र ऐसा है जो नहीं आता है । जिसमें आप विज्ञापन देते है उसकी हर पत्र की प्रति भेजना अनिवार्य होता है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** राजस्थान के पत्रों का हवाला नहीं दिया । राजस्थान के पत्र नहीं, बाहर के पत्रों की बात है ।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित प्रश्न । श्री पृथ्वीसिंह ।

**स्थगित प्रश्न**

(१३-३-७० व २५-३-७०)

**जवांई बान्ध जल विस्तार क्षेत्र की भूमि**

**११४. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी सेणजीवदा एवं बिलासपुर तहसील बाली

# Page No 20



(श्री पृथ्वीसिंह)
जिला पाली की भूमि जवाई जल विस्तार क्षेत्र में आई हुई है ?

(२) उक्त जल विस्तार क्षेत्र में वर्ष १६६९/७० में आदिवासियों अनुसूचित जातियों एवं सवर्ण जातियों को कितनी कितनी भूमि आवन्टित की गई ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम दूदणी में राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी सवर्ण जाति के सदस्यों को विशेष बैठक बुलाकर भूमि आवंटित की गई है ?

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** ५२७ और हैं अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** सभी देखूंगा। समय अवशेष हैं।

**उप विरा उपनिवेशन मंत्री :** (श्री वृज प्रकाश गोयल) (१) जी हां।

(२) जवांई बान्ध के जल विस्तार क्षेत्र में से इस वर्ष पानी की किल्लत के कारण उपलब्ध पेटाकाश्त की भूमि का वर्ष १६६९/७० के दौरान अनुसूचित जाति, जन जाति व सवर्णों को निम्न प्रकार भूमि का आवंटन किया गया :

| क. सं. | नाम ग्राम | अ. जाति | अनु. जन जाति | सवर्ण | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | दूदली | ४७ | १२ | ६० | १४६ |
| २. | बिसलपुर | १ | ४ | २० | २५ |
| ३. | खेला | २३ | १६ | ० | ४२ |

(३) जी हां। यह सही है कि उपरोक्त गांवों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अलावा सवर्ण जाति के व्यक्तियों को भी भूमि का आवंटन किया गया है। वह राज्य सरकार की घोषणा के विपरीत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जो घोषणा की है, वह सिर्फ राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम १६५७ के अन्तर्गत होने वाले १० साल भूमि आवंटन के सम्बन्ध में है। इन ग्रामों में जो भूमि का आवंटन तहसीलदार बाली द्वारा किया गया है, वह पेटाकाश्त भूमि आवंटन नियम के अन्तर्गत १ साल की अवधि का ही किया गया है जिस पर राज्य सरकार की उक्त घोषणा लागू नहीं होती है।

**श्री पृथ्वीसिंह :** क्या यह स्पष्ट घोषणा राज्य सरकार ने नहीं की थी सदन में कि जन जाति एवं अनुसूचित जातियों के अलावा किसी को भी भूमि आवंटन नहीं किया जावेगा ?

**श्री वृजप्रकाश गोयल :** ऐसी घोषणा नहीं की गई थी।

**श्री पृथ्वीसिंह :** क्या यह घोषणा के विपरीत नहीं है ?

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : घोषणा के अनुसार ही की गई है।

**श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या यह सही घोषणा सरकार ने नहीं की थी कि किसी को भी इनके सिवाय भूमि का अलाटमेंट नहीं किया जावेगा। अब विवाद पैदा कर रही है सरकार स्वयं। स्पष्ट घोषणा की गई थी चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो।

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : सरकार ने इस घोषणा के बारे में जो नोटिफिकेशन निकाला वह स्पष्ट है, उसी के अनुसार आवंटन किया गया है।

**श्री दौलतराम सारण** : और ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है तो सदन में की गई घोषणा के वह विरुद्ध है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : आपने घोषणा को पढ़ा है ?

**श्री दौलतराम सारण** : हम इस बारे में मुख्य मंत्री जी से खुलासा चाहेंगे कि जो घोषणा सदन में उस दिन की गई थी वह सही है या आज जो घोषणा की जा रही है वह सही है ?

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : घोषणा में इस प्रकार की चीज नहीं थी कि दस साल अलॉटमेन्ट पर ही यह लागू होगी।

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : यह पेटा काश्त की जमीन है और हर साल अलाट होती है। इसके बारे में कोई नीति सरकार की घोषित हुई हो तो बता दीजिये।

**श्री हीरालाल** : घोषणा स्पष्ट थी कि अनुसूचित जाति और जन जाति वालों को ही दी जावेगी और ऐसी जमीनों में भी प्राथमिकता इनको दी जावेगी।

**श्री बृजप्रकाश गोयल** : प्राथमिकता दूसरी चीज है।

**श्री मदनसिंह (दांता रामगढ)** : या तो यह बताइये कि हरिजनों की और उनके काश्त की खाते की जो जमीन है उसके लिये आदेश है या यह कहिये की कोई भी भूमि हो दूसरे नहीं ले सकते।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)** : स्पष्ट पूछा गया है कि क्या यह सही है कि सरकार की घोषणा के बावजूद सवर्ण जाति के सदस्यों को विशेष बैठक बुलाकर भूमि आवंटित की गई है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)**: मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जहां तक घोषणा का सम्बन्ध है, परमानेन्ट अलाटमेन्ट इरिगेशन के कमाण्ड में या जो बारानी जमीन है उसके बारे में किया गया है।

इस सम्बन्ध में एक बात जाननी होगी कि पेटा की काश्त जो है जो तालाबों के नीचे जमीन है उनके अन्दर परमानेन्ट राइट्स खातेदारी के आज के दिन भी ज्यादातर लोगों के नहीं हैं और इधर टूईधर जमीन जैसे जैसे खाली होती है जब कि तालाब में पानी नहीं रहता है तो उसमें भी पहले से कई जगह २५ वर्षों से हिस्से बने हुए हैं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
अमुक अमुक की जमीन खाली हो तो अलाट की जाती है पर कई जगह यह आम तौर से किया गया है कि जहां पास की ज्यादा जमीन मिलती है तो कम करके शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को भी अकोमोडेट किया जावे पर यह पेटा काश्त से सम्बन्धित है जो कभी कभी खाली होती है।

प्रश्न सं० २९३

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरलाल सिंह खर्रा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

सहकार मन्त्री।

श्री श्रवणलाल।

**स्थगित प्रश्न**

(२६-३-७०)

**बाजना कला कृषि सहकारी समिति लिमिटेड।**

**३०१ श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बाजना कला कृषि सरकारी समिति लि० के नाम से रजिस्टर हुई है?

(२) यदि हां, तो कब वह बनी और कब रजिस्ट्रेशन हुआ है? इसमें कितने सदस्य हैं? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सोसायटी के लिये कोई जमीन अलाट हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(४) उपरोक्त सोसायटी का क्या विधान था उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सच है कि उपरोक्त जमीन पर सामूहिक खेती न करके उसे कांट बांट कर खेती की जाती रही है?

(६) क्या यह भी सही है कि इस जमीन को सोसायटी का अध्यक्ष अपने नाम खातेदारी करा रहा है। यदि हां तो क्यों?

**उप मन्त्री सहकारिता :** (श्री रामदेव-सिंह) : (१) जी हां, यह सच है कि बाजना कला सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० के नाम से समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

(२) इस समिति का रजिस्ट्रेशन क्रमांक ६२८ यू। दिनांक १२।८।५९ को हुआ है। इसमें दस सदस्य हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर है।

(३) जी हां। इस समिति को राज्य सरकार से १८८ बीघा भूमि अलाट हुई थी।

(४) समिति के विधान की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(५) जी हां। उक्त समिति के सदस्य सामूहिक रूप से खेती न कर पृथक् पृथक् काश्त करते हैं। समिति में प्रशासक की नियुक्ति की गई थी तथा उसके प्रयत्नों के बाद भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से काश्त करते हैं अतः समिति को अवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है।

# Page No 23



(श्री रामदेवसिंह)

( ६ ) जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत व सूचना कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री श्रवणलाल** : प्रशासक की नियुक्ति कब की गई थी ?

**श्री हरजीराम बुरड़क** ( लाडनूं ): दस सदस्यों की समिति रजिस्टर्ड कैसे हुई ?

(कुछ समय तक उपमन्त्री द्वारा उत्तर नहीं दिये जाने पर )

**श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : ऐसे ही तो समय खराब होता है ।

**श्री अध्यक्ष** : इसको तो रोका नहीं जा सकता ।

(अल्प विराम के अनन्तर ) मैं मन्त्री को क्या कहूं ?

कुछ है क्या कहने को ?

**सहकारिता मन्त्री** ( श्री अमृतलाल यादव ) : अवसायन की कार्यवाही की जा रही है और रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है यह १२।८।५६ को हुई थी ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि समिति के १० सदस्य थे ?

**श्री अमृतलाल यादव** : जी ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि १० सदस्यों की समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ): यह खास तौर से किया जा रहा है ।

**श्री अमृतलाल यादव** : इसके पहले होता था ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : राज्य सरकार ने १८८ बीघा जमीन अलोट कर दी यह १० सदस्यों को जब हो नहीं सकती थी तो····

**श्री अमृतलाल यादव** : मौजूदा एक्ट के अन्दर १० से ऊपर का प्रावधान है लेकिन पुराने एक्ट में ···

**श्री हरजीराम बुरड़क** : ११ से कम का कभी प्रावधान था ही नहीं ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कभी था क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय ।

**श्री अमृतलाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूँ । मेरे पास जो इनफोरमेशन है उसमें समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें १० सदस्यों का है, इसकी जांच करनी पडेगी ।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : १० सदस्यों की समिति रजिस्टर्ड की है, ११ से कम का ऐक्ट में प्रावधान है ही नहीं और नये एक्ट में तो १५ सदस्यों की समिति का प्रोविजन है । इसमें आप क्या जांच करवायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : ऐक्ट में प्रोविजन है वह निकाल दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : ११ का है, १० का नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग जमीन अलाटमेंट के बारे में मारे मारे फिर रहे हैं, सरकार उनको अलाट नहीं करती है और फर्जी समितियों को सरकार जमीन का अलाटमेंट करती है। राज्य सरकार की १८८ बीघा जमीन को व्यक्तिगत रूप से फारमिंग किया है और ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है इससे ज्यादा शर्म की बात राज्य सरकार के लिये और क्या हो सकती है ?

**श्री अमृतलाल यादव** : ये समितियां बहुत पुरानी बनी हुई हैं। इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि पृथक पृथक काश्त नहीं कर सकते हैं। अब एक्ट की धारा ७४ के माफिक कार्यवाही कर रहे हैं और अवसायन के अन्तर्गत उस जमीन को केन्सिल करेंगे।

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय मेरा यह कहना है जैसा आपने बताया प्रशासक ६७ में नियुक्त किया गया तो ६७ से लेकर ७० तक उसने क्या कार्यवाही की ? उसने कभी इस बात की चेष्टा की कि समिति काश्त करने को तैयार नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण**: जिस अधिकारी ने इस सोसायटी को गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करने का राज्य सरकार कोई इरादा रखती है ?

**श्री अमृतलाल यादव** : जी हां।

**श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : प्रशासक मुकर्रर किया है या अवसायन मुकर्रर किया है। अभी तक तो इन दोनों का अन्तर ही अध्यक्ष महोदय इनको मालूम नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : उसका अनुवाद है।

**श्री रामसिंह कुड़ी** : अध्यक्ष महोदय ये दो अलग अलग चीजें हैं अवसायन नियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अवसायन तो लिक्विडेशन को कहते हैं। इस तरह का इन दोनों में अन्तर ही इनके समझ में नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशासक कहते हैं। अवसायन में तो वैधानिक तरीके से नहीं होता है तो उसको समाप्त करने का है।

**श्री श्रवणलाल** : जैसा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने १० सदस्यों की समिति का जिक्र किया और जो लिस्ट दी है जिनके नाम आप चाहें तो पढ़कर सुना दूं। मैं यह जानना चाहता हूं उन १० सदस्यों की खेती अलग अलग भी होनी थी तो दूसरी लिस्ट जो १८८ बीघा जमीन की दी है उसको काश्त कर रहे हैं २० व्यक्ति। अब यह नहीं मालूम वे कौन हैं जो व्यक्ति काश्त कर रहे हैं जो लिस्ट आपने दी है चाहे हरिजन हों या और कोई हों, क्या उनको जैसा आपकी सोसायटी

# Page No 25



(श्री श्रवण लाल)
के अनुसार काश्त करते हैं, क्या आप उचित समझते हैं जो व्यक्ति काश्त कर रहें हैं उनको जमीन अलाट करेंगे ?

**श्री अमृतलाल यादव** : सवाल ही नहीं है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** (बांरा) : क्या राज्य सरकार नियमों के विरुद्ध जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको केन्सिल करेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : कह दिया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद भी इस भूमि को ये लोग अलग अलग काश्त कर रहे हैं ?

**श्री अमृतलाल यादव** : जवाब था ही, कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री रावतराम।

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, फिर इसका क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : दूसरा प्रश्न ले लिया है।

**तहसील सुजानगढ़ की खातेदारी जमीन का लगान का पर्चा।**

५१८. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील सुजानगढ़ (चुरू) की पैमाइश कब हुई ?

(२) क्या यह सही है कि पैमाइश के बाद काश्तकारों को उनकी खातेदारी जमीनों का पर्चा लगान दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं दिया तो इसके क्या कारण हैं और इसमें अधिकारियों ने लापरवाही क्यों बरती ?

(३) यदि पर्चा लगान नहीं दिया गया है तो कब तक दे दिया जावेगा ?

(४) क्या सुजानगढ़ तहसील की मौजूदा बीघोड़ी की दर नयी पैमाइश की मुताबिक सरकार बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहती है ?

**उप मन्त्री**, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) तहसील सुजानगढ़ में बन्दोबस्त का कार्य सन् १६६४ में आरम्भ हुआ था जो अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(२) जी नहीं, पर्चा लगान अभी काश्तकारों को नहीं दिया गया है क्योंकि रेन्ट रेट रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसके स्वीकृत होने के पश्चात ही लगानी पर्चे जारी हो सकते हैं। अधिकारियों की लापरवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(३) राज्य सरकार से रेन्ट रेट रिपोर्ट की स्वीकृति जारी होने पर ही पर्चा लगान वितरण किये जा सकेंगे।

(४) यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री रावतराम** : प्रश्न ४ के उत्तर में आपने बताया विचाराधीन है। जब आपने माना नहीं है तो फिर विचारधीन कैसे है।

**श्री गंगाराम चौधरी** : रेन्ट रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। कितना लगान बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा वह रिपोर्ट आने पर ही राज्य सरकार स्वीकृत करेगी।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार विचार कर रही है अब से पहले जो पैमाइश हुई और जो रिपोर्ट है इस जमीन की जो क्वालिटि मानी गई है उस दृष्टि से लगान लगना उचित नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास (**राजस्व मंत्री**) : रिपोर्ट पहले रेवेन्यू बोर्ड को जाती है और फिर रेवेन्यू बोर्ड गवर्नमेंट को भेजती है, वह विचाराधीन है। अब जो सेटिलमेंट के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है उसको दृष्टि में रखकर इस पर कार्यवाही की जायगी।

**श्री रामचंद्र आर्य** (नोहर) : हर एक मामला विचाराधीन है, यह कब तक चलेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री मनोहर सिंह मेहता।

**खानों पर दिये गये प्लाट।**

५१९, श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि श्री गनपत लाल वर्मा, श्री भंवरलाल जोशी तथा श्री सुगन चन्द जैन को सोलह सोलह प्लाट पत्थर की खानों पर दिये हुये हैं ? यदि हां, तो ये किस स्थान पर दिये हुये है ?

(२) क्या ये तीनों व्यक्ति हाथ से काम करने वाले हैं ?

(३) इन तीनों को सोलह सोलह प्लाट एक साथ देने का क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार ठीक नहीं मानती है कि इस प्रकार बिचौलिये को पत्थर की खाने न देकर सीधे ही खानों पर काम करने वालों को ही प्लाट दें तो उनकी बड़ी सेवा हो सकती है ?

**उपमन्त्री खनिज** (श्री भीमसेन) : (१) जी हां, क्षेत्र खरला जिला भीलवाड़ा में ये खाने इनको स्वीकृत है।

(२) जी नहीं।

(३) यह राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार है। क्षेत्र तथा खनिज के विकास को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की कि भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र में जिसमें खरला भी एक है। २०० इन्टू २०० फीट का एक ब्लाक बनाया जाय। प्रत्येक ब्लाक में ५० इन्टू ५० फीट के १६ ब्लाक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को ५० इन्टू ५० फीट के १६ ब्लाक दिये जायें।

(४) इस बात का ध्यान रखा जाता है।

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : अध्यक्ष महोदय वैसे तो मांडलगढ़ क्षेत्र अंग्रेजी में जो तीन चार

Page No 27



(श्री मनोहरसिंह मेहता)
चीजें है उनका शिकार रहा है प्लाट, परमिशन, प्रिविलेज और पेन्शन तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा हाथ से काम करने वाले लोग दर दर फिरते हैं इनको तो एक भी प्लाट अलाट नहीं किया और जो हाथ से काम नहीं करते हैं उनको १६-१६ प्लाट अलाट करते हैं जो हाथ से काम न करके बिचौलिये बनकर उनसे मुनाफा लेते हैं।

**श्री अध्यक्ष**:: क्या कारण है ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री हरिदेव जोशी (**उद्योग एवं खनिज मंत्री**) : प्लाट्स का अलाटमेंट माइनर मिनरल्स रूल्स अथवा आर. सी. आर. के तहत होता है उसमें जिस प्रकार का कोई भी व्यक्ति एनटाइटल्ड होता है उसे दिया जाता है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : तो क्या आप बदल करने की सोचते हैं ताकि उनको मिल सके जो कि हाथ से करने वाले हैं ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से दिया जाता है।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या रूल्स के अन्दर यह प्रावधान है कि हाथ से काम करने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जी नहीं।

**श्री दौलतराम सारण** : क्या यह प्रावधान है कि ऐसे लोगों को छोटे प्लाट्स नहीं दिये जाते हैं जो कि हाथ से काम नहीं करते ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जी नहीं।

**श्री मनोहरसिंह** : तो क्या इस तरफ ध्यान नहीं देंगे क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ५२२ नम्बर का क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी तो बड़ी कृपा रहती है फौजियों के प्रति।

**श्री भैरोंसिंह**: ५२२ बड़ा इम्पोर्टेंट है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न का उत्तर मन्त्री महोदय दें।

**जिला गंगानगर में सैनिकों को भूमि का आवंटन**

५२२ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला गंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित हुई है ? यदि हां, तो कुल कितने सैनिकों को भूमि आवंटित हुई है ? प्रत्येक तहसील की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सैनिकों को जो भूमि आवंटित की गई है उसमें अधिकतर सैनिक अधिकारियों को की गई है ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों व कितने सैनिकों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि आवंटित प्राप्त व्यक्तियों में से ऐसे भी कई भूतपूर्व

# Page No 28



(श्री मूलचन्द डागा)
सैनिक अधिकारी हैं जो राजकीय सेवा में भी उच्च पदों पर हैं या रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व किस किस पद पर थे या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि यदि भूतपूर्व सैनिक या अधिकारी राजकीय सेवा में कार्य करता हो तो उसे ऐसे आवंटन से पूर्व जिलाधीश अथवा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इन नियमों की पालना ऐसे आवंटनों से पूर्व की गई है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसे अनियमित आवंटनों को निरस्त करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

**उप-मंत्री, सैनिक कल्याण** (श्री खेतसिंह):

(१) जी हां, जिला गंगानगर में भाखरा व गंग केनाल क्षेत्र में २५८ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित की गई है। जो जानकारी उपलब्ध हो सकी है उसके आधार पर इन व्यक्तियों की तहसील वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। जो भूमि आवंटित की गई है वह अधिकतर सैनिकों को ही की गई है। अपेक्षित सूचना प्रश्न के खण्ड (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत सूची में उपलब्ध है।

(३) ऐसी सूचना पूर्णतया राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं होने से सूची सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

(४) जी हां, यह सही है। परन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि इन नियमों की पालना ऐसे आवंटनों से पूर्व हर मामले में कर ली गई है। यदि कोई विशेष मामले राज्य सरकार के समक्ष आयेंगे, जहां इनका अनुपालन नहीं हुआ है, तो आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री मूलचन्द डागा** : जमीनों का वितरण हुआ है न तो नियमों की पालना की और न अधिकृत आपके पास सूची है। इससे मालूम होता है कि न तो सरकार ने नियमों की पालना की और जमीन किसको दे दी है उसका भी पता नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। नियमों की अवहेलना करना आपका काम हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : नहीं साहब। क्या यह सही है कि जिन फौजियों को भूमि का आवंटन किया गया है उनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिस समय वह फौज की सेवा में थे वे राजस्थान के नागरिक नहीं थे ?

**श्री खेतसिंह** : जिस समय वह फौज की सेवा में थे वे राजस्थान के निवासी नहीं थे ?

**श्री भैरोंसिंह** : हां।

**श्री खेतसिंह** : यह तो आप नाम बतायेंगे तो मैं दरयाफ्त करूंगा कि वह

(श्री खेतसिंह)
उस समय राजस्थान के निवासी थे या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फौजियों को भूमि आवंटन के संबन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्था है कि राजस्थान के नागरिकों को ही भूमि का आवंटन किया जायेगा और राजस्थान के सैनिकों से मतलब कि जिस समय फौज में थे उस समय राजस्थान के निवासी थे।

श्री खेतसिंह : हां, यह सही है कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उन्हीं को यह भूमि आवंटित की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि इन नियमों का पालन किया गया और इसके आधार पर ऐसे व्यक्तियों को भूमि आवंटित नहीं किया गया जो कि सेवाकाल के समय राजस्थान के नागरिक नहीं थे ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया प्रश्न (४) में जवाब दिया है कि जहां तक सम्भव है इस बात का प्रयत्न किया गया है। अब यह पता नहीं कि कौन कौन से ऐसे केसेज हैं जो उस समय में राजस्थान के निवासी नहीं थे और उनको भूमि आवंटित की गयी है। यदि आपके पास में स्पेसिफिक केसेज हों तो बता दें। उनकी जांच करा ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन श्री हूजा और पुलिस विभाग के डी० आई० जी० श्री दत्ता जिस समय मिलिट्री में थे उस समय राजस्थान के नागरिक नहीं थे और उनको भूमि का आवंटन किया गया है ?

श्री खेतसिंह : आपने दो केसेज बताये हैं इनकी जांच करा ली जायेगी कि दोनों आफिसर्स उस समय में राजस्थान के निवासी थे या नहीं जिस समय इनको भूमि का आवंटन किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन दोनों अधिकारियों के नाम सूची में दिये हुये हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां, हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो दोनों को आवंटन करने से पहले यह जांच की है कि उस समय वे राजस्थान के नागरिक थे या नहीं ?

श्री खेतसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि उस समय वह राजस्थान के निवासी थे या नहीं यह मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं। इसकी जाँच कर ली जायेगी कि जिस समय वह फौज से रिटायर हुए या वापिस हुए उस समय वह राजस्थान के नागरिक थे या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दोनों ही व्यक्ति इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट के द्वारा राजस्थान में आये हैं और उसके पहले पंजाब की सर्विस में थे ?

श्री खेतसिंह : इतना मैं नहीं जानता कि उनका पास्ट क्या है और न आपने इस प्रश्न में पूछा ही है कि वह पंजाब के नागरिक थे या यू० पी० के थे लेकिन यह निश्चित

# Page No 30



(श्री खेतसिंह)
है कि वह इमरजेन्सी से ही भरती हुए थे और आई० ए० एस० में आये थे।

**श्री मदनसिंह :** (दांता रामगढ़) क्या यह सही है कि इन दोनों आफिसर्स को जो आवंटन हुआ है भूमि का यह कानून जो बनाया है उसके पहले हुआ है ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** (राजस्व मंत्री) सम्भव है ऐसा ही जैसा आप फरमा रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को जमीन देने के पहले कलेक्टर महोदय ने इजाजत दे दी थी या नहीं दी थी ?

**श्री खेतसिंह :** यह बात सही है कि लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उन्हें परमिशन लेनी चाहिए। अब इन केसेज में ली या नहीं यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं पूछना चाहता हूं ली या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष :** जानकारी नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा :** मेरा प्रश्न है ली या नहीं।

**श्री खेतसिंह :** उन्होंने ली या नहीं यह इनफार्मेशन अभी नहीं है मेरे पास। यह जांच का प्रश्न है और जांच करा ली जायेगी।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी जानकारी करके शीघ्रातिशीघ्र जानकारी दें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामानन्द

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों को भी जमीन अलाटमेन्ट करने का सरकार का दृष्टिकोण यही है कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाये और आर्थिक रूप से पुनर्संस्थापन किया जावे ?

**श्री खेतसिंह :** हां यही दृष्टिकोण है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** फिर ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को री-एम्पलायमेन्ट मिल गया तो उनको भूमि आवंटन करने का क्या अभिप्राय है ?

**श्री खेतसिंह :** वह तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हो सकता है यह नियम बने उसके पूर्व ही भूमि अलाट कर दी गयी हो।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि जो सूची दी है और जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं उनको भूमि का आवंटन नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? वह आपने ऊपर लिख रखा है।

**श्री खेतसिंह :** उस समय में नियम नहीं थे तो वह भी नियमानुसार ही हैं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री दौलतराम सारण :** प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ......

**श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या यह सही है......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय रामचद्र आर्य

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे)

श्री आर्य। माननीय रामचन्द्र आर्य

(श्री रामचन्द्र आर्य व माननीय अध्यक्ष एक साथ बोलते रहे)

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)**

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**सिकन्दरा बहुधन्धी सहकारी समिति सिकराय**

५०२. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सिकन्दरा बहु-धन्धी सहकारी समिति पंचायत समिति, सिकराय, जिला जयपुर के विरुद्ध करीब ५०,००० रु. ग़बन करने, पैसे का दुरुपयोग करने एवं अनियमिततायें होने के संबंध में जांच के वास्ते शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो इसके संबंध में कब कब शिकायतें की गई और उसके बारे में क्या जांच की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या इस सहकारी समिति के खिलाफ जांच किये जाने के संबंध में सहकारिता मंत्री ने आदेश दिये थे ? और यदि आदेश देने पर जांज की गई है तो अब तक प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(३) इस सहकारी समिति के गबन किये जाने, अधिकारों तथा पैसों का दुरुपयोग किये जाने संबधी जांच किये जाने के संबंध में किस अधिकारी को कब नियुक्त किया गया ? जांच करने का समय जो बढ़ाया गया, क्या उसके संबंध में जांच अधिकारी से स्वीकृति ली ?

(४) इस सहकारी समिति की जांच करने में तथा उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने में इतना लम्बा समय क्यों लिया गया ? क्या यह बात सही है कि इस सहकारी समिति के विरुद्ध गबन सिद्ध हो चुका है? यदि गबन सिद्ध हो चुका है, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी इस सहकारी समिति के प्रबन्धक सदस्यों से मिले हुए हैं ? यदि नहीं, तो प्रबन्धकारिणी को क्यों नहीं भंग किया गया ?

(६) क्या यह सही नहीं है कि इस सहकारी समिति के प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से अनियमिततायें बढ़ी हैं जिनके संबध में जनता की तरफ से तथा स्थानीय विधायक की तरफ से शिकायत की गई है ?

# Page No 32



(श्री किशनलाल वर्मा)

(७) क्या यह सही है कि इस सहकार समिति के मंत्री श्री नारायण के लड़के राधा मोहन जोशी, कनिष्ठ लिपिक को सन् १९६४ में उप रजिस्ट्रार द्वारा इस समिति के धन के दुरुपयोग किये जाने के संबंध में निलम्बित किया गया था ? यदि नहीं, तो कौन सी वजह से उनको निलम्बित किया गया था और अब बाद में उनको किस प्रकार बहाल करके नौकरी पर पुन: लगाया गया ? कृपया उस समय की उप-रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(स्थगित किया गया)

**भूमि विकास बैंक पाली के पास ऋण के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र**

**५०६ श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली भूमि विकास बैंक में कई किसानों की ऋण पत्रिकाएं काफी लम्बे अर्से से अनिर्णीत व विचाराधीन पडी हैं और कई ऋण पत्रिकाओं पर स्वीकृति हो जाने के पश्चात् भी ऋण नहीं दिया जा रहा है ? गत एक वर्ष का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ऋण देने में इतनी देरी के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

**उत्तर**

(१) जी हाँ, ४१५ ऋण पत्रिकाएं विचाराधीन पड़ी हुई हैं व ६ पत्रिकाओं पर स्वीकृति के पश्चात् ऋण नहीं दिया गया क्योंकि प्रार्थी सदस्यों ने अभी तक रहन पत्र का निषपादन नहीं किया है।

गत वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(२) ऋण दिलाने में देरी बैंक के संचालक मंण्डल के चुनावों में विवाद हो जाने से हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**मन्त्रियों के दौरे के लिये गाडियां**

५१३ **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जब मन्त्रीगण दौरों पर जाते हैं तो क्या वे अम्बेसेडर, स्टेशन वेगन या जीप को इस्तेमाल करते हैं या बड़ी गाडियां जो ट्यूरिस्टों के लिये खरीदी गई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ?

(२) क्या बड़ी गाडियां दौरे पर ले जाने के लिए कोई रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां तो क्या ?

(३) क्या मन्त्रियों को बड़ी गाडियों में देहली व दीगर जगह दौरे पर जाते वक्त अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को भी ले जाने का हक है ?

**उत्तर :—**

(१) सभी प्रकार की गाडियों का प्रयोग किया जाता है।

# Page No 33



(मुख्य मन्त्री)

(२) जी हां। राजस्थान मन्त्री (यात्रा भत्ता व वाहन का उपयोग व संधारण) नियमावली, १९६३ के नियम ५ का उप नियम (४) में दौरों पर बड़ी कार ले जाने का प्रावधान विद्यमान है।

(३) इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**ग्राम सिमारला में बिजली**

५१४. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी. द्वारा ग्राम सिमारला जागीर स्वीकृत हुआ था परन्तु सिमारला (कोटडी) इलेक्ट्रीफाइड किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(२) सिमारला (कोटड़ी) कब स्वीकृत हुआ व किस आधार पर व आज तक उसमें बिजली की कितने कृषकों ने मांग की व कितने कनेक्शन कब कब हुए?

(३) क्या अब सरकार सिमारला जागीर को स्वीकृत करने का विचार रखती है या उसे पहले वाले आदेश से ही स्वीकृत समझती है?

**उत्तर**

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

१९६५-६६ के कृषि विकास योजना (क्रैश प्रोग्राम) के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। इस ग्राम से कुल ६ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से एक को कनेक्शन १८-४-६८ को दे दिया गया।

(३) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले सिमरला (कोटडी) ही स्वीकृत हुआ था तथा उस आदेश में सिमरला जागीर स्वीकृत नहीं माना जा सकता।

**ग्राम राड़ावास में बिजली**

५१६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के ग्राम राड़ावास के कृषकों को बिजली दिये जाने हेतु वर्ष १९६६-६७ में इस ग्राम की स्वीकृति हुई?

(२) यदि यह सच है तो अब तक कितने कृषकों को बिजली दी गई? यदि नहीं तो क्यों?

(३) क्या यह सच है कि माजीपुरा, शिवसिंहपुरा एवं जगतपुरा ग्रामों की स्वीकृति १९६९–७० में हुई और इन ग्रामों के कृषकों की सिक्योरिटी भी जमा कर ली गई? यदि यह सच है तो ग्राम अमरसर, राडावास, माजीपुरा, शिवसिंहपुरा एवं जगतपुरा आदि के कृषकों में से किस किस ने किस किस तिथि को दरख्वास्तें दी और किस किस तिथि को सिक्योरिटी जमा हुई और किस किस कृषक के कुए तक लाइन खींचकर कनेक्शन दिए गए हैं और दिये जा रहे हैं? तथा इन सभी गांवों के कृषकों की सिक्योरिटी जमा करने में क्या रीति-नीति अपनाई गई है? क्या यह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
सच है कि राडावास की ६६-६७ तथा अमरसर की ६७-६८ में स्वीकृति प्रदान की गई उनकी सिक्योरिटी जमा नहीं की गई और १९६९-७० में जिन गांवों की स्वीकृति हुई उनकी सिक्योरिटी की रकम जमा कर ली गई ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(४) क्या यह सही है कि शाहपुरा की विद्युत लाइन, ट्रान्सफार्मर से आधा मील की दूरी पर ही ग्राम जोजे कलां, बिशनगढ, जोजे खुर्द कांट, बिदारा, राजपुरा, चमनपुरा, अमरपुरा, रामपुरा हैं ? और विद्युत बोर्ड द्वारा इस क्राईटेरिया के गांवों की स्वीकृति दी जाकर कृषकों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं फिर उन गांवों की स्वीकृति कब तक की जा रही है ?

(५) क्या यह सही है कि विद्युत बोर्ड द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा के कृषकों को कनेक्शन दिए जाने हेतु गाजीपुरा के तन की खसरा भूमि में ट्रान्सफार्मर रखा गया है ? और शिवसिंहपुरा के जिस स्थान पर ट्रान्सफारमर लगाए जाने का प्रस्ताव था उसे किस कारण से बदला गया ? क्या यह सही है कि पूर्व निश्चित स्थान पर लगाने से कृषकों का मिनिमम चार्जेज कम लगता ?

**उत्तर**

(१) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत अन्य ग्रामों के साथ इस ग्राम की भी साधारण रूप से स्वीकृति हुई थी।

(२) अब तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि इस ग्राम के कृषकों ने आवेदन पत्र १९६९-७० में ही देना आरम्भ किया है जिन पर प्राथमिकता की दृष्टि से इसी वर्ष विचार किया जावेगा।

(३) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में प्रायरिटी ग्रामवार रखी जाती है और इसी के अनुसार डिमान्ड नोटिस दिये जाते हैं। राडावास और अमरसर की स्वीकृति १९६६-६७ एवं १९६८-६९ में क्रमशः हो गई थी लेकिन इन ग्रामों से आवेदन पत्र वर्ष १९६९-७० में ही आये जिन पर कार्यवाही की जा रही है। गाजीपुरा, शिवसिंहपुरा एवं जगतपुरा जो वर्ष १९६९-७० में ही प्राप्त हुए जिन पर डिमान्ड नोटिस दे दिये गये हैं। क्योंकि प्रायरिटी ग्रामवार रखी जाती है अतः कार्य उसी नियम से किया जा रहा है। अभी तक कनेक्शन इन गावों में कहीं भी नहीं दिये गये हैं। सभी ग्रामों की सिक्योरिटी यथा सम्भव अन्य नियमान्तर्गत औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद जमा की गई है। कृषकों की सूची मय तारीखों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ग्राम बिशनपुरा उर्फ जोजे खुर्द, रामपुरा, चिमनपुरा, अमरपुरा ११ के० वी० लाईन से करीब आधे मील दूर है। इसकी स्कीम रिपोर्ट केवल ५-२-७० को ही प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है। जबकि अन्य ग्रामों की पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुई हैं जिन पर प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

(५) जी हां। यह सही है कि शिवसिंहपुरा की रेवेन्यू बाउन्डरी से १०० गज की

# Page No 35



(विद्युत मन्त्री)
दूरी पर माजीपुरा की सरहद में लगाया गया। इस ट्रांसफारमर को वहां से हटाया जावेगा और सही स्थान पर लगाया जावेगा यह माजीपुरा की सरहद में क्यों लगाया गया इस बात की जांच की जावेगी।

**स्थगित प्रश्न**

(26-3-70)

**ग्राम सहकारी समिति गुढ़ा द्वारा दिया गया ऋण**

२९३. **श्री हरलाल सिंह खर्रा**— (श्री माधोपुर) क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढ़ा पंचायत समिति श्री माधोपुर (सीकर) को बीज गोदाम के लिए पंचायत समिति द्वारा कितना लोन व सहायता स्वीकृत की गई ?

(२) उपरोक्त सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिए कितने रुपयों का चैक किस किस तारीख को दिया गया व बैंक से भुगतान किस तारीख को हुआ व सहकारी समिति की रोकड़ में रकम कब जमा हुई ?

(३) क्या यह सही है कि गोदाम का निर्माण नक्शे व सही मेटेरियल के मुताबिक नहीं हो रहा था व ओवरसियर की भी पहली किश्त की रिपोर्ट नहीं आई थी ? जिसके कारण प्रधान ने दूसरी किश्त को रोका था ? यदि हां, तो फिर भुगतान कैसे हुआ ?

(४) क्या यह भी सही है कि दूसरी किश्त के भुगतान से पहले ही गोदाम का कुछ हिस्सा टूट गया था ? यदि हां, तो बाद में उसका क्या हुआ ? यदि हां, तो उसका जिम्मेदार कौन है व सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उत्तर**

(१) ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढ़ा, पंचायत समिति, श्री माधोपुर (सीकर) को बीज गोदाम के लिए पंचायत समिति द्वारा निम्न प्रकार लोन व सहायता स्वीकृत की गई थी :—

| | |
|---|---|
| लोन— | रु० ७,८१३)०० |
| सहायता— | रु० ४,६८७)०० |
| योग— | रु० १२,५००)०० |

(२) उपरोक्त सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिये दिये चैक, उसके भुगतान व रोकड़ में जमा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | चैक नं. | दिनांक | विवरण |
|---|---|---|---|
| १. | १५१८५५ | ७-३-६९ | अनुदान |
| २. | १५१८५६ | ७-३-६९ | ऋण |
| ३. | १५१८८० | ३१-३-६९ | ऋण |

| चैक की राशि | बैंक से भुगतान की तारीख | रोकड़ में जमा करने की तारीख |
|---|---|---|

(सहकारी मन्त्री)

| | | |
|---|---|---|
| ४९८७-०० | ८-३-६९ | १-६-६९ |
| ३९०७-०० | ८-३-६९ | १-६-६९ |
| ३९०६-०० | १-७-६९ | २८-९-६९ |
| | | १-७-६९ |

(३) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी कि गोदाम निर्माण कार्य नक्शे व सही मेटेरियल के मुताबिक नहीं हो रहा था। ओवरसियर की पहली किश्त के उपभोग के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। प्रधान ने दूसरी किश्त की रकम को रोका था लेकिन रेकार्ड में किश्त की रकम रोकने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। दूसरी किश्त की रकम के चुकारे का चैक प्रधान के रकम रोकने के आदेश से पूर्व जारी किया जा चुका था, जिसका भुगतान् सब ट्रेजरी द्वारा पास करने से हुआ।

(४) जी नहीं।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### राज पत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**५४०. श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) नियुक्ति विभाग में किन किन राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही कब कब से चल रही हैं? इन अधिकारियों के पूरे पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कार्यवाहियों के दौरान किसी को निलम्बित किया हो या निलम्बित करके कार्य . ही की समाप्ति के पूर्व ही बहाल किया हो तो उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं और कितने प्रतिशत ऐसे मामले हैं जिनमें निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हुई?

(४) क्या सरकार यह महसूस कर रही है कि निर्धारित अवधि में उपरोक्त कार्यवाही करने में प्रशासन सदैव असफल रहा है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई?

(५) क्या यह सत्य है कि अब तक फैसले किये गये मामले ऐसे भी हैं जिनकी निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हुई थी? यदि हां तो अब तक प्रतिवर्ष कितने मामले निपटाये गये और इनमें निर्धारित अवधि के बाद में कितने तथा इनका प्रतिशत क्या रहा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) स्थिति उक्त सूची में दर्शाई गई है।

(३) अपराधी को कानूनी तौर पर बचाव का पूरा मोका देना पड़ता है व जांच अधिकारी को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पूरा-पूरा पालन करना पड़ता है जिसमें देरी होना स्वभाविक है। किसी भी मामले में निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हुई है।

(मुख्य मन्त्री)

(४) सी० सी० ए० रूल्स का पुनर्वालोकन कर सुझाव देने हेतु जो समिति बनाई गई थी उसने इस मुद्दे पर भी विचार कर जो सुझाव दिये हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं।

(५) भाग (१) की सूचना मद संख्या ३ में अंकित है।

भाग २ की सूचना उपलब्ध करना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

**मण्डल, निगम और न्यास के अध्यक्षों को सुविधायें**

५४१. **श्री गंगासहाय** (कठुमर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में ऐसे कितने और कौन २ से मण्डल, निगम और न्यास हैं जिनके अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति हैं? प्रत्येक पर कितना वेतन, भत्ता, टेलीफोन बंगला कार आदि की सुविधाओं पर प्रतिमाह खर्च होता हैं? अध्यक्षों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

राजस्थान में विभिन्न मण्डलों, निगमों और न्यासों जिन के अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उनके वेतन, भत्ता, टेलीफोन, बंगला, कार आदि सुविधाओं की सूचना सूची में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**मंत्रियों के निजी बंगले**

५४२. **श्री गंगासहाय** (कठुमर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में वर्तमान मंत्रियों के कितने अपने निजी बंगले हैं और वे कहां पर स्थित हैं? इन बंगलों की आज लागत कीमत कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

**सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी भूमि**

५४३. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला भरतपुर तहसील बयाना के अन्तर्गत मौजा महमदपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी में कितनी भूमि है? कृपया मय खसरा नम्बरान व भूमि के रकबे के पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें?

(२) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की उक्त खातेदारी की भूमि में से कुछ भूमि काश्त के लिए आवन्टित की गई हैं? यदि हां, तो किस को कब किस खसरा नम्बरान की तथा यह भूमि आवंटन किस नियम के अधीन हुआ है?

**उत्तर**

(१) ग्राम महमदपुरा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में सार्वजनिक निर्माण

(राजस्व मन्त्री)
विभाग की २१५ बीघा ८ विस्वा भूमि है जिसके खसरा नम्बरान व रकबे की सूची संलग्न है।

(२) यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भूमि में से खसरा नम्बर १५४६ रकबा १।-१५५० रकबा १।४ व १५४२ रकबा २।१३ कुल ४ बीघा १७ विस्वा भूमि श्री रघुबीरसिंह पुत्र जुरीलाल गूजर अहमदपुरा की इस शर्त के साथ पट्टे पर दी गई है कि जब कभी सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस भूमि की आवश्यकता पड़ेगी भूमि वापिस ले ली जावेगी इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर १५५६ रकबा ३।-पर पारीक स्टोव कम्पनी द्वारा किये गये नाजायज कब्जों को भू-राजस्व अधिनियम १६५६ की धारा ६१ के अधीन पारीक स्टोव कम्पनी के नाम विनियमित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

**ग्राम झूठा (त. रायपुर) व ग्राम मंडला (त. सोजत) के कुओं के मालिकों की भूमि**

**५४४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले के ग्राम झूठा तहसील रायपुर व ग्राम मंडला तहसील सोजत के पटवारियों द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (land records) नियम, १६५७ के नियम १६७ के अनुसार फार्म नम्बर पी-२१ में रखे हुये कूप विवरण वर्ष १६६८ से १६७० तक में से ऐसे कुओं के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे जिनसे कुओं के मालिकों द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि के १० गुणा या इससे अधिक दूसरे कृषकों की भूमि को ओन पास किया गया हो ?

(२) प्रश्न के भाग १ में बताये गये कुओं के मालिकों के पास उस गांव के कितने बीघा भूमि खातेदारी हैं व कितने समय से है व उसका लगान क्या अदा करते हैं ?

(३) क्या इन खातेदारों से अपनी खातेदारी की भूमि में कुछ भी काश्त नहीं किया है ? यदि हां, तो फार्म नम्बर पी-२ के खाना नं० ७ व खाना नम्बर ६ के विवरण बाबत खुलासा जानकारी दी जावे कि क्या इस तरह की परम्परा मौजूदा अधिनियमों व नियमों की खुली अवहेलना नहीं है।

(४) क्या सरकार भूमि के अन्दर संचित जल भण्डार के कृषक कानून के अन्तर्गत खातेदारों को दी जाने वाली रियाअतों की ओट में ऐसे खातेदारों के शोषण को रोकने व ऐसे क्षेत्रों को सार्वजनिक हित में चन्द व्यक्तियों के एकाधिकार से मुक्त करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(५) क्या सरकार इस तरह की भूमियों पर दी गई खातेदारी की अविलम्ब जांच कर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

**फार्म नं. पी. २९ में दर्ज विवरण**

५४५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रिकार्डस) नियम, १९५७ के नियम १६७ के अनुसार फार्म नं. पी. २९ में पटवारी द्वारा कूप विवरण २२ वां जाता है ? यदि हां, तो निम्न गांवों के पिछले पांच वर्षों के फार्म नम्बर पी. २९ की नकल सदन में प्रस्तुत की जावे ।

(अ) ग्राम बोरुंदा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ।

(ब) ग्राम भागासनी तहसील बिलाडा, जिला-जोधपुर ।

(२) फार्म पी-२९ के खाना नं. ६-७ का ऐसे कुओं का जिनसे एक से अधिक गांव व एक तहसील से दूसरी तहसील में सिंचाई होती है का सही इन्द्राज करने का क्या आधार है व प्रश्न के भाग नम्बर(१) में पूछे गये गांवों के कुओं से जिन जिन गांवों में व जिन जिन तहसीलों में सिंचाई होती हैं ? कुए वार खाना नम्बर ६-७ का सही क्षेत्रफल बताया जावे ।

(३) फार्म पी-२९ खाना नम्बर ४ में दर्ज व्यक्ति की खातेदारी की भूमि कितनी है व खाना नम्बर ७ में दर्ज क्षेत्र कितना हैं ?

(४) क्या सरकार भूमि के अन्दर संचित जल भंडार का एकाधिकार समाप्त करने या दूसरों की भूमि सिंचत करने की दशा में दूसरे खातेदारों से पानी का मुआवजा लिया जाने बावत कानून बनाने का विचार रखती है ?

**(स्थगित किया गया)**

**कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति**

५४६. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** ( सवाई माधोपुर )-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( १ ) क्या नवम्बर, ६८ में जिलाधीश सवाई माधोपुर ने कुछ कनिष्ठ लिपिकों के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये हैं ? यदि हां, तो कितने कनिष्ठ लिपिकों के पदों की पूर्ति करना वांछनीय था ? इस सम्बन्ध में कल कितने प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए आये और यह साक्षात्कार किस तारीख को लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

( २ ) क्या यह सही है कि यह साक्षात्कार जिलाधीश स्वयं ने न लेकर इस हेतु अधिकारियों की एक समिति का गठन किया और इस समिति ने ही साक्षात्कार लिया ? यदि हां तो इस समिति के कौन कौन सदस्य थे ?

( ३ ) क्या यह सही है कि जिन रिक्त पदों का यह साक्षात्कार किया जाना था उनमें से कुछ पदों पर जिलाधीश ने पहले ही अस्थायी नियुक्ति दे रखी थी ? यदि हां तो कृपया उन व्यक्तियों के नाम व जिस तारीख को जितने जितने समय के लिए इन व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई उसकी सूची

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

उनकी योग्यता के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इन स्थानों के साक्षात्कार के लिए कितने प्रत्याशी किस किस योग्यता के उपस्थित हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) साक्षात्कार के पश्चात् कमेटी ने किन किन व्यक्तियों का जो चयन किए जाने की सिफारिश जिलाधीश को की ? कृपया ऐसे चयन किये हुए प्रत्याशियों की सूची उसी क्रम में जिस क्रम में कमेटी ने सिफारिश की, प्रत्याशी की योग्यता सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) ऐसे चयन किये हुए प्रत्याशियों में से किस किस प्रत्याशी को कब कब नियुक्ति दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या चयन किये हुए प्रत्याशियों की नियुक्ति देने में जिस क्रम से कमेटी ने चयन किया उसमें जिलाधीश ने कोई हस्तक्षेप किया ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१)जी हां। सात पदों की पूर्ति के लिये ५८ प्रत्याशी साक्षात्कार के लिये आये। साक्षात्कार दिनांक १२-१२-६८ को लिया गया। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-१)

(२)जी हां समिति के सदस्य अपर जिलाधीश एवं कोषाधिकारी सवाई माधोपुर थे, इस समिति ने ही साक्षात्कार लिया था।

(३) जी हां। इन्हीं रिक्त पदों में से चार पदों पर चार व्यक्तियों को एक माह के लिये दिनांक २७-११-६८ को नियुक्त किया गया था, उनकी योग्यता के विवरण सहित सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-२)

(४) सूची सदन की मेज पर रख दो गई है।

(परिशिष्ट-३)

(५)सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-४)

(६) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट-५)

(७) जी हां। केवल दो प्रत्याशियों की नियुक्ति में पहला, तो श्री रामसिंह मीणा के लिये क्योंकि अनुसूचित जन जाति में से कोई नहीं लिया गया था। दूसरा श्री राजेश कुमार हरित के लिये क्योंकि वह तारीख १६-४-६९ को ओवर ऐज होने वाला था जबकि श्री पुष्पानन्द व श्री शम्भुदयाल जिनकी क्रमशः जन्म तिथि ६-१०-४५ व ११-१२-४६ हैं व दिनांक ६-१०-७० व ११-१२-७१ को ओवर ऐज होते हैं जिनके लिये उससे अधिक समय था।

# Page No 41



इसके अतिरिक्त फहरिस्त में क्रम क्रमांक ५ पर अंकित व्यक्ति ने नम्बर ७ की शैक्षिणक योग्यता अधिक थी अतः प्राथमिकता दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

**बीस साला बन्दोबस्त**

५१७. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले की बीस साला बन्दोबस्त कौन से वर्ष हुआ था और उसकी अवधि किस वर्ष समाप्त हुई ?

(२) राज्य सरकार ने इस बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सवाई माधोपुर जिले की किन किन तहसीलों में पुनः बन्दोबस्त करा दिया ?

(३) यदि अभी तक दुबारा बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई तो अब पुनः पैमाइश कब आरम्भ कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

**जिला सवाई माधोपुर की ११ तहसीलों के अवधि बन्दोबस्त का विवरण निम्नांकित है।**

| क्र० सं० | नाम तहसील | तादाद ग्राम | ग्रामों का विवरण | अवधि बन्दो-बस्त से-तक | | ड्यू होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५–६ | | ७ |
| १. | सवाई माधोपुर | १८१ | ६५ | २००४ | २०२३ | सं० २०२४ |
| | | | ११६ | २००६ | २०२३ | |
| २. | मलारना चौड़ (वांली) | १५२ | ६५ | २००४ | २०२३ | सं० २०२४ |
| | | | ८७ | २००६ | २०२३ | |
| ३. | खण्डार | १२६ | १०० | २००४ | २०२३ | सं० २०२४ |
| | | | २६ | २००६ | २०२३ | |
| ४. | गंगापुर | ११८ | ९२ | २००१ | २०२० | सं० २०२१ |
| | | | २६ | २००८ | २०२० | |
| ५. | बामनवास | १५८ | ११५ | २००१ | २०२० | सं० २०२१ |
| | | | ३७ | २००८ | २०२० | |
| ६. | गंगापुर | ८२ | ५० | २००१ | २०२० | सं० २०२१ |

(राजस्व मन्त्री)

| १ | २ | ३ | ४ | ५—६ | | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ३२ | २००८ | २०२० | |
| ७. | हिन्डौन | १२६ | ६८ | २००० | २०१६ | सं० २०२० |
| | | | २५ | २००८ | २०१६ | |
| | | | ३ | २०१४ | २०१६ | |
| ८. | महुवा | १५० | १०४ | २००० | २०१६ | सं० २०२० |
| | | | ४६ | २००८ | २०१६ | |
| ६. | टोडाभीम | १४४ | १०० | २००० | २०१६ | सं० २०२० |
| | | | ४४ | २००८ | २०१६ | |
| १०. | करौली | २४२ | २४२ | २०१५ | २०३४ | सं० २०३५ |
| ११. | सपोटरा | १४६ | १४६ | २०१५ | २०३४ | सं० २०३५ |

उक्त सारणी के अनुसार सम्वत् २०२० में ३ तहसीलों में, सम्वत् २०२१ में ३ तहसीलों व सम्वत् २०२४ में ३ तहसीलों में बन्दोबस्त ड्यू हो चुका है। शेष दो तहसीलों का बन्दोबस्त सम्वत् २०३५ में ड्यू होगा।

(२) सम्वत् २०१६ से २०२३ तक की जबकि बन्दोबस्त समाप्त होने पर उक्त ६ तहसीलों में रिवीजन बन्दोबस्त नहीं कराया गया।

(३) पुन: पैमाईश का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

### वार्षिक आय और व्यय

५४८. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की सालाना कितनी आमदनी है व कितना खर्चा है ?

(२) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के रुपये दूसरों में बकाया हैं ? यदि हां, तो कितने और उनको अभी तक वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

### उत्तर

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, की कोई आय (आमदनी) नहीं है। गत वर्ष बोर्ड का कार्यालय व्यय ७,७८,८१३.६४ रु० है जो राज्य सरकार व आयोग से ग्रान्ट के रूप में मिला है।

(२) राज्य बोर्ड द्वारा संस्था समितियों के बकाया ऋण में से ३१-१-७० को ४४,८३,०००) रु० ड्यू किश्तों के लेना शेष है। किस्तों की राशि की वसूली खादी बोर्ड, निर्धारित नियमों के अनुसार कर रहा है।

### सब जेलर सिरोही का स्थानान्तरण

५४६. श्री **मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : क्या कारावास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन सिंह)

क्या यह सही है कि श्री सुन्दरदास, सब-जेलर सिरोही का स्थानान्तरण सिरोही से किये जाने के सम्बन्ध में एक डेपुटेशन मंत्री कारावास से सिरोही डाक बंगले में दिनांक ५ जनवरी को मिला था? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

श्री सुन्दर दास को सिरोही वापस लगा दिया गया है।

**नगरों एवं ग्रामों का विद्युतिकरण**

५५०. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान प्रान्त के विभिन्न जिलों में कितने नगरों एवं ग्रामों में विद्युतिकरण किया गया? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त नगरों एवं गांवों में विद्युत की दृढ़ और प्रतिस्थापित क्षमता कितनी है? अलग अलग गांवों एवं नगरों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(३) क्या यह सही है कि विद्युत विकास की दृष्टि से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले सब जिलों में पिछड़े हुए हैं?

(४) यदि हां तो उन क्षेत्रों की विद्युत की दृष्टि से विकसित करने के लिये राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

(१) दिनांक ३१-३-६९ तक करीब २२३६ था। इनकी जिलेवार अस्थायी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) दृढ़ एवं प्रतिष्ठापित क्षमता प्रत्येक गांवों की अलग अलग नहीं होती।

(३) जी हां।

(४) इन क्षेत्रों के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्युत विकास में अधिक कठिनाईयां आती हैं। फिर भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बाड़मेर व जैसलमेर पावर हाउस की क्षमता आवश्यकतानुसार बढ़ाने में प्रयत्नशील है।

**(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)**

**ग्राम नापासर से किलचू व कल्याणसर तक बिजली**

५५१. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार बीकानेर तहसील के ग्राम नापासर से किलचू व कल्याणसर तक बिजली की लाईन पहुंचाने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

(२) क्या सरकार बीकानेर तहसील के ग्राम कल्याणसर के कुएं पर भी बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा?

Page No 44



(विद्युत मन्त्री)

**उत्तर**

(१) जी नहीं।

अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(२) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम पिथरासर व जैसंगदेशर मगरा में बिजली**

५५२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नोखा के ग्राम पिथरासर व जैसगदेशर मगरा के विद्युतिकरण के नाम से वहां की जनता द्वारा कितने रुपये सरकारी खजाने में किस तारीख को जमा करवाये गये?

(२) क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों का विद्युतिकरण इस वर्ष पूरा कराने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(१) तहसील नोखा के ग्राम पिथरासर व जयसिंहदेशर के विद्युतिकरण के नाम से जनता द्वारा कोई रकम जमा नहीं कराई गई है।

(२) जी नहीं।

**ग्राम रींया के फार्म में सामान की खरीद**

५५३. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रींया बड़ी (नागौर) में एक कृषि फार्म है जो कि इस समय पंचायत समिति रींया की देख रेख में है?

(२) यह कृषि फार्म कब बना? जमीन, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर आदि सभी खरीदे मय सामान व उसकी लागत की रकम का मय तारीखवार ब्यौरा देवें इसकी कुल कितनी लागत है?

(३) आज कृषि फार्म में क्या सामान है?

(४) ट्रैक्टर जब से खरीदा गया प्रतिवर्ष उसमें कितना तेल और कितना रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च हुआ व ट्रैक्टर से अन्य कोई आमदनी हुई तो किस कार्य से किसके द्वारा हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) कृषि फार्म का माल प्रति वर्ष कितना बिका? कृषि फार्म का माल चोरी से बेचने के लिए ले जाने पर प्रधान श्री रामलाल जी को पकड़ा गया था वह केस कब किस वर्ष बना? उसका क्या निर्णय हुआ?

(स्थगित किया गया)

**राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि**

५५४. श्री हंसराज आर्य (मादरा): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हंस राज आर्य)

(१) राजस्थान कैनाल में आज तक कुल कितने भूमिहीनों को भूमि दे दी गई है? और कितने भूमिहीनों की दरख्वास्ते स्वीकृत शुदा विचाराधीन है?

(२) शेष स्वीकृत दरख्वास्तों वाले भूमिहीनों को कब तक भूमि दे दी जावेगी?

(३) जो दरख्वास्तें जांच से बाकी हैं उनकी जांच कब तक हो जावेंगी?

(४) क्या भविष्य में दरख्वास्तें और लेने की मियाद बढ़ाई जावेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर :—

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में कुल ६६० भूमिहीनों को भूमि दी जा चुकी है और ४८६ भूमिहीनों की दरख्वास्त स्वीकृत शुदा विचाराधीन है।

(२) शेष ४८६ स्वीकृत दरख्वास्तों वालों को भूमिहीनों को नियमानुसार पेशगी रकम जमा करवाकर भूमि का कब्जा लेने के लिये कहा जा चुका है। ज्योंही वे पेशगी रकम जमा करवायेंगे उन्हें भूमि पर कब्जा दे दिया जावेगा।

(३) अनुमानतः शेष प्रार्थना पत्रों की जांच एक साल में पूरी हो सकेगी।

(४) जी नहीं। ६५००० से अधिक प्रार्थना पत्र पहिले प्राप्त हो चुके हैं। भूमि की सीमितता को देखते हुए दरख्वास्तें और लेने की मियाद बढ़ाना सम्भव नहीं है।

**मुस्तकिल भूमि अलाट करने के नियम**

५५४. श्री हंसराज आर्य (मादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान कैनाल में सन् ५५ से पहले के काबिल काश्त आरजी काश्तकारों को मुस्तकिल भूमि अलाट करने के नियम आज तक क्यों नहीं बनाये गये?

(२) नियम कब तक बन कर तैयार हो जावेंगे?

(३) सन् ५५ से पहले के आरजी काश्तकारों को कब तक भूमि मुस्तकिल अलाट करदी जावेगी?

(४) क्या राजस्थान कैनाल में ५५ से पहले के आरजी काश्तकारों को कुल कब्जा काश्त भूमि पर हक खातेदारी दिये जावेंगे?

(५) सन् ५५ से पहले के सभी आरजी काश्तकारों के कब्जे में कुल कितने एकड़ भूमि है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

**आरजी काश्तकारों के लिए रिजर्व भूमि**

५५६. श्री हंसराज आर्य (मादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे?—

(१) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् ५५ के बाद के आरजी काश्तकारों के लिए कितने एकड़ भूमि रिजर्व की गई है?

(२) यदि रिजर्व शुदा भूमि ५५ के बाद के काश्तकारों के लिए कम रहेगी यानी सबको नहीं मिलेगी तो क्या भूमि और अधिक रिजर्व की जावेगी? यदि नहीं, तो सबको भूमि कैसे मिलेगी?

(श्री हंस राज आर्य)

(३) सन् ५५ के बाद आरजी काश्तकारों को प्रति परिवार कितने बीघे भूमि दी जावेगी ?

(४) सन् ५५ के पहले के आरजी काश्तकारों के कब्जा काश्त में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(स्थगित किया गया)

**राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि की निलामी**

**५५७. श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि की नीलामी किस किस तिथि को कहां कहां की तथा किस किस ने कितनी जमीन कहां कहां कितनी कितनी रकम देखकर खरीदी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

इस वर्ष यानि ६९--७० में राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में जो पुख्ता निलामी की गई है उसकी सूचि संलग्न की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**मैनेजर की योग्यता**

५५८. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मार्केट सहकारी समितियों के मैनेजर की क्या योग्यता होती है ?

(२) क्या वह सहकारी विभाग की मंजूरी से रखा जाता है ?

(३) कहां कहां पर मार्केट कमेटियों के मैनेजर बिना स्वीकृति के रक्खे गये हैं ?

(४) भादरा मार्केट कमेटी का मैनेजर कौन है ? तथा कब से है ? उसे क्या तनख्वाह मिलती है और उसकी मंजूरी कब ली गई थी ? उसकी योग्यता क्या है ?

(५) मंजूरी के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) यदि मंजूरी नहीं ली गई है तो क्या उसे हटाया जावेगा ?

(७) यदि हां, तो कब तक हटा दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(१) मार्केटिंग समितियों में मैनेजर की योग्यता ग्रेज्युएट है लेकिन जो व्यवस्थापक पहले से ही समितियों में कार्य कर रहे थे उनके अनुभव को ध्यान में रखकर योग्यता की छूट दी गई है।

(२) जी हां !

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(४) भादरा मार्केटिंग समिति से श्री कुछराम दिनांक १९-१२-६५ से मैनेजर है और उनको वेतन २५०) रु० प्रति माह

(सहकारी मन्त्री)
मिलता है। उनकी नियुक्ति की मंजूरी विभाग से नहीं ली है। उनकी योग्यता मैट्रिक है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) जी हां। यदि कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक नहीं हुई।

(७) इस सम्बन्ध में कार्यवाही चालू है। समिति को उसे हटाने के लिये लिखा जा चुका है।

**झुंझूनू के आयुर्वेद औषधालय का वैद्य**

५५६. श्री **गंगासहाय** (कठूमर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री मन्नालाल वैद्य, रा. आ. औषधालय, झुन्झूनूं का आयुर्वेद विभाग के निदेशक के क्रमांक द. फ. २१ बी १।६३।५३२९।३८ दिनांक २३–३–६३ के द्वारा 'बी' श्रेणी से 'सी' श्रेणी में प्रत्यावर्तन किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि वैद्य श्री मन्नालाल इस समय 'बी' श्रेणी का वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां तो किसके आदेसानुसार उन्हें 'सी' श्रेणी से 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि वैद्य श्री मन्नालाल गत १० वर्ष से रा० आ० औषधालय, झुन्झुनूं में ही कार्य कर रहे है जब कि वैद्य श्री हरिनारायण का स्थानान्तरण एक वर्ष में ६ से अधिक बार हो चुका है ?

(४) क्या उक्त वैद्य ने रतन औषधालय नाम से कोई औषधालय खोल रखा है जिससे रोगियों को दवा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्यजी श्री धन्वन्तरी सहकारी समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और अपने सम्बन्धित वैद्यों से जो कि झुन्झूनूं जिले में कार्यरत हैं, से राजकीय औषधालयों से औषधियां मंगवा कर धन्वन्तरी रसायन शाला में उनका रूप बदल कर उन्हें बेच कर स्वयं लाभ कमाते हैं ?

(६) क्या वैद्य श्री मन्नालाल निखिल भारतीय विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा संचालित परीक्षा केन्द्र आयुर्वेद संस्कृत विद्यालय के मंत्री भी है ? क्या वैद्य श्री इस विद्यालय के मंत्री हैं ? क्या वैध इस विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी करते हैं ?

(७) क्या यह भी सही है कि वैद्य श्री मन्नालाल की झुन्झूनूं की जनता ने उच्च विभागाधिकारियों को कई बार शिकायत भी की है ? परन्तु विभाग ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है ?

**उत्तर**

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। निदेशक आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक एफ २।५।७०।१५२ दिनांक ७. १०. ६० के अनुसार प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) जी हां। वैद्य श्री हरिनारायण

Page No 48



(आयुर्वेद मन्त्री)
का ढीगाल झुन्झुनूं से ३ वर्ष बाद परिवर्तन केकड़ी, पाली। संशोधन। मरहड़ा। झुन्झुनूं तथा पहेल। अलवर किया गया।

(४) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(५) जी नहीं। कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(६) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(७) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

**अखबारों को विज्ञापन**

५६०. श्री **हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार ने अब तक कौन कौन से अखबारों को विज्ञापनों के लिये कब कब स्वीकार किया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने किसी अखबार को विज्ञापनों के लिये स्वीकार करने के बाद उनकी मान्यता को रद्द भी किया है। यदि हां, तो किस किस अखबार की मान्यता को कब कब किन कारणों से अस्वीकार किया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

१—सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

२—किसी भी पत्र की मान्यता रद्द नहीं की गई है।

अनियमितता के कारण कुछ पत्रों को हटाने की कार्यवाही चल रही है।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**विभागीय प्रवृतियों का निरीक्षण**

५६१. श्री **हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मौजूदा संचालक भेड़ व ऊन विभाग ने आने के बाद अब तक कितनी बार राज्य में चल रही विभागीय प्रवृतियों का निरीक्षण किया।

(२) निरीक्षण के दौरान लिखी गई निरीक्षण रिपोर्टों की अनुपालना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई।

**उत्तर**

१—भेड़ व ऊन विभाग के मौजूदा संचालक ने अपने विभाग में चल रही विभिन्न प्रवृतियों का अनेक बार निरीक्षण किया है। जिन संस्थानों पर ये प्रवृत्तियां चल रही हैं वे हैं भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, जिला भेड़ व ऊन कार्यालय, भेड़ प्रजनन केन्द्र, ऊन वर्गीकरण केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, भेड़ कल्पन ईकाईयां आदि।

२—दौरे के समय किए गए सभी निरीक्षणों की औपचारिक रिपोर्ट लिखना आवश्यक नहीं है। जो कमियां पाई जावें या सुधार

(पशुपालन मन्त्री)
के लिए काम करना आवश्यक हो, उसके बारे में मौके पर भी निर्देश कर दिए जाते हैं।

### परिचारिका सेवाओं में से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को सुविधाएं

५६२. श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बतायेंगे कि :—

(१) क्या परिचारिकायें सेवाओं में से राजकीय खर्चे पर उच्च शिक्षा के लिये भारत व विदेश में किन्हीं को भेजा गया ? अगर हां, तो उसकी सूची सदन में यह बताते हुए रखी जाये कि किस किस को कब कब और कहां कहां किन किन शर्तों पर भेजा गया ?

(२) क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके की सुविधा से वंचत भी किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है)

### जिला श्रीगंगानगर में विभिन्न मदों से आय

५६३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला श्री गंगानगर की निम्न मदों से सरकारी आमदनी कितनी है :— भू-राजस्व, आबियाना, सरचार्ज, टैक्स, खुशहाली टैक्स, मालकाना टैक्स, व्यावसायिक फसलों पर टैक्स, भूमि की कीमत सेल टैक्स, बसों व ट्रैक्टरों का टैक्स, जीप व कारों का व स्कूटरों का टैक्स, मनोरंजन टैक्स हथियारों की फीस, शराब से आमदनी लाइसेंस परमिटों से आमदनी व अन्य टैक्स ?

समस्त प्रकार के टैक्सों की अलग अलग तादाद सहित सन् १९६८-६९ व ६९-७० की सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) जिले के समस्त प्रशासन पर कुल कितना खर्च होता है ? अलग अलग आइटमवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) जिला श्री गंगानगर विकास कार्यों में प्रतिवर्ष कितना धन किस कार्य पर सन् १९६८-६९ व ६९-७० में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) भूमि नीलामी से सरकार को सन् १९५८ से १९६९ तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(स्थगित किया गया)

### सेवा नियमों का प्रकाशन

५६४. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या मुख्य (व्यवस्था एवं पद्धति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के चतुर्थ अंग्रेजी संस्करण को कितन खण्डों में प्रकाशित किया गया है ?

# Page No 50



(श्री देवीदत्त गाडिया)

(२) प्रत्येक खण्ड की पृष्ठ संख्या व मूल्य क्या है ?

(३) पार्ट 'ए' की मूल्य तथा पार्ट 'बी' तथा वाल्यूम की अपेक्षा अधिक क्यों है जबकि इसके पृष्ठ अपेक्षाकृत कम हैं ?

(स्थगित किया गया)

**सेवा नियमों में संशोधन**

५६५. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) क्या (मुख्य व्यवस्था एवं पद्धति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार द्वारा प्रकाशित राजस्थान सेवा नियमों के तीनों खण्डों का चतुर्थ संस्करण किस तारीख तक संशोधित है ?

(२) क्या यह सही है कि वस्तुतः यह संस्करण १९६४ तक ही संशोधित है और १९६५, १९६६, तथा १९६७ के संशोधनों को इसमें समाविष्ट (इन्कोरपोरेट) नहीं किया गया है बल्कि उन्हें एक साथ मुद्रित कर इन खण्डों के अन्त में जोड़ दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो इन संशोधनों को यथा स्थान नियमों में समाविष्ट करने के पश्चात् मुद्रित क्यों नहीं कराया गया है ?

**उत्तर**

(१) ३१. १२. ६७ तक संशोधित है।

(२) जी नहीं : वस्तुत : राजस्थान सेवा नियम खंड १ के भाग 'ख' में ३१. १२. ६७ तक हुए संशोधन समाविष्ट हैं और इन नियमों के खंड २ के भाग 'क' तथा खंड २ में ३०. ९. ६५ तक के संशोधन समाविष्ट हैं और १. १०. ६५ से ३१. १२. ६७ तक के संशोधन इनके अन्त में जोड़ दिये गये हैं।

(३) १.१०.६५ से ३१. १२. ६७ तक हुए संशोधनों को सम्बन्धित नियमों के अन्त में जोड़े जाने का कारण यह है कि नियमों के यह भाग पहले ही मुद्रित हो चुके थे।

**गंगा नगर की शराब शाला**

५६६. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर की शराबशाला में पिछले चार सालों में ३४ लाख रुपये का गबन पाया गया है ?

(२) यदि हां, तो गबन करने वाले कौन अधिकारी हैं ?

[३] उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) गंगानगर की शराबशाला में सालाना कितने गैलन शराब निकलती है ?

(५) इस शाला से सरकार को कितनी आय होती है और इस पर खर्च कितना है ? यह हानि में चलती है या लाभ में ?

**उत्तर**

(१) जी नहीं।

# Page No 51



(मुख्य मन्त्री)

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) गंगानगर की शराबशाला की उत्पादन क्षमता २,५५० गैलन प्रतिदिन है एवं पिछले पांच वर्षों के उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| ६४-६५ | ६, ६६, ६२३ | गैलन |
| ६५-६६ | ६, १२, १२३ | ,, |
| ६६-६७ | १२, ६७, ६५१ | ,, |
| ६७-६८ | १६, ००, ४२० | ,, |
| ६८-६९ | ११, ६४, ००० | |

उत्पादन कच्चे माल की उपलब्धता पर मुख्यतः निर्भर करता है।

(५) सरकार को इस शाला से होने वाली आय के आंकड़े इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। १९६८—६९ में इस शाला से कम्पनी को हुई आय एवं खर्च के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

१९६८-६९ कुल आय ५०,६७,५४०. ४१

कुल व्यय ४९,५७,१०८. १६

शुद्ध लाभ १, ५०, ४३२.३५

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री रघुनाथ विश्नोई श्री हुकमसिंह, श्री अब्दुल हादी, श्री रणजीत सिंह, श्रीमती मदन कौर, श्रीमती गौरी पूनियां, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री कालूराम (१४) व श्री बिरदाराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जिला अजमेर व जिला पाली में लूणी नदी पर पड़ने वाले छोटे-छोटे नालों पर बांधने के कारण नदी का पानी रोका जा रहा है जिसके कारण यह पानी जोधपुर, जालौर व बाड़मेर जिले में जाना करीब करीब बन्द हो गया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रणजीतसिंह, श्री कालूराम आर्य(१५), श्री बिरदाराम, श्रीकालूराम(१४)व श्री हुकमसिंह सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम रामपुरा, तहसील ओसियां, में ट्यूब वैल से जोधपुर शहर को पानी पहुंचाने की योजना बनाई जाने के कारण ग्राम रामपुरा के १,६०० कुएं सूख जाने से पानी की कमी के कारण फसल को क्षति पहुंचना बतलाया गया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना जोधपुर सर्किट हाउस में एक फ्रान्सिसी व एक पाकिस्तानी द्वारा भारत में प्रवेश कर अनायास जोधपुर सर्किट हाऊस से गायब हो जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है।

चौथा स्थगन प्रस्ताव श्री रामकिशन व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें सार्वजनिक निर्माण

(श्री अध्यक्ष)
विभाग द्वारा हनुमानगढ़ डिविजन के मजदूरों की छंटनी किये जाने तथा छंटनी के विरोध में मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल आरम्भ कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त चारों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त जो स्थगन प्रस्ताव पेश हुए हैं वे इस प्रकार हैं :—

श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा ने नगरपालिका छापर, जिला चूरू के कर्मचारियों द्वारा दिनांक १५-१०-६९ से हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला गत ५ माह से चल रहा है।

इसके अलावा कल इस विषय में प्रश्न भी पूछा गया है और संबधित मन्त्री महोदय इस मामले में वहां के प्रशासक एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि से बात भी करने वा...

दू र स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा से मिली है जिसमें कस्बा चाड़वास जिला चूरू में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाना बतलाया गया है इस विषय में बजट पर वाद-विवाद एवं दुर्भिक्ष सहायता की मांग पर विचार व्यक्त करने का अवसर माननीय सदस्य को उपलब्ध था।

श्री भदलणलाल व श्री गंगासहाय, सदस्य विधान सभा ने दिनांक २९-३-७० को ग्राम भण्डारी तहसील टोडा भीम जिला सवाई माधोपुर में भीषण अग्नि काण्ड के कारण लगभग ५० घरों में रहने वालों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी चाहिए थी उसका उल्लेख नहीं किया गया है।

एक पेंडिंग स्थगन प्रस्ताव के संबंध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है जिसका सम्बन्ध अलवर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से है, इसकी सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में यह बतलाया गया है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को संशोधित वेतन दिये जाने का मामला उनके विचाराधीन है इसके अतिरिक्त यूनियन द्वारा अपनी मांग के सम्बन्ध में हड़ताल का नोटिस दिया जाना स्थगन प्रस्ताव का विषय भी नहीं है।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। अत: इनस्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की सूचना (अनुमति) देने में असमर्थ हूं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** [ सांचोर ] : अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है काफी एम० एल० एज० ने दिया है।

# Page No 53



**श्री अध्यक्ष** : अभी तो मैं खड़ा हुआ हूं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : राज्य सरकार से एक वक्तव्य दिलाया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : २९ मार्च, १९७० को गुरु गोविन्दसिंह कालेज के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल महोदय के भाषण के एक अंश को लेकर सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, केदारनाथ, मुकटबिहारीलाल गोयल, रामकिशन एवं श्री नत्थीसिंह ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। उनके यह प्रस्ताव समाचार-पत्रों में प्रकाशन समाचार पर आधारित है।

यूं तो आये दिन अनेकों विषयों पर यहां स्थगन-प्रस्ताव आते रहते हैं परन्तु इस विधान सभा के इतिहास में यह पहला ही अवसर है जब एक राज्य के प्रधान (Head of the State) के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।

यह सर्व विदित है कि राज्यपाल महोदय, श्रीमान् राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के नाते अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इस पृष्ठभूमि में यह परम आवश्यक है कि क्या यह विधान सभा स्थगन-प्रस्ताव के माध्यम से उनके किसी भी कार्य अथवा कथन को इस प्रांगण में आलोचना का विषय बना सकती है।

मैंने इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से चिन्तन किया है और पूर्व मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं के आधार पर भी इसको समझने की कोशिश की है। हमारे नियम इस मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन करते हैं, जो इस प्रकार है—

नियम ५२ क्लाज (८) - स्थगन-प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है जो संविधान या नियमों के अन्तर्गत अलग से प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सकता हो।

नियम २७२ (क्लाज (५) - किसी सदस्य को बोलते समय उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव (Substantive motion) पर आधारित नहीं हो।

इस सम्बन्ध में, मैंने इस विधान सभा में पहले की व्यवस्थाओं, अन्य विधान सभाओं और लोक सभा में दिये गये अध्यक्षीय निर्देशों का भी अध्ययन किया, जो विचाराधीन मामलों को हल करने की दिशा में बड़ी हद तक सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं उनमें से कुछ उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं।

१३ मार्च, १९५८ को जब इसी विधान सभा में एक माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय को कार, स्टाफ आदि के व्यय में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना चाहा तो यह व्यवस्था दी गई।

"That the Hon. member will not refer to or make any observations about the Governor."

इस सम्बन्ध का एक निर्णय सन् १९४३ में बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने भी दिया था जो इस प्रकार है :—

# Page No 54



(श्री अध्यक्ष)

"श्री राज्यपाल के व्यक्तिक कार्य पर प्रदेश के प्रधान से उनका व्यक्तित्व पृथक करके भी विवाद नहीं किया जा सकता"

उपरोक्त व्यवस्थाओं की पुष्टि के लिए

Practice and Procedure in Indian Parliament (By S. S. More) Page No. 475 and Practice and Procedure of Parliament (By Kaul & Shakdher)

के पृष्ठ सं० ३४३ व ३९३ पर उल्लिखित यह उद्धरण भी सदन की जानकारी के लिए पढ़ना उचित होगा :--

(1) The action of the Governor-General could not be made a matter of Adjournment Motion (P. 475)

(2) Questions relating to the Head of the State are not ordinarily admitted for answer on the floor of the House (p 353)

(3) It has been held by the Speakar from time to time that the following matters cannot be raised by way of adjournment motion:

Conduct of the Governor-General (now President) or any action taken by him.
Conduct of the Governor of a State (p. 393)

हाउस आफ कामन्स की मान्यताओं में भी इस बात को असंदिग्ध रूप से माना गया है कि सम्पूर्ण सत्तावारी (Sovereign) की आलोचना या उनके कार्य पर कोई छींटाकशी नहीं की जा सकती है। इसका उल्लेख मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस (सत्तरहवां संस्करण) के पृष्ठ ३९६ व ४५४ पर इन शब्दों में किया गया है :-

(i) "......Certain matters cannot be debated, save upon a substantive motion...Among them are the conduct of the sovsreign... Governors-General of the Independent Territories......... These matters cannot, therefore, be questioned by way of amendment, or upon any motion for adjournment (p. 396)

(ii) "....Unless the discussion is based upon a substantive motion, drawn in proper terms, reflections must not be cast in debate upon the conduct of the sovereign."

इसके अतिरिक्त, राज्यपाल महोदय विधान मण्डल का एक अभिन्न अंग माने गये हैं और जिस प्रकार विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में कोई स्थगन-प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता इसी भांति राज्यपाल पर भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा निषिद्ध है। इसी सिद्धांत का उल्लेख प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर बाई कौल एण्ड शकधर के पृष्ठ ३८० पर इस प्रकार है :-

"Generally speaking, the sub-

(श्री अध्यक्ष)

ject-matter of an adjournment motion must have direct of indirect relation to the conduct or defauld on the part of the Government of India and must be in the nature of criticism of the action of the Government of India either for having done some action or for having omitted to do some action which was urgently necessary at the moment. Where the Government of India has no obligation to interfere in a matter, an adjournment motion is out of order."

इस मामले का एक पहलू और भी है। समाचार पत्रों में प्रकाशित भाषण को आद्योपान्त पढ़ने से यह प्रकट होता है कि पंजाब के तथाकथित विवाद पर राज्यपाल महोदय का कुछ भी प्रकाश डालने का कोई विचार नहीं था। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए उसी भाषण के अंश में ऐसे विवाद में स्वयं को अलग रखने का भी संकेत दिया है। जो कुछ भी राज्यपाल महोदय द्वारा अपने भाषण में कहा गया है। उसका सम्बन्ध हमारे राज्य की किसी भी स्थिति से नहीं हैं। जो भी हो, उनका भाषण किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में केवल मात्र एक साधारण संकेत है जो प्रशासनिक एवं नीति के विवाद का विषय नहीं। इसलिए संसदीय परम्पराओं के अनुसार यहां पर चर्चा नहीं हो सकती।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरी व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में कोई चर्चा स्थगन-प्रस्ताव द्वारा नहीं की जा सकती। अतः मैं इन स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है……

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूँ कि जो स्थगन…

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है इस सम्बन्ध में मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि इसके अन्तर्गत तथ्यों के सम्बन्ध में आपने राज्यपाल महोदय से कोई जानकारी की है कि आया ये जो तथ्य स्थगन प्रस्ताव में अंकित किए हैं वे सही हैं या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : मैंने जो कुछ भाषण में पढ़ा है, जो कुछ वर्णन मुझे प्राप्त हुआ है उसी पर इसको आधारित किया है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। लूणी नदी पर पाली जिले में जो बांधों के निर्माण का कार्य हो रहा है उसके बनने से हमारे क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं आ सकेगा। हमारा क्षेत्र वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है। हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आने से वह क्षेत्र सिंचित नहीं हो सकेगा और कुओं में पानी नहीं रह सकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)
हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट वक्तव्य दे और माननीय मन्त्री महोदय से वक्तव्य के लिए निवेदन है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है, मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और व्यवस्था की दृष्टि से भी यह बड़ी ऐतिहासिक व्यवस्था आपने दी है। अध्यक्ष महोदय, काफी आपने मेहनत भी इसमें की होगी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि आपकी व्यवस्था के कारण से कुछ भ्रम उत्पन्न हुए हैं...

श्री **मूलचन्द डागा** ( (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद आपको बोलने का अधिकार नहीं है...

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं स्पष्टीकरण के लिए कह सकता हूं।

श्री **मूलचंद डागा** : जिस पर व्यवस्था हो चुकी है उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं व्यवस्था को चेलेंज नहीं कर रहा हूं...

श्री **विजयसिंह** (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, आप विरोधी दल के सदस्यों को कहते हैं लेकिन उधर के जो माननीय सदस्य खड़े खड़े बोल रहे हैं उनको नहीं कहते।

श्री **मूलचंद डागा** : यह गलत है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : संसदीय शासन प्रणाली में स्वस्थ व्यवस्था यह है कि रूलिंग पार्टी के मेम्बर सदस में एडजोर्नमेंट मोशन नहीं रखते हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेम्बर के द्वारा एडजोर्नमेंट मोशन रखने का अर्थ होता है कि सरकार में उसका विश्वास नहीं है। इसलिए आप जो एडजोर्नमेंट मोशन रखते हैं वह सरकार में अविश्वास है।

इसके साथ ही मेज पार्लियामेन्ट के अध्ययन के बाद मैंने महसूस किया है कि संसद वहां पर भी सोवरीन है और हमारे देश में भी सोवरीन है लेकिन वहां के सोवरीन और यहां के सोवरीन की कल्पना व थोड़ी भिन्नता है, इसलिए हमारे राज्य के जो राज्यपाल महोदय हैं वह सोवरीन नहीं है, जो सोवरेन्टी है वह पीपुल में वेस्ट करती है। मैं समझता हूं...

श्री **अध्यक्ष** : मैंने दोनों पक्षों को लिया है, यहां का भी लिया है और वहां का भी लिया है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : दूसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय का जो आफिसियल कन्डक्ट है, जो आफिसियल एक्शन है वह आफिसियल कन्डक्ट और एक्शन राजस्थान में है, लेकिन अगर पंजाब में जाकर कुछ कहते हैं तो वह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। मैं समझता हूं...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन करूंगा, इस पर कोई विवाद नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री **सत्यीसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहते

(श्री नत्थी सिंह)
हैं कि दो दिन तक आपने हमें सदन में विश्वास दिलाया कि आप व्यवस्था देने से पूर्व अखबारों में जो तथ्य निकले हैं वह कितने सही हैं, कितने आर्थेटिक हैं–इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से सम्पर्क स्थापित करेंगे और क्योंकि राज्यपाल महोदय यहां हैं नहीं, दिल्ली में हैं इसलिए उनसे आपका सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। कल हमने आपसे निवेदन किया कि हमने उनके दर्शन किये हैं सड़कों पर और आपने कहा...

**श्री रामनारायण चौधरी** : (मंडावा) अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के ऊपर भाषण नहीं हो सकता।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! आर्थेटिक वर्सन मंगवाना था वह मंगवा लिया, उनके दर्शन करने या मिलने का प्रश्न नहीं है। मैं आर्थेटिक वर्सन चाहता था वह मैंने मंगवा लिया।

**श्री मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर...

**श्री नत्थीसिंह** : (भरतपुर) आर्थेटिक वर्सन मंगवा लिया है, इसका मतलब यह कि अखबारों में जो बातें निकली हैं वह बातें सही हैं उनको उन्होंने डिनाई नहीं किया है, नहीं तो उसका उल्लेख होता।

**श्री अध्यक्ष** : मैं उस वर्सन पर नहीं जाता हूं ! माननीय सदस्य ! इस प्रश्न पर मैं किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा !

**श्री नत्थीसिंह** : मैं आपकी व्यवस्था के परे नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत ही निवेदन कर रहा हूं। आपने कहा है कि राज्यपाल महोदय सोवरीन हैं, ठीक हैं सोवरीन हैं या नहीं...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! मैं व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं करने दूंगा।

**श्री नत्थीसिंह** : यह ठीक है कि जनरली उनको डिस्कस नहीं किया जायगा।....

**श्री अध्यक्ष** : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। इस पर चर्चा नहीं होगी।

**श्री नत्थीसिंह** : आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत ही चर्चा कर रहा हूं...

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा उसके अन्तर्गत भी नहीं होगी। व्यवस्था व्यवस्था है, उस पर चर्चा नहीं होगी !

**श्री नत्थीसिंह** : मैं आपकी व्यवस्था के परे नहीं जा रहा हूं मैं उसके अन्तर्गत ही अर्ज कर रहा हूं। व्यवस्था के अन्तर्गत ही कह रहा हूं....

**श्री गिरधारीलाल व्यास**: (आसीन्द) अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर...

**श्री नत्थीसिंह** : जनरल वादविवाद नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए लेकिन यह एक विशेष परिस्थिति है इसलिए इस पर पूरी चर्चा...

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं किया जाय।

**श्री नत्थीसिंह** ×××

अध्यक्ष : वक्तव्य, भाषण अंकित नहीं होगा।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 58



**श्री नत्थीसिंह** :XXX

**श्री अध्यक्ष** : तमाम भाषण अंकित नहीं होगा !

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : व्यवस्था का प्रश्न है...

**श्री नत्थीसिंह** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

**नत्थी सिंह** : XXX

माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा !

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है !

**श्री नत्थीसिंह** : X X X

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं होगा !

**श्री गिरधारीलालव्यास** : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है उसके बाद माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि उस पर चर्चा करें। आपने व्यवस्था दी है कि गवर्नर महोदय हमारे स्टेट के हैड हैं। तो जिस प्रकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर

**श्री अध्यक्ष** : आप भी चर्चा नहीं करें ! आर्डर प्लील।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा नहीं हो !

**श्री अध्यक्ष** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : ( दांता रामगढ ) : चर्चा होगी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो व्यवस्था दी है उस पर कुछ भी नहीं कहना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद जो उस पर चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय को डिस्कशन में लाया गया और इससे पूर्व भी तीन चार दिन तक बराबर राज्यपाल महोदय को डिस्कशन में लाया गया है और उन पर आरोप लगाये गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर जो भी आरोप लगाये हैं उनको प्रासीडिंग्स से निकाला जाय !

**श्री रामचन्द्र आर्य** ( नोहर ) इस प्रकार के आरोप लगेंगे....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर !

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इस प्रकार का प्रश्न है....

**अध्यक्ष** : अंकित नहीं होगा !

**श्री रामचन्द्र आर्य** : X X X

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नही होगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य** :–X X X

**श्री विजयसिंह** : अंकित हो रहा है !

---

XXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 59



**श्री अध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी है।

**श्री मूलचन्द डागा** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

**श्री अध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी है इस पर......

**श्री मूलचंद डागा** : नयापाइन्ट आफ आर्डर है। व्यवस्था जब हो गई है तो उस पर कोई बात नहीं कही जा सकती और जो भी कही जा सकती है और जो भी कही जायगी वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बन सकती। मैं कहना चाहता हूं कि दो तीन दिन पूर्व भी कहा गया है और वह सदन की कार्यवाही का अंग बन गया है। तो क्या जो दो तीन दिन पूर्व कहा गया है वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं हो सकता, इसलिए मेरा निवेदन है कि वह भी एक्सपंज कर दिया जाय।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** : इस रूप में नहीं है यह व्यवस्था...

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं होगा !

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जायगा वह कार्यवाही का अंग...

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** :XXX

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में कुछ क्लेरीफिकेशन........

**श्री अध्यक्ष** : कोई क्लेरीफिकेशन नहीं होगा !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय आखिर.......

**श्री अध्यक्ष** : नो कन्वेंसिग, नो क्लेरिफिकेशन, नो चैलेंज ! (श्री रामानन्द अग्रवाल के बोलने पर) आप इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह ऐसा महत्व पूर्ण प्रश्न है........

**श्री अध्यक्ष** : महत्व पूर्ण है इसलिए ही बड़ी गम्भीरता से उस पर व्यवस्था दी है।

**श्री नत्थीसिंह** : आप हमेशा गम्भीरता से उस पर व्यवस्था देते हैं !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : राज्यपाल महोदय वहां जाकर........

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा नहीं होगी इस पर।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जो आर्डिनरी फंक्शन है.......

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! अंकित नहीं होगा।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : अंकित हो रहा है !

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 60



**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आखिर आप किस तरह से व्यवस्था चलाना चाहते हैं ?

**श्री अध्यक्ष :** व्यवस्था को चलाया है जिस तरीके से आपके इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने व्यवस्था दे दी है । माननीय सदस्य ! उस पर कोई चुनौती नहीं देंगे । मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा । मेरे पास दो आल्टरनेटिव हैं । मैंने कहा कि आप डिफाई कर रहे है । व्यवस्था को डिफाई कर रहे हैं । व्यवस्था को डिफाई कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह कान्स्टीट्यूशनल मैटर है.......

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री रामानन्दजी

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं निवेदन करना चाहता हूँ.......

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं....

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं होगा ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** XXX

**श्री पी. के. चौधरी :** आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ! अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसमें साफ आपने कहा है कि एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो सकती । आपने यह कभी नहीं कहा कि सब्सटेंटिव मोशन लायें ।

**श्री रामकिशन :** नहीं आ सकता ।

**श्री अध्यक्ष :** नो एडजोर्नमेंट मोशन ! नो सब्सटेंटिव मोशन ।

**श्री पी के. चौधरी :** व्यवस्था में कहा है कि चर्चा करना चाहते हैं तो एडजोर्नमेंट मोशन से चर्चा करनी है तो आपकी व्यवस्था के यह मायने हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** वाह ! भई वाह !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इसका मतलब यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन के द्वारा राज्यपाल महोदय के बारे में चर्चा नहीं हो सकती......

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** इसका मतलब यह है कि हम सब्सटेंटिव मोशन लायें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** लेकिन अकार्डिंग टू हिम सब्सटेंटिव मोशन के द्वारा चर्चा हो सकती है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आपका इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है, माननीय सदस्य !

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है, माननीय सदस्य !

**श्री रामकिशन :** पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था आ जाय ।

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं दे देता हूं व्यवस्था। माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैंने जो व्यवस्था दी है उसके अध्ययन से माननीय सदस्य जो आभास लेना चाहें वह ले लें। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह कोई गहराई से अध्ययन करने का नहीं है, वह सीधा सा प्रश्न है। मैंने व्यवस्था दे दी है, नियम बोलते है। व्यवस्था बोलती है। इसलिए यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री रामकिशन** : मुझे यह जानकारी करनी है....

**श्री मदनसिंह** : एक बात साफ है....

**श्री रामकिशन** : एक जानकारी लेनी है। आपने व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना नही है, जो कुछ आपने कहा है उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। आपने व्यवस्था में फर्माया कि राज्यपाल महोदय केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने केवल फाजिलका के सम्बन्ध में और चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में ही नहीं कहा बलिक केन्द्रीय सरकार...

**श्री गिरधारीलाल**: वापिस उसी पाइन्ट पर आ रहे है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसके ऊपर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करने दूंगा।......

**श्री रामकिशन शर्मा** : चर्चा उस पर हो नहीं रही है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

**श्री रामकिशन शर्मा** : मैं आपके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं कि इन्होंने केन्द्रीय सरकार की नीति का खण्डन किया हैं

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, व्यवस्था के बाद में कोई जानकारी नहीं लेना चाहता यह फोरम नहीं कि जहां व्यवस्था के बाद जानकारी ली जाय।

**श्री रामकिशन** : दो बातें उन्होने कहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री रामकिशन** : मैंने अभी बात कही ही कहां हैं...

**श्री अध्यक्ष** : कहने जा रहे हैं।

**श्री रामकिशन** : आपने पहले ही कैसे अन्दाज लगा लिया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं ?

**श्री अध्यक्ष** : आपका इस प्रश्न पर खड़े होना ही उचित नहीं हैं। मैंने व्यवस्था दे दी, उस पर कोई जानकारी नही लेना चाहता।

**श्री रामकिशन** : इससे जातीय दुर्भावना फैलती है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**श्री रामकिशन** : तो आखिर इसका इलाज क्या है ?

# Page No 62



**श्री मदनसिंह** : राजस्थान के राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में कोई भी तरह का आक्षेप नहीं किया जा सकता उसके ऊपर आपने व्यवस्था दे दी लेकिन इन जनरल मैं अर्ज कर रहा हूँ। कोई भी राज्य का राज्यपाल पाकिस्तान से सांठ गांठ करे, उसके सम्बन्ध में इस सदन में कोई सवाल उठाया जा सकता है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर यह कानूनी राय मैं नहीं दे सकता।

**श्री मदनसिंह** : अगर सांठ गांठ करे...

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री मदनसिंह** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

**श्री मदनसिंह** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : एक्सपंज्ड। अंकित नहीं किया जाय।

**श्री मदनसिंह** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

**श्री मदनसिंह** : राज्यपाल के अभिभाषण को क्रिटिसाइज किया है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं किया जाय।

**श्री मदनसिंह** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : Should not be recorded.

आर्डर।

**श्री रामनारायण चौधरी** : व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था कि माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है और अभी माननीय सदस्य ने अपमानजनक शब्द कहे हैं मदनसिंहजी ने...

**श्री मदनसिंह** : मैंने इन जनरल कहा है, किसी के खिलाफ कोई अपमान जनक शब्द नहीं कहे।

इस हाउस में सम्पूर्णानन्दजी के ऊपर डिस्कशन हुआ है...

**श्री नाथीसिंह** : पोथे भरे पड़े हैं।

**श्री केदारनाथ** ( गंगानगर ) : मैं आपकी व्यवस्था को मानता हूँ, व्यवस्था के आधार को मानता हूँ, पर जो व्यूज उन्होंने कन्वोकशन के समय एक्सप्रेस किये हैं, हरियाणा, पंजाब, भाखरा के ऊपर, पंजाब के फाजिलका और अबोहर के संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब की इस पर क्या राय है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं कोई राय नहीं लेना चाहता। प्रश्न मेरे और व्यवस्था के बीच में है।

**श्री केदारनाथ** : दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री रामनारायणजी चौधरी ने

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री केदार नाथ)
व्यवस्था का प्रश्न उठाया, तो क्या कोई गवर्नर अपने वर्ककाल में पोलिटिकल पार्टी........

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो, अंकित न हो।

**श्री केदारनाथ** : ×××

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : एक्सपंज होना चाहिये.।

**श्री केदारनाथ** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : कुछ भी अंकित न हो।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का आखिर समाधान कैसे हो, व्यवस्था का प्रश्न हरियाणा और पंजाब के बारे में....

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करने दूंगा।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता....

**श्री मदनसिंह** : प्रान्त के कोई गवर्नर विदेशों से मिल कर हमारे देश पर आघात करें तो हम कोई बात नहीं कह सकते ?

**श्री अध्यक्ष** : विधायी कार्य। इण्डियना-इजेशन के लिये....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : राज्यपाल के स्टेटमेंट के सम्बन्ध में रखे गये एड्जर्नमेंट मोशन के बारे में व्यवस्था दी गई है, सीरियस कान्स्टीटयूशनल पोइन्ट महसूस कर व्यवस्था में मेरिट्स पर जाने से पहले दलों के नेताओं से बात करते। एब्नोर्मल क्वश्चन है, नोर्मली कोई नहीं उठाता है, वक्तव्य एब्नोर्मल तरीके का है...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आखिर इसके आस्पेक्टस पर कि हमारा फ्रीडम आफ स्पीच,. राइट आफ स्पीच किस हद तक महदूद है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप क्या कहना चाहते हैं...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : दोनों तरफ मर्यादाएं हैं, जिनके भीतर हमें काम करना पड़ता है...

**श्री अध्यक्ष** : क्या विषय है, जिस पर आप बोलना चाहते हैं ? मेरे सामने अब कोई विषय नहीं है। माननीय सदस्य, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस वक्त इसकी चर्चा का विषय नहीं बनाये व्यवस्था के बाद।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपको इस पर विचार करना होगा...

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो। अंकित-नहीं किया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री रामानन्द मैं आपको नाम से पुकारता हूं

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 64



**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको नाम से पुकारता हूँ, इसके पहले कि मैं कोई आखिरी कदम लेऊं आपके खिलाफ। माननीय श्री रामानन्द।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ×××।

**श्री मदनसिंह** : आखिर गवर्नर के कार्यक्रम में, कार्य प्रणाली में बाधा डालते हों तो रोक सकते हैं, अगर कोई चाहे गवर्नर ही हो......

**श्री अध्यक्ष** : आप इस विषय पर चार पांच बार बोल चुके हैं। एक माननीय सदस्य एक बार बोलें, दो बार बोले पर आप चार पांच बार बोल रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें, श्री मदनसिंह दांता, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

मैं दूसरा विधायी कार्य लेना चाहूंगा।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : मैं जानकारी करना चाहूंगा राज्यपाल महोदय ने यह वक्तव्य परसनल कैपेसिटी में दिया या ऑफिशियल कैपेसिटी में ?

**श्री अध्यक्ष** : व्यवस्था के बाद। कोई जानकारी नहीं ली जा सकती। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**श्री रामनारायण चौधरी**: मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था...

**श्री अध्यक्ष** : मैं व्यवस्था दूंगा उस पर।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं जानकारी चाहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय ने स्टेटमेंट दिया है वह आफीशियल स्टेटमेंट है या प्राइवेट कैपेसिटी में है, इसका स्पष्टीकरण दें।

**श्री अध्यक्ष** : इस समय कोई स्पष्टीकरण इस प्रश्न पर नहीं किया जा सकता।

**श्री यशवन्त सिंह नाहर**: जो चर्चा सदन में चल रही है×+×

**श्री नरसींसिंह**: आप कहते ह कि राज्यपाल महोदय की कन्डक्ट पर यहां डिस्कस न करें लेकिन इंग्लैंड में भी जिनको सावरेन कहते हैं, वहां पर भी जनता को अधिकार है कि उनके कार्य कलापों पर भी विचार करें। जनतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार सर्वोपरि हैं, विधान के अंतर्गत हैं, इसलिए विधान की रक्षा करने के लिए, सावरेन की व्याख्या और इन्टरप्रिटेशन जनता के अधिकारों की रक्षा करके करना पडेगा...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री नरसींसिंह** : जमाना बदल गया है, यह मामला आगे भी चलेगा इसलिए उनको बचाया नहीं जा सकता....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री यशवन्त सिंह नाहर** (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, शासन की तरफ से आदेश हो जाने के बाद, नियमों का नाम लेकर मैं नहीं चाहता कि सदन में कोई विषय उठाये लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सदन की गरिमा हमें रखनी है, तो स्पष्टीकरण के नाम पर और विधान की

---

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

# Page No 65



(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
बात को लेकर अगर वास्तव में चर्चा करनी है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपको भी चर्चा नहीं उठाने दूंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आर्डर प्लीज। श्री भीखाभाई विधान सभा की आज्ञा के पश्चात् राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक १९७० को पुरः स्थापित करेंगे...

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हीराभाई : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय हीरा भाई।

श्री दौलतराम सारण: मैं एक दो सेकंड निवेदन करना चाहता हूं, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष : समाचार पत्र न पढ़ा जाय।

श्री दौलतराम सारण : नहीं पढ़ रहा हूं। सवाल यह है कि हमारे संवैधानिक प्रधान पर किसी प्रकार का आक्षेप हो क्या हो क्योंकि उनके पद की गरिमा कम होती है, परन्तु दूसरा प्रश्न हमारे सामने हैं कि अगर जिनका हमने इतना...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कहां से पैदा होता है ? अगर प्रश्न पैदा होता है, तो उसके परे नहीं हो सकता। इस प्रश्न का विवाद भी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट या जज को ताजिमी अख-तियार दिए हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई चर्चा नहीं।

माननीय सदस्य यह विचारणीय प्रश्न नहीं है।

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण: लेकिन....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : + +

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सारण। आर्डर प्लीज। अंकित न किया जाय। विधायी कार्य।

श्री दौलतराम सारण : .......

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** अंकित न किया जाय।

**श्री दौलतराम सारण** ×××

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सारण, मैं आप को नाम से पुकारता हू। मुझे बाध्य न करें आपके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए।

**श्री रामानंद अग्रवाल :** मैं इस बात को प्रेस नहीं करता जो आपकी व्याख्या है। लेकिन हम किसी सबस्टैंटिव मोशन के जरिए इस सवाल को उठायेगे।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुआ। विधायी कार्य। यूनिवर्सिटीज। इंडियेना-इजेशन।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मेरा ध्याना-कर्षण प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीखा भाई। विधान सभा की आज्ञा के पश्चात राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक १९७० को पुर: स्थापित करेंगे।

**विधायी कार्य-**

**राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० का पुर: स्थापना**

**श्रीमती सुमित्रा :** मैं राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक १९७० को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** सुमित्राजी भीखाभाई कब बन गई ?

**श्री अध्यक्ष** प्रश्न यह है कि विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखा जाय।

**श्री मती सुमित्रा :** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं और प्रक्रिया के नियम ६३ (१) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, १९७० (राजस्थान अध्यादेश संख्या ३ सन् १९७०) जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखती हूं।

**श्री अध्यक्ष :** भारतीयकरण। श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री भैरोंसिंह :** नेक्सट् टर्न पर लिया जाय।

(शोरगुल)

**श्री रामकिशन :** आज ही ले लिया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं राज्य सरकार......

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर व्यवस्था का प्रश्न**

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीयकरण के संबंध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भाई रामानन्द जी ने

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रखा है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जनसंघ की नीतियों का जो प्रतिपादन और प्रसार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें वह हमें भारी सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने दल की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि हमारी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न केवल वैधानिक दृष्टि से है। वह यह कि इसमें जो सूचना प्रसारित की गई है १३१ के अन्तर्गत, इसमें गृह मंत्री महोदय का नाम आकर्षित करेंगे। भारतीय करण की नीति, यह भारतीय जनसंघ का राजनैतिक दृष्टि से प्रस्ताव है जो पटना अधिवेशन में पारित किया गया हैं। मैं आपका ध्यान नियम १३१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

"A member may with the previous permission of the Speaker call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a latter hour or date.

There shall be no debate on such statment at the time it is made."

कुछ भी डिबेट हो मुझे ऐतराज नहीं। इस संबंध में जिस तरह से कार्यसूची में अंकित किया गया है प्रस्ताव पेश किया गया है। और जिस तरह से है उसके आधार पर, इस में लिखा है :

"श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जनसंघ नेताओं द्वारा भारतीयकरण के प्रचार से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

मेरी आपत्ति इस सम्बन्ध में केवल इस हद तक है कि यह प्रस्ताव लीजिए और दिन भर चर्चा हो, मुझे आपत्ति नहीं। आखिर एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में समाचार पत्रों में बहुत कुछ आया है और सम्पूर्ण देश में खलबली मची हुई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गृहमंत्री का ध्यान राजनैतिक फिलासफी के सम्बन्ध में, एक विचारधारा के सम्बन्ध में, एक सिद्धान्त के सम्बन्ध में, आकर्षित किया जाना, इसका औचित्य कहा पर है। १३१ में लिखा है कि सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे याने वह प्रश्न उससे सम्बन्धित होना चाहिए उसके बाद स्टेटमेंट देगे। भारतीयकरण की जो जनसन्घ की नीति है, यह राजनैतिक फिलासफी के आधार पर है, आदर्श और सिद्धान्त के तौर पर रीति और नीति है, उसके लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। ध्यानाकर्षण सम्बन्धित मंत्री महोदय का किया जा सकता है। इसलिए यह मोशन इस आधार पर डिफेक्टिव है इसको रिमूव किया जाय तो आपत्ति नहीं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये माननीय सदस्य...

**श्री अध्यक्ष** : पोइन्ट एट इश्यू आप समझ गये हैं कि गृह मन्त्री स्टेटमेंट दे सकते हैं या नहीं !

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : यह जानना चाहते हैं माननीय सदस्य ने कन्टेन्ट्स दिये हैं वे क्या हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैंने जो प्रस्ताव दिया था वह थोड़ा विस्तृत था। जयपुर से आये माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई वह आधारहीन है क्योंकि जनसंघ के भारतीयकरण के नारे के पीछे जिस प्रकार पत्रों के जरिये, भाषणों के जरिये और बातचीत के जरिये जो परिस्थितियां हमारे प्रांत में और विशेपतौर पर अल्पसंख्यकों के बारे में जो धारणायें आम जनता में पैदा की जा रही हैं, और अल्प संख्यकों के खुद के मन में जो डर की भावना पैदा की जा रही है वह एक लॉ एण्ड ऑर्डर के क्वेश्चन से सम्बन्धित है इस रूप में यह असंगत नहीं है। इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। गृह मन्त्रीजी का नाम लेते हुए राज्य सरकार को भी कहा गया है। कलेक्टिव डिसिजन होता है। एक विभाग के रूप में ही नहीं सारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। न ही माननीय सदस्य को आपत्ति होगी और न मुझे ही होगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मेरा आबजेक्शन टेकिनिकल है। रूल्स है। आप व्यवस्था दें। होम मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया है। गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता नियमों के अनुसार। किया है वह नियम-विरुद्ध है। मैं चर्चा को एवॉयड नहीं करना चाहता हूं।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : ग्रोन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

**श्री अध्यक्ष** : There isalready a point of order.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पैदा करता है जिसका ताल्लुक गृह मंत्री जी से है। डाइरेक्ट विभागीय तौर पर गृह मंत्री जी से ताल्लुक है। प्रशासनिक दृष्टि से पोलिटिकल रूप से सारी सरकार से ताल्लुक रखता है। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। वे इस सम्बन्ध में उत्तर देना चाहें तो आपत्ति नहीं। एक मंत्री के एवज में दूसरा मंत्री कार्य करता है यह अपनी परम्परा रही है।

**श्री शंकर लाल** (जैतारण) : एल १३१ है इसमें मिनिस्टर कन्सर्न्ड कहीं नहीं है :-

"A member may with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement........."

**श्री अध्यक्ष** : By implication, it means the Minister concerned.

ऑफ हैंड कोई दूसरा मिनिस्टर थोड़े ही जावेगा।

**श्री शंकरलाल** : मिनिस्टर और मेम्बर ऑफ दी केबिनेट। जॉइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ एण्ड ऑर्डर की बात है। मिनिस्टर कन्सर्न्ड नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसमें आगे लिखा है :

"A copy will be given to the Minister". To which Minister ?

**श्री शंकरलाल** : To the Minister whose attention he draws.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह निवेदन कर रहा हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : लॉ एण्ड ऑर्डर में गृह मंत्री आते हैं ।

**श्री मदनसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में ऐसा था कि कोई डिपार्टमेन्टल चीज होती उस पर तो ध्यान आकर्षित होता । एक वायड चीज है । राजस्थान का होम मिनिस्टर इसमें क्या व्यवस्था देगा ? यह कोई डिपार्टमेन्टल चीज थोड़े ही है...

**श्री अध्यक्ष** : व्यवस्था नहीं वक्तव्य देंगे ।

**श्री मदनसिंह** : यह तो बंगाल के सम्बन्ध में भी हो सकता था । कई बार बंगाल का प्रश्न आया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बाहर का प्रश्न है ।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : भारतीय लगा दें पीछे ।

**श्री नत्थीसिंह** : जयपुर से आये माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है कि १३१ का नियम पूर्णतया आता है । होम मिनिस्टर के अलावा और कोई मिनिस्टर नहीं जिसका इससे ताल्लुक हो । होम मिनिस्टर के विभाग में यह आता है और चीफ मिनिस्टर को कोई रोक नहीं है । नियमों के अनुसार ध्यान आकर्षण गृह मंत्री जी का ही हो सकता है और ध्यान आकर्षण किया गया है । कहां नहीं भारतीयकरण हो रहा है ? माननीय सदस्य ने इन्डियेनाइजेशन शब्द इस्तेमाल किया है, परम्परा के अनुसार किया है । हम बता देंगे कि भारतीयकरण कहां होना चाहिये ?

**श्री अध्यक्ष** : वह परम्परा क्या है उस पर भी तो प्रकाश डाल दें ।

**श्री रामकिशन** : अंग्रेजी की भक्ति का सवाल ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नत्थीसिंहजी ने इन्डियेनाइजेशन कहा तो इन्होंने कहा कि भारतीयकरण बोलें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : हम तो आपका भी भारतीयकरण कर देंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय लॉ मिनिस्टर ।

**विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, काल अटेन्शन मोशन जब दिया जाता है तो पर्टीक्यूलर मिनिस्टर का अटेन्शन डाइवर्ट किया जाता है । दूसरा मिनिस्टर बैठा हो तो वह भी पार्ट ऑफ दी गवर्नमेन्ट है, जॉइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काल अटेन्शन को सुन लेगा और जो नोटिस लेना

# Page No 70



(श्री बरकतुल्ला खां)

है वह ले लेगा । सारे निर्णय चीफ मिनिस्टर, और केबिनेट करते हैं और कोई मसला हुआ तो चीफ मिनिस्टर और केबिनेट के ध्यान में लावेंगे । गृह मंत्रीजी का यहां होना जरूरी नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सतीशचन्द्रजी ने नियम १३१ के अन्तर्गत जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस प्रश्न में दो बातें निहित हैं । प्रथम तो मेटर ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक अटेन्शन, द्वितीय मिनिस्टर कन्सर्न्ड । जहां तक मिनिस्टर की व्याख्या का प्रश्न है, जैसा माननीय श्री शंकरलालजी ने कहा कि बाई इम्प्लीकेशन मिनिस्टर कन्सर्न्ड भी हो सकता है किन्तु जॉइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से कोई भी मंत्री इस प्रश्न पर उत्तर दे सकता है । Minister means a member of the Council of Ministers even a Dy. Minister.

प्रश्न यह इतना महत्व का नहीं है जितना मेटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है । भारतीयकरण, नत्थीसिंहजी की भाषा में इन्डियेनाइजेशन और रामानन्दजी की अभिव्यक्ति में भी । भारतीयकरण का प्रश्न लोक सभा में भी उठा, लेकिन मुझे नहीं मालूम किस रूप में उठा। डिबेट के अन्तर्गत तो यह आया है, काल अटेन्शन के अन्तर्गत था या कैसे इसकी मुझे जानकारी नहीं है । इसकी जो व्याख्या की गई है समय समय पर, आरम्भ से लगा कर मध्य और अन्त तक तो इसकी व्याख्या में अन्तर होता गया । उस अन्तर के सन्दर्भ में भी नहीं जाना चाहता । प्रश्न केवल इतना विचारणीय ही है, मेटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का है या नहीं इतने महत्व का यह प्रश्न है जिसमें लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति समाविष्ट होती है । यदि यह प्रश्न इस तरह का है तो व्यवस्था दे सकता हूं ।

इस शब्द ने कुछ भ्रम पैदा किया है । इस भ्रम में लॉ एण्ड ऑर्डर के प्रश्न को समाहित करने का प्रयत्न किया गया है, और चूंकि जनसंघ पार्टी की नीति का यह प्रश्न है इसलिये इस प्रश्न के सन्दर्भ में राज्य की रीतिनीति में कहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न उस पर आता है, उस पर कोई असर है या नहीं है, यह दोनों ही प्रश्न हैं । इस शब्द की व्याख्या व्यवस्था पर कोई असर रखती है, यह भी एक भ्रम का विषय है ।दोनों ही भ्रम का इससे निवारण हो जायेगा । इसलिये यद्यपि श्री सतीशचन्द्रजी के व्यवस्था के प्रश्न में बहुत कुछ सार है, लेकिन मैं उस व्यवस्था को इतनी रीजिडिटी से इन्टरप्रेट नहीं करना चाहता हूं । इसलिये मैं उचित समझता हूं कि इस पर विचार हो जाये । माननीय सदस्यों ने यहां जिन नियमों का हवाला दिया है, मैं उन नियमों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं !
"A member may with the previous permisson of the Speaker call the attention of a Minister to any matter of public importance ....."

काल अटेन्शन घन्टे का नहीं, आधे घण्टे का भी नहीं, अधिक से अधिक पांच, या दस मिनिट तक का उसके बाद मिनिस्टर महोदय उसका उत्तर देंगे और उनके उत्तर देने के बाद......

(श्री अध्यक्ष)

There shall be no debate at the time it is made.

इसको ध्यान में रखते हुए आप आरम्भ रखें।

**श्री रामकिशन** : परम्परा है। अधिक समय दीजिये। यह ऐसा प्रश्न है......

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : जो निर्णय आसन की तरफ से दिया गया है, वह मान्य है। लेकिन इसी सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ। Regarding application of certain rules. मैं यह निवेदन कर रहा था कि बैटर यह होगा कि इसको रूल १२१ में कोट किया जाता तो सारे सदन को डिसकशन में भाग लेने का मौका रहता।

**श्री अध्यक्ष** : इसका इन्टरप्रिटेशन हो जायेगा। ऑर्डर ऑर्डर।

**श्री भैरोंसिंह** : एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। इस पर वाद-विवाद हो यह अच्छी बात है परन्तु एक बात है कि किसी पोलिटिकल पार्टी के रिज्योल्यूशन को काल अटेन्शन के रूप में स्वीकार किया जाये यह आप एक नई परम्परा का निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में सावधान हो जायें। इसके ऊपर खुल कर बहस हो इसका मैं स्वागत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं परम्परा के अन्तर्गत नहीं लेता हूं। जहां तक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है उसमें सार है। इसको मैं टेक्नीकली लेता हूं। चूंकि माननीय सदस्य इस भ्रम के निवारण में वाद-विवाद करना चाहते हैं इसलिये लिया है। किसी पोलिटिकल पार्टी की रीति-नीति के प्रश्न को लेकर कोई परम्परा यहां नहीं बनेगी।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-भारतीयकरण संबंधी

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर गृह मंत्रीजी और उनकी मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में दिसम्बर के महीने में पटना में भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में देश के अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में और राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्ध में, भारतीयकरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव की भी, अध्यक्ष महोदय, पृष्ठभूमि थी। पटना में यह प्रस्ताव आने से पहले जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज मधोक इस बात को लगातार प्रचारित कर रहे थे कि हमारे देश में मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक हैं और जिन की मांग पर हमारे अविभाजित भारत के दो हिस्से होकर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया है। ये मुसलमान लोग हमारे देश, हमारे राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हैं और इस रूप वे यह सिद्धान्त प्रतिपादित देशव्यापी पैमाने पर कर रहे थे कि या तो ये भारतीय मुसलमान अपने आपको तमाम तरीकों से धार्मिक, कल्चर, शैक्षणिक और सभी तरीकों से अपने रीति-रिवाज, परम्पराएं जो कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनके मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हैं, उनको छोड़ कर और पूरी तरह से हिन्दू धर्म के अनुयायियों के अनुसार अपने तौर तरीके रस्म-रिवाज, पूर्वजों के प्रति निष्ठा और इस प्रकार से अपने आपको ढाल लें, और यदि इस प्रकार से नहीं ढालें तो उनको इस देश में रहने कोई का अधिकार नहीं है और इसलिये उनको इस देश से निकाल देना चाहिये या वे स्वतः ही इस देश से चले जायें।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा केवल अभी उठाया गया हो ऐसी बात नहीं है। जब हमारे देश ने आजादी प्राप्त की और मुस्लिम लीग के द्वारा दो राष्ट्र के सिद्धान्त पर देश के विभाजन की और पाकिस्तान की मांग की जा रही थी तो उस समय भी जो हिन्दू सम्प्रदायवादी थे इन लोगों ने यह कहा था कि यदि मुसलमानों को मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार और अलग एक राज्य बना दिया गया तो फिर मुसलमानों को इस देश के अन्दर, भारतवर्ष के अन्दर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिये अगर पाकिस्तान बना दिया गया तो फिर मुसलमानों को सब को इकट्ठा करके पाकिस्तान भेज देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह बात केवल हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू साम्प्रदायिकों की उलझन हो सो बात नहीं है। पाकिस्तान में भी जो मुस्लिम सम्प्रदायवादी लोग थे उनकी समझ भी बिलकुल इसी प्रकार की थी कि पाकिस्तान हम मुसलमानों के लिये बना है और भारत के अन्दर जो हिन्दुओं का है तो पाकिस्तान में हिन्दुओं या सिखों को रहने का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास, यही सिद्धान्त था जिसने कि दुर्भाग्यवश हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक जबर्दस्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे कराये और साम्प्रदायिक दंगों की पृष्ठ भूमि में यह मानसिक समभ, मानसिक सिद्धान्त था कि हिन्दुस्तान में, भारतवर्ष के अन्दर पाकिस्ता के बनने के बाद मुसलमान नहीं रहने चाहिये और पाकिस्तानियों के दिमाग में यह था कि पाकिस्तान के बनने के बाद यहां हिंदू नहीं रहना चाहिये और इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह कोई बड़े पुराने इतिहास की बात नहीं है और खास तौर से जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अलवर और भरतपुर में खासतौर पर उस समय जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जबर्दस्त शाखाएं लगती थीं कैम्प उस समय भी लगे थे......

वहां उस समय अलवर में एन० बी० खरे प्रधान मंत्री थे। उन्होंने अलवर के रूलर की सलाह पर और भरतपुर के रूलर की सलाह पर इन दोनों स्टेट्स ने आपस में मेल मिलाप करके साजिश करके और भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करके अल्पसंख्यकों को निकालना और खदेड़ना शुरू किया। उसी प्रकार से हिन्दुस्तान में अलवर में एक आर्मी मिनिस्टर था जो मुसलमान था वह बहावलपुर गया वहां पर जाकर उसने यहां पर जिस प्रकार से अलवर और भरतपुर से अल्पसंख्यकों को निकालना शुरू किया उसी तरह से उन्होंने भी वहां से अल्पसंख्यक हिन्दुओं का बहावलपुर स्टेट के अन्दर से निकालना शुरू किया इसी तरह से सिखों को भी खदेड़ना शुरू किया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोफेसर बलराज मधोक जिन्होंने यह नारा दिया कि जो मुसलमान हमारे देश के प्रति वफादार नहीं हैं यह सवाल जो उन्होंने खड़ा किया यह इस भारतीयकरण के पीछे पृष्ठभूमि थी और यही पृष्ठभूमि सन् ४७ में साम्प्रदायिक दंगे कराने की पृष्ठ भूमि थी। वही पृष्ठभूमि टूनेशन थियोरी में थी। इसी के कारण मि० जिन्ना पाकिस्तान बनाने में सफल हुये। दो अलग अलग विचार धारा वाली पार्टियों जिनमें आपस में बहुत विरोध होते हुए भी इस तरह से सिद्धान्त रूप में दोनों एक मत थे। एक तो यह कहते थे कि यहां पर मुसलमान नहीं रहने चाहिये और दूसरे कहते थे यहां पर हिन्दू या सिक्ख नहीं रहने चाहिये। इसकी पुनरावृत्ति के रूप में हमारे देश में पिछले दिनों पांच वर्ष पहले यहां पर काफी साम्प्रदायिक दंगे हुये देश भर में खास तौर से मध्य प्रदेश में बिहार में कुछ उत्तर प्रदेश में और अभी थोडे दिनों पहले गुजरात के अन्दर हुए। इन दंगों के पीछे यही भूमिका रही, यही पृष्ठभूमि रही यही राजनैतिक सिद्धान्त काम कर रहे थे कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वे यहां से निकल जांय तो समस्या का हल हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह सूझ जहां तक हम समझते है देश के उन तत्वों की, सरमायेदार तत्वों की है जो एक विशिष्टवर्ग से है, जो अपने देश की अर्थ व्यवस्था में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं इसके कारण जिनके खिलाफ हिन्दुस्तान का मजदूर, मेहनतकश तबका किसान मजदूर छोटा तबका कर्मचारी संगठित होकर इस विशेष वर्ग के खिलाफ एक आर्थिक आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन कर रहा है। वही तबका हिन्दुस्तान की जनता के दिमाग में यह बैठा रहा है कि तुम्हारा शोषण तुम्हारी गरीबी के कारण जो विशिष्ट वर्ग है इजारेदार वर्ग है उनके हाथ से आर्थिक सत्ता छीनकर समाजवाद की व्यवस्था करना चाहते हैं यही इसका उद्देश्य हो सकता है। इस दिशा में सामाजिक अर्थ व्यवस्था को दूसरी दिशा में ले जाने की दृष्टि से हिन्दुस्तान के सरमायेदार और विशिष्ट वर्ग ने उनके अपने मन की बात कहने वाले है उनके माउथ पीस हैं, मन की बात कहने वाले हैं या इस तरह की पार्टियां हैं उनके जरिये यह विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज जो मजदूर किसान कर्मचारी छोटे दूकानदार बेरोजगार और विद्यार्थी वर्ग जो समाजवाद का बीड़ा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके दिमाग में यह बात भरी जा रही है कि तुम्हारा दुश्मन टाटा बिडला की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से चन्द लोग समाज की आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में लिये हैं वे यह प्रचार कर रहे है कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं, इनको खदेड़कर निकालो उनकी जमीन तुम्हें मिल जायगी मकान मिल जायगे, इस तरह से तुम्हारी बेकारी दूर हो जायगी और भूमि मिल जायगी। और इस तरह से बेरोजगारी की जो समस्या है वह भी हल हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, यह नारा देशव्यापी पैमाने पर जनसंघ ने भारतीयकरण के नाम पर आर्थिक दिशा से लागों का ध्यान हटाने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिये दिया है और इसको प्रान्तीय रूप में अलग अलग प्रान्तों में इनके जो सामान्य संगठन हैं वे इसी स्वरूप का प्रचार कर रहे है और उसको अपना रहे है। बम्बई में शिवसेना यह नारा लेकर चल रही है कि महाराष्ट्र से गैर महाराष्ट्रियों को निकाल दो तो समस्या हल हो जायगी। उनका जो रोजगार है वह तुमको मिल जायगा। इस प्रकार से यह भावना जगह जगह हर प्रान्त में इस प्रकार के सिद्धान्त रखने वाली पार्टियां है उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि में प्रो० बलराज मधोक ने यह नारा बड़े पैमाने पर देशव्यापी तौर पर देना शुरू किया जिसके फलस्वरूप देश के अन्दर भारी साम्प्रदायिक दंगे विभिन्न प्रान्तों के अन्दर हुए। इन साम्प्रदायिक दंगों पर विचार करने के लिये जब नेशनल इन्टीग्रेशन कोन्सिल की मिटिंग बुलाई गई उसमें इस बात पर विचार किया गया उसमें सिवाय जनसंघ को छोड़कर और जितने भी राजनैतिक दल इकट्ठे हुये थे उन्होंने सर्व सम्मति से यह निर्णय किया कि यह जो अल्पसंख्यकों के लिये भारतीयकरण का नारा दिया जा रहा है उनके लिये यह कहा जाय कि उनमें देशभक्ति नहीं है या वे हिन्दुस्तान के प्रति वफादार नहीं हैं यह कह कर उनके प्रति सन्देह व्यक्त करना साम्प्रदायिक तनाव को पैदा करने वाला है और यही चीज ऐसी है जो साम्प्रदायिक दंगों की जमीन तैयार करता है, और यही खाद उसको बल देता है। इस रूप में, मैं समझता हूं, सदन के माननीय सदस्य इस बात के जानकार हैं कि नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल ने जनसंघ की भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। उसमें यह बात कही गई है कि किसी भी अल्पसंख्यक जाति को या भिन्न धर्ममानने वाले के लिये यह कहा जाना कि उसका भारतीयकरण आवश्यक है, गलत है और जो लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं उनकी भर्त्सना की जाती है और इसके लिये देश के अन्य दलों से यह अपील भी की गई कि इसका जोरदार ढंग से खण्डन किया जाय। उस प्रस्ताव का जनसंघ के प्रतिनिधियों ने बायकाट किया।

अध्यक्ष महोदय, फिर इसके बाद देश में बड़े पैमाने पर खुला अधिवेशन पटना में हुआ। पटना के अन्दर प्रो० बलराज मधोक के समर्थन में जनसंघ की कार्यकारणी ने एक रेजोल्यूशन पास किया। अब तक जो प्रो० बलराज मधोक औपचारिक रूप से कह रहे थे उसको कोई फार्मल शेप नहीं दी गई थी पर जो जनसंघ की विचारधारा रही उसके अनुसार पटना में औपचारिक रूप से इस पर सील लगवाने के लिये प्रस्ताव पेश किया गया और कार्यकारिणी में वह प्रस्ताव मन्जूर हुआ। उस प्रस्ताव का आशय है जिनका भारतीयकरण सबसे ज्यादा करने की आवश्यकता है उनमें ९९ प्रतिशत मुसलमान हैं। जिनकी कि आस्था हिन्दुस्तान के साथ न होकर पाकिस्तान के साथ है उस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि जब देश का विभाजन हुआ तो मुसलमानों की बहुत बड़ी मेजोरिटी ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। यद्यपि उस समय वोट देने का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आधार सीमित लोगों को ही था । प्रोपर्टी के आधार पर था ।

जब वह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में गया तो वहां पर जो दो चार पांच मुसलमान इस बात को दिखाने के लिये कि सब मजहब के लोग हमारे संगठन में भी हैं, वहां पर लाये हुए थे वे भी बर्दाश्त नहीं कर सके और एक मिनिस्टर तातारी ने संशोधन रखा कि यह जो माग है कि ६६ प्रतिशत मुसलमान सम्बन्धित हैं, वे शब्द निकाल दिये जावें और अटलबिहारी वाजपेयी ने उनके कहने पर संशोधन मान लिया और वे शब्द वापिस निकाल दिये गये ।

तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरीके से भारतीय जनसंघ ने पटना में प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम भारतीयकरण रखा ।

संघ के गुरु गोलवलकरजी हैं सर संघचालक उन्होंने अपनी पुस्तक बंच आफ थोट और इण्डियन नेशन आफ कोडीफाइंग में अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह भारतीयकरण का नारा उन्हीं विचारों का औपचारिक ढंग से रिफ्लेक्शन है जो भारतीय जनसंघ न अपने संगठन के लिये कहा है और अपने संगठन के लिये अपनाया है और बड़े पैमाने पर राजनैतिक नारे का रुप इसे दिया है जिसका असर हमारे राजस्थान में भी हो रहा है ।

यह भारतीयकरण शब्द क्यों रखा गया । अध्यक्ष महोदय, आखिर यह वोट का जमाना है । पिछले चार चुनावों के अनुभव ने उनको मजबूर किया है । पहले वे हिन्दूकरण की बात कहते थे । इससे एक भी मुसलमान का वोट उनको मिलना नामुमकिन हो गया था । इसलिये इसको ऐसा नाम दिया गया है जिससे उनके इरादों पर पर्दा डाला जा सके ।

अटलबिहारीजी ने जो स्पीच दी उससे भी जाहिर है । कांग्रेस का विघटन हो गया है । पर दोनों कांग्रेस वाले कम से कम धर्म निरपेक्षता के मामले में एकमत हैं । तो सिंडीकेट से और स्वतन्त्र पार्टी से अलायेन्स करने के इरादे से इनको भी हिन्दूकरण की बात छोड़कर भारतीयकरण की बात अपनानी पड़ी है । पर अन्दर से सूरत वही है । प्रकारान्तर से अध्यक्ष महोदय यह वही नारा है जिसका प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सन् २४ से प्रतिपादित करता आया है और जिसको जनसंघ ने अपने जन्म के साथ अपना लिया है । और अब पटना अधिवेशन में उस पर अपनी औपचारिक मोहर लगाकर उसके मुताबिक तेजी से काम करने का निर्णय लिया है ।

आखिर इनका भारतीयकरण से क्या मतलब है । इस सम्बन्ध में जनसंघ के कुछ पत्रकार जिनमें एक गुरुदत्त जी हैं ने व्याख्या की है । उनके कुछ अंश में पढ़कर सुनाना चाहता हूं । उनकी समझ के अनुसार जो भी हिन्दू नहीं है वह देशद्रोही है ।

**श्री मदनसिंह** : आप हिन्दू हैं कि नहीं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आगे जनसंघ

Page No 76



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के साहित्यकार ने पंडित नेहरू : एक वृत्त चित्र : के पृष्ठ ३३५ पर लिखा है :

कोई भी व्यक्ति जब तक वह इसलिये मजहब पर निर्भर रहता है अपने आपको हिन्दुस्तान जिसमें मुसलमान की संख्या दूसरे मत वालों से कम है को नागरिक नहीं मान सकते।

तो यह समझ उनकी इस बारे में है। बंच आफ थाट में लिखा है पृष्ठ ५३ पर कोई व्यक्ति या तो हिन्दू हो सकता है, या कम्यूनिस्ट। वह दोनों नहीं हो सकता।

**श्री मदनसिंह** : आप हिन्दू हैं कि नहीं। अच्छा लिखा है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह ठीक लिखा है।

**श्री एक माननीय सदस्य** : आपको ही करना है, बाकी को नहीं करना है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं मानता हूं आपके कुछ लोग उधर (कांग्रेस पक्ष) भी बैठते हैं। एक किताब गुरुजी ने लिखी है "वी एण्ड आवर नेशन हू डिफाइन" इसमें लिखा है : भारत में रहने वाले अहिन्दुओं को हिन्दू संस्कृति व भाषा अपनानी होगी तथा हिन्दू धर्म की पूजा तथा श्रद्धा करनी होगी तथा हिन्दू नेशन संस्कृति तथा गौरव के अतिरिक्त अन्य किसी विचार को अपने हृदय में स्थान नहीं देना होगा। यही नहीं, हिन्दू राष्ट्रीयता हमारे जीवन की आधार शिला है और हिन्दुस्तान हिन्दू जाति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

तो उनके विचारों के अनुसार जो भी हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाला है उनमें से उन्हीं को रहने का अधिकार है, उन्हीं को देशभक्त कहलाने का अधिकार है जो कि हिन्दू हैं हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं उनके रस्म रिवाज सभी तरीके की पूजा उपासना करने वाले हैं वे ही लोग हिन्दू हो सकते हैं उन्हीं को यहां रहने का अधिकार है।

श्री **अध्यक्ष** : अब आप समाप्त करेंगे माननीय सदस्य।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : पांच सात मिनिट में।

अध्यक्ष महोदय फिर गुरुजी कहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल हिन्दू ही राष्ट्रवादी हैं।

आगे जाकर फिर कहते हैं : और लोग ? किसी ने कहा, जन्म से कोई किसी मजहब का मानने वाला नहीं होता। यह अन्य के लिये सत्य हो सकता है, पर हिंदू के लिये नहीं। हिन्दू जब माता के गर्भ में होता है तभी वह प्रथम संस्कार प्राप्त कर लेता है। अतः उसका अस्तित्व जब तक वह रहता है तब तक वह अपने को समर्पित किये रहता है। हिन्दू में १६ संस्कार होते है। वास्तव में वह माता के गर्भ में पडने के पहले ही हिन्दू है। व्यक्ति जब संसार में उत्पन्न होता है तब बाद में ईसाई या मुसलमान बना दिया जाता है।

ईसाई या मुसलमान तो जन्म लेने के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बाद बनते हैं पर हिन्दू गर्भ से ही बनकर आता है। यानि यह सारी व्याख्या इस तरह से की गई है।

फिर धर्म निरपेक्षता के सम्बन्ध में भी सुन लीजिये। पिछली २२ फरवरी को दिल्ली में प्रवचन करते हुए गुरु गोलवलकर ने कहा कि धर्म निरपेक्षता की बात करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि उनका यह कहना है कि आज यहां की जो हमारी प्रधानमन्त्री हैं इन्दिरा गांधी वह भी हिन्दू नहीं है। पारसी है। और उनका कहना इस रूप में है कि जो यह सरकार है वह हिन्दुओं की नहीं है। इस रूप में ऐसे लोगों की है जिनको देशभक्त नहीं कहा जा सकता। यह ६ फरवरी ७० के पांचजन्य में लिखा है। पांचजन्य की यह शिकायत है। भारत की प्रधानमन्त्री पारसी महिला है। वाणिज्यमन्त्री मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान है। प्रधान सेनापति पारसी है। लोकसभाध्यक्ष सिक्ख है सुरक्षा मन्त्री सिक्ख है। राज्य के उपाध्यक्ष ईसाई हैं। इनके हिसाब से इस तरह से यह सरकार भारतीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय आश्चर्य यह है कि कहने को यह कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृति-हमारे देश की, हमारी प्रेरणा स्त्रोत होनी चाहिये उन गुरुजी से प्रेरणा लें और अपने राष्ट्र का निर्माण करें यह बात माननीय जनसंघ के सदस्य कहते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि प्रेरणा स्त्रोत देश की प्राचीन संस्कृति नहीं है लेकिन हिटलर का नाजीवाद है गुरुजी लिखते है—

"जर्मनों का जातीय स्वाभिमान आजकल हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। अपनी जातीय व सांस्कृतिक शुद्धता को बनाये रखने के लिये जर्मनों ने यहूदी जैसी जातियों को देश से निकाल दिया। जर्मनों ने यह भी दिखा दिया है कि जिन जातियों और संस्कृतियों में परस्पर मौलिक भिन्नतायें हैं, उनका एक साथ घुलमिल कर रहना कितना कठिन है।" यह हिन्दुस्तान को सीखने व लाभ उठाने के लिये अच्छी सीख यह जनसंघ की प्रेरणा स्त्रोत भारतीय संस्कृति है? या जर्मन संस्कृति है? भारतीय प्राचीन हमारे शास्त्र हैं या यह नासिक का लिखा हुआ पोलिटिकल शास्त्र हमारे शास्त्र है, यह माननीय सदस्य इस बात से देख सकते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: यह काहे में से पढ़ा है?

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: किताब में से पढ़ा है गुरु गोलवलकरजी की है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: हिन्दी ट्रान्सलेशन उसका है ही नहीं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: आप अंग्रेजी में पढ़कर बता देना।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: हिन्दी में है ही नहीं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: यह कहना कि जिन मुसलमानों ने अपने राष्ट्र में गजनी से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आकर जुल्म किया था उसका बदला लिया जाना चाहिये। यह कहना कि सोमनाथ का मन्दिर तोड़ा गया और जो माल लूटा गया उसका केपीटेशन टैक्स मुसलमानों पर लगा कर वसूल किया जाना चाहिये। आर्गेनाइजर पत्र जिसे भारतीय जनसंघ ने डिसक्लेम किया है कि वह उसका आफिसियल पत्र नहीं है, लेकिन फोर आल प्रेक्टिकल परपजेज भारतीय जनसंघ की थ्योरी को प्रतिपादित करता रहा है–२६ मई, १९६८ के आर्गेनाइजर में लिखा है–"जब सोमनाथ के मन्दिर को नेश्तनाबूद किया गया तो मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार भी उसकी विपुल सम्पदा लूटी गई थी। अब जबकि हिन्दुओं के सद्प्रयत्नों से मन्दिर का पुन: निर्माण कर दिया गया है, क्या सरकार हिन्दुओं की हुई हानि का मुआवजा देने के लिये रास्ता निकालेगी ? देश के सभी मुसलमानों पर कैपीटेशन टैक्स लादा जाय तथा वह तब तक रखा जाय जब तक कि काफी मात्रा में राशि एकत्रित न कर ली जाय तथा उसे नये सोमनाथ मन्दिर के संचालकों को न सौंप दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के विचार·········

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं········ इस प्रकार के विचार जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ जो कि एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, संगठित हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं और सदन सारा जानता है आज किस प्रकार से इन विचारों को लेकर हमारे नौजवानों के दिमागों में इस जहर को फैलाने की कोशिश की जाती है। बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में पिछले दिनों जो घटनायें हुई हैं उसमें जो एन्क्वारी बैठी है और वहां पर किस तरह से आर०एस०एस० ने अपना भवन बनाकर इस जहरीली विचार धारा को वहां पर फैलाया और इसके जरिये वहां पर कितनी प्रकार की अप्रिय घटना हुई, जिसके अनुसार उस विश्वविद्यालय को कितने अर्से तक बन्द रहना पड़ा

(१. ३५. म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

इसी विचार धारा को लेकर आज राजस्थान में भारतीय जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हमारी शिक्षण संस्थाओं में, हमारी यूनीवर्सिटीज के अन्दर अपने पावों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं. इस जहरीले प्रचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और नौजवानों को राष्ट्रीयकरण के आधार पर गलत समझाकर उस संकुचित दृष्टिकोण वाले रास्ते को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर ईमानदारी से कहीं जनसंघ के प्रवक्ताओं में या आर० एस० एस० के प्रवक्ताओं में भारत की जनता के प्रति यह हमदर्दी होती, उनकी संस्कृति के प्रति हमदर्दी होती और राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती तो फिर जनसंघ मजदूरों में, किसानों में छोटे कर्मचारियों में, छोटे छोटे दुकान-

# Page No 79



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दारों में शोषण की नीति नहीं रखता और जो पूंजीपति समाज कर रहा है या ये राजा-महाराजा कर रहे हैं या जो विशिष्ठ वर्ग कर रहा है उस विशिष्ठ, वर्ग के खिलाफ सहयोगी नहीं होता और उनके खिलाफ कदम उठाता परन्तु यह दृष्टिकोण नहीं है अपितु उसके विपरीत उन विशिष्ठ वर्गों की सेवा करने के लिये एक काऊन्टर रिवोल्यूशन के रूप में अग्रिम रहा है। और आज उसका शिकार मजदूर बन रहा है, विद्यार्थी वर्ग बन रहा है उन तमाम बातों ने हमारे राष्ट्र को कमजोर किया है। उस अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को तिलांजलि देकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? सभापति महोदय जनसंघ के इस राष्ट्रीयकरण के नारे ने साम्प्रदायिकता का जहर फैलाकर देश के नौजवानों के प्रति देश की जनता के प्रति गद्दारी की है। जन संघ ने निहित स्वार्थों की रक्षा लिये, सामन्तों और बड़े बड़े लोगों की रक्षा के लिये इस नारे को देकर अपने नापाक इरादों को छिपाने का इस राष्ट्रीयकरण की चद्दर से ढकने का प्रयत्न कर रहे हैं। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इसी दृष्टि से मैंने राज्य सरकार के समक्ष अपने विचार रखे हैं और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि आज इस नारे के शिकार आपके तनख्वा पाने वाले शिक्षक, स्कूल के बच्चे भी हो गये हैं। इस जहरीले नारे के शिकार हो चुके हैं सभापति महोदय, इसलिये इसको तिलांजलि देनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विचारधारा राष्ट्रपिता की हत्या करने का कारण बनी उस विचारधारा को पुनरजीवित करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज सभापति जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर राजनैतिक चेतना बहुत पीछे आई है, जहां ऐसे सामन्ती तत्व, पुराणपन्थी तत्व, की बहुत बड़ी तादाद है, जहां शिक्षा का परसेन्टेज बहुत कम है वहां इस प्रकार की क्रांति का वातावरण यह बना सकते हैं। आज इस प्रकार के प्रचारों से अल्पसंख्यकों के अन्दर भारी डर की भावना पैदा हो रही है कि हमको सैकिण्ड क्लास सिटिजन्स बनाना चाहते हैं और ऐसा सोचने लगे हैं कि यदि हम इनकी मरजी पर यहां रहें तो रहें नहीं तो पाकिस्तान जायें। यही कारण है सभापति जी कि माननीय जनसंघ के नेता कोई भी विशेष मोशन, कोई भी विशेष सबजेक्ट जो भी वह डिसकस करना चाहें। वह इस प्रकार के दृष्टिकोण को जिनसे या तो पुराने विचारों को प्रोत्साहन मिले या जिनसे बड़े बड़े लोगों की सेवा हो, सामन्ती वर्ग की सेवा हो—इस प्रकार के इश्यूज को लेकर ही वह आगे चलना चाहते हैं। जब जनता आज क्रांति की ओर देखती है तो पटना में इन पुराने नारों में और सफेद चद्दर ढांककर मजदूरों और किसानों की बात करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माननीय जनसंघ के नेता टाइट रोप वाकिंग गरीबों की बाते कहकर चले जाते हैं और बोलने का मौका आये कि राजाओं के प्रिवीपर्स के समाप्त करने का मौका आया तो पेशाब का बहाना लेकर बाहर निकल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाते हैं। तो यह रास्ता अपनाने का कोई निजी कारण नहीं है। वह अपनी पार्टी के सोल्जर्स हैं और उनको अपने अनुशासन में रहना भी चाहिए परन्तु मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा से उन तमाम लोगों को जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं जो देश में सेकुलर डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं, जो देश को समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं इन विचारों से जो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़े ताकतवर हैं उनको आप जबरदस्ती प्रोत्साहन देंगे। उनसे आप कम्प्रोमाइज करके चलेंगे जैसी कि आपकी नियत है कम्प्रोमाइज करके चलने की। आपने कभी मजदूरों के बारे में नहीं कहा है और जब उदयपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए, यूनीवर्सिटी के लड़कों के बारे में कुछ हुआ तो कहा है।

सभापति महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सरकूलर निकलने के बाद भी कि आर० एस० एस० एक राजनैतिक संगठन है और उसके लिए गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स को मना कर देना चाहिए कि वह इसमें हिस्सा नहीं लें तब भी आपकी गवर्नमेंट ने उस सरकूलर के ऊपर अमल नहीं किया है। नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल ने आपके ऊपर जिम्मेदारी रखी थी कि प्रत्येक क्लेक्टर और एस० पी० के ऊपर पाबन्दी लगाई जाय कि साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो तो यह उनकी जिम्मेदारी है रोकने की। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस ओर कदम उठाया है? अभी तक आपका उत्तर नहीं गया है राष्ट्रीय इन्ट्रीग्रेशन कौंसिल के संबंध में जो निर्णय था जिसके ऊपर आपको अमल करना था। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भारतीयकरण नारे के पीछे, इसके छद्मवेष में जिस प्रकार का विषैला प्रचार किया जा रहा है उसकी ओर मैं सरकार का और गृहमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

( श्री रामकिशन, श्री मदनसिंह, श्री यशवंतसिंह नाहर बोलने के लिए खड़े हुए )

**श्री सभापति :** नियमों के अनुसार...

**श्री रामकिशन :** ( वेर ) यह नियमों के अनुसार नहीं चलेगा। यह विषय दूसरे प्रकार का है।

**श्री यशवंतसिंह नाहर :** डिबेट नहीं होगी।

**श्री मदनसिंह :** इस पर चर्चा होगी।

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर। श्री श्री रामकिशन।

**श्री रामकिशन :** सभापति महोदय, मैं चाहता तो यह था कि भारतीयकरण की जो व्याख्या है और भारतीयकरण का जो विचार है माननीय जनसंघ के नेता उस संबंध में अपने विचार प्रकट करते। पता नहीं वे किस कारण से इस मामले में इस समय बोलना नहीं चाहते......

**श्री मदनसिंह :** मैं बोल रहा था स्वयं सेवक के नाते।

**श्री रामकिशन** (वेरे) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस

(श्री रामकिशन)

प्रकार की चर्चा निश्चित तौर पर देश में लाभकारी हो सकती है, इससे नुकसान नहीं है बशर्ते कि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, इसके सांस्कृतिक पक्ष को और दूसरे सारे दलों के राजनैतिक इतिहास को समझने की कोशिश करें। आज पटना में जनसंघ के नेताओं ने भारतीयकरण की व्याख्या की है या मुसलमानों को लक्ष्य बनाया है वह जनसंघ का इतिहास, उसकी कहानी और हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े हुए मुल्क में साम्प्रदायिक राजनीति की परिणति का परिणाम है। मैं समझता हूं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जितनी चिन्ता व्यक्त की है उनको इसके बारे में इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक जनसंघ का सवाल है जनसंघ आज खुद भी भारतीयकरण के बारे में कुछ नहीं कह पाता है। उनके अन्तः मन में क्या है इसके विवेचन करने का अधिकार यों तो सभी को है। जो उनके डाकुमेन्ट्स हैं, जो उनके प्रस्ताव हैं और २० सालों में जो जनसंघ के प्रस्तावों में बदलाव आया है हमारे सामने वही मसाला है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। पटना में जनसंघ के विचार थे, देश में दूसरा वातावरण हुआ, वहां के लोगों ने जो भी कहा उसको बदल दिया। लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार हूं और यह सच्चाई भी है कि जैसा मैंने कहा था कि जनसंघ तंग दिल हिन्दुओं की पार्टी है, बड़े हिन्दुओं की नहीं है। बड़े हिन्दू तो कांग्रेस में और स्वतंत्र पार्टी में बैठे हुए है। लेकिन आज से २० साल पहले १५ साल पहले जिस जनसंघ का निर्माण हुआ था अगर आज यही मानकर चलें कि जनसंघ की वही नीतियां हैं तो मैं कहूंगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भ्रम में है। वह जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं वह चाहे प्रगतिशील न हों, लोक कल्याणकारी न हों लेकिन उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो जनसंघ के बारे में जो पूर्व धारणा थी मैं समझता हूं कि उसे बदलने की जरूरत है। और वह नहीं बदली होती तो ६७ के चुनावों के बाद जनसंघ के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी होती जनसंघ के साथ सोशियेलिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी होती और जनसंघ के साथ दूसरी पार्टियों के साथ सयुक्त सरकारें नहीं बनी होती। उत्तर प्रदेश में बनी है, बिहार में बनी है। तो सभापति महोदय, यह भारतीयकरण है क्या ? हम भी चाहते हैं भारतीयकरण हो। अब भारतीयकरण की परिभाषा माननीय सदस्य बताये तो समझ में आये। लेकिन जहां तक मेरा मतलब है भाषा के मामले में, वेशभूषा के मामले में, भोजन के मामले में, भवन के मामले में भारतीयकरण की जरूरत है। आज हिन्दुस्तान के शहरों को देखा जाये, या बम्बई, कलकत्ता को देखा जाय, जयपुर को देखा जाये और कोई विदेशी मिल जाये तो वह समझ नहीं सकता कि वह यूरोप में है या हिन्दुस्तान के किसी शहर में। भजन, भोजन, वेशभूषा आदि सभी मामलों में गैर भारतीय होते चले जा रहे हैं। इस तरह के भारतीयकरण की बहुत जरूरत है। उसके बगैर न आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, न सांस्कृतिक उत्थान कर सकते है। जहां तक मुसलनानों के संबंध में जनसंघ का विचार है वह रखें लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि हिन्दुस्तान का मुसलमान कभी भी गैर

(श्री रामकिशन)

जिम्मेवार या गैर वफादार नहीं रहा है ? क्या वह कभी राष्ट्रद्रोही रहे हैं ? इतिहास इसका प्रमाण देने को तैयार है। यों तो मुसलमानों में भी हो सकते हैं और हिन्दुओं में भी हो सकते हैं लेकिन हम इतिहास को पढ़ें तो उससे ज्ञान हो जायेगा। क्या कोई कह सकता है कि टीपू सुल्तान से ज्यादा कोई और वफादार था ? रजिया बेगम और लक्ष्मीबाई को ले लें। क्या आप बता सकते हैं कि रजिया बेगम का क्या इतिहास था। हमारे वर्तमान काल में क्या अब्दुल-गफ्फार खां से बड़ा कोई वफादार मुसलमान हो सकता है ? हमारे देश पर पाकिस्तान का हमला हुआ। उस समय कोई हमीद खां की कुर्बानी को भुला सकता है, क्या अयूब खां के करेक्टर को कोई भुला सकता है। सम्पूर्ण रूप से हिन्दू हमेशा अपने मुल्क के प्रति वफादार रहें हों यह मैं नहीं मानता। यह जयचन्द जयचन्द की कहानी आखिर क्या कहानी है ? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूरी जाति को ही अपवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि शिवाजी का सिपहसालार कौन था, अकबर का सिपहसालार कौन था। अकबर के लड़ने वाले कौन थे ? उस समय में एक सामन्त दूसरे सामन्त पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। मैं समझता हूं जयपुर के रहने वाले तो सभी लोग जानते हैं कि अकबर की फौज का सबसे बड़ा सिपहसालार कौन था और शिवाजी का कौन था ? राजसत्ता के लोभ में हिन्दू ने हिन्दू का और मुसलमान ने मुसलमान का गला घोंटा है। मुसलमान एक जाति होती, एक राष्ट्र होता, धर्म होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद गौरी ने हमला किया, बाबर ने किया।

तो हमें इतिहास हिन्दू-मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखना पड़ेगा। हमें इतिहास देशी और विदेशी की हैसियत से देखना पड़ेगा। बाबर विदेशी था जब वह आक्रमण करने आया। लेकिन उसका पोता अकबर देशी हो गया। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी देशी थे लेकिन उनका खानदान यहां रह गया तो देशी हो गया। हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई कोई नहीं रहीं। आक्रमणकारी और आक्रामक की रही है, विजेता और विजित की रही है। इस दृष्टि से हमें इतिहास का विवेचन करेंगे तो इस देश को सही दिशा मिलेगी।

विभाजन के समय मुसलमानों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। पाकिस्तान के बनने में तीन तत्व मुख्य रूप से रहे है-हिन्दू कट्टरता और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम होगा कि भारत-विभाजन के समय कम्यूनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी। उनको शायद खयाल होगा क्योंकि ये बहुत होशियार और मैं भी अपने तरीके से जानकारी रखता हूं कि गांधी-जिन्ना वार्तालाप भंग हो गई तो पी० सी० जोशी, पूरणचन्द्र जोशी जो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे उन्होंने एक किताब निकाली उसमें कहा था कि गांधी-जिन्ना फिर मिलें। वार्तालाप टूटने का कारण क्या था ? वार्तालाप टूटने पर गांधी ने विभाजन का विरोध किया था और जिन्ना साहब ने विभाजन पर जोर दिया था। पी०

(श्री रामकिशन)

सी० जोशी ने जो उस वक्त तक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने किताब निकाली कि गांधी—जिन्ना फिर मिलें। यह किताब यहां आजादी तो यह चर्चा उपयोगी चर्चा हो सकती थी नये इतिहास को शुरू करने के लिए और इतिहास की गलतियों को निराकरण करने के लिए उस अध्याय को शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा नतीजा निकल सकता है। सभापति महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी न किसी तरह से मुस्लिम लीग का समर्थन किया था।

जहां तक जनसंघ का सवाल है तो जनसंघ की आर्थिक नीतियां दकियानूसी हैं। उन दकियानूसी नीतियों में जन-आन्दोलन से थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन का प्रक्रियाओं को तेज करना चाहते हैं या मन्दा करना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर से ये शक्तियां संगठित हैं। ये इतिहास की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से आक्रामक शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों को तोड़ने के लिए कौन से प्रयास करने चाहिए मैं समझता हूं कि जब तक देश की दृष्टि से, हिन्दू रिलीजन की दृष्टि से विचार नहीं करेंगे, हम किसी नतीजे पर नही पहुंच पायेंगे।

आपके पुराने मुसलमानों पर बहस होती है तो आज दो मुसलमान दुनियां में ऐसे हैं। मुबारक शाह कौन हैं? तारिक अली कौन हैं। तारिक अली पूर्वी पाकिस्तान के नवयुवकों का नेता नहीं है वह सारे इंग्लैंड के नवयुवकों का नेता है। मुबारक शाह हैं जो भारत-विभाजन के बाद निरन्तर पश्चिमीपाकिस्तान की जेल में रहते हुए हिन्दू-मुसलमान और हिन्दुस्तान फेडरेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुबारक पाकिस्तान शाह का आज हिन्दुस्तान में कोई आदमी ऐसा है जो अपने अहद के लिए जुझता रहा। भारत-विभाजन का विरोध जवानी करते रहे। भारत का विभाजन हो गया फिर भी न तो करोड़ों हिन्दू जेलों में गये और न लाखों मुसलमान जेलों में गये। विभाजन को स्वीकार करने में देश में हिन्दू कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल और थके हुए राजनीतिज्ञों का कुर्सी का लालच वह एक तरह से भारत-विभाजन के लिए जिम्मेदार है। इस विषय में दो किताबें प्रमाणिक हैं, एक तो मौलाना आजाद की लिखी हुई इंडिया विन्स फ्रीडम और दूसरी डाक्टर राम मनोहर लोहिया की भारत-विभाजन के अपराधी" मैं समझता हूं कि दोनों किताबें साथ-साथ पढ़े तो हमें पता लगेगा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाले तत्व ही भारत-विभाजन के अपराधी हैं।

तो, सभापति महोदय, हम भारतीय-करण के नारे में फसेंगे नहीं, क्योंकि यह जनसंघ का दृष्टिकोण है। वह राष्ट्रीय पार्टी की तरह से किसी तरह की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि इसको हमें समझ लेना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि जनसंघ का भारतीयकरण करना बहुत जरूरी है। जनसंघ दूसरे लोगों का भारतीय-

(श्री रामकिशन)

करण करना चाहता है और हमें जनसंघ का भारतीयकरण करना बहुत जरूरी है सीमा का अर्थ भारत है तो मैं समझता हूं कि सीमा की पूजा करलें तो इनसे बड़े लोग कोई नहीं हैं। कच्छ का सत्याग्रह हुआ था तो होता क्या था कि कई लोग गिरफ्तार होते थे तो उसकी मिट्टी सिर पर लगाते थे और भारत माता की जय बोलते थे। लेकिन सबसे बड़ी सीमा है हिन्दुस्तान की जनता की गरीबी मिटाना और पूंजीपतियों का विनाश। आर्थिक दृष्टि से जनसंघ का भारतीयकरण करना है। कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीकरण और ज्यादा जरूरी है और वह इस तरह के मामलों में ज्यादा जरूरी है कि आज वे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो जब चीन का हमला हुआ था तो रामानन्दजी को खयाल होगा कि मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी दोनों का विभाजन नहीं हुआ था तो रामानन्द जी को मालूम होगा कि जब हम यह कह रहे थे कि हमला हुआ है तो वे कह रहे थे कि सीमा की घटना है...

**एक माननीय सदस्य** : अतिक्रमण।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : हमले और अतिक्रमण में क्या फर्क है ?

**श्री रामकिशन** : फर्क है थोड़ा। जो हुआ इसका मुझे दुखः है। भारतीयकरण दोनों तत्वों का करना है। ये (जनसंघ) पूंजीपतियो के दायरे से निकल कर जनता की लड़ाई लड़े और आर्थिक सीमाओं की रक्षा के लिए जनता के साथ लड़ाई लड़े। कम्युनिस्ट पार्टी से निवेदन करना चाहता हू कि वे स्वयं का भारतीयकरण करे। कई साल पहले जब सन् ४२ में जनता साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ रही थी तब ये क्या कर रहे है। मार्क्स, एन्जिल, हीगल ने जो समाज वाद का विवेचन किया है तो उन्होंने कहा है कि साम्राज्यवादियों से लड़ाई ही उसका हल है। लेनिन और स्टालिन भी साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़े और उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई ही वह अन्त में जाकर समाजवाद की लड़ाई हो जायगी। वह लड़ाई भी चालू रखना चाहिए। सन् ४२ में जब साम्राज्यवादियों से लड़ाई हो रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी कह रह थी, जब जनता की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज वाद की लड़ाई का समर्थन नहीं किया और साम्राज्यवादियों का समर्थन किया था। यही नहीं जब हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की अफवाह हो रही थी तो वे यहां तक पहुंच गये कि कितनों की ही गिरफ्तारी की सूचना उन्होंने दी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ४२ के आन्दोलन और चीन के आक्रमण की घटनाएं इस प्रकार की हैं। तो अन्तर्राष्ट्रीयता का विचार करने का क्या अर्थ है। कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रीयता की बात करती है। आज रूस और चीन में सीमा-विवाद है। हमारा भी यह प्रस्ताव है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और रूस इस प्रकार से कोई देश न हो और एक विश्व

(श्री राम किशन)

सरकार बननी चाहिए और विश्व सरकार बन जाय और देश एक तरह से प्रान्त की हैसियत में आ जाना चाहिए। दुनिया की सबसे कल्याणकारी कल्पना तो यह है। जब तक यह कल्पना साकार रूप में नहीं आती है तब तक यह है कि हर देश की एक इंच जमीन की रक्षा की जाय। कोई एक इंच जमीन दूसरा देश न ले तो इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। रूस और चीन के सीमा-विवाद में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का रुख राष्ट्रीय रहा और कोई अन्तर्राष्ट्रीय नहीं रहा।

तिब्बत पर हमला हुआ हम मानते हैं कि तिब्बत हमारा नहीं था लेकिन यह तथ्य है कि तिब्बत चीन का भी नहीं था। जब उस पर चीन का हमला हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी की क्या स्थिति रही थी और जनसंघ की क्या स्थिति रही? दोनों का भारतीयकरण कर इस देश के लिए कल्याणकारी रास्ता निकालना चाहिए। सभापति महोदय, हिन्दू-मुसलमान की जो कल्पना है, वह निरर्थक कल्पना है। आज जो मुसलमान हैं वे आज से २००-२५० साल पहले हिन्दू थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। (हंसी)। यह मजाक नहीं है। हंसने और हंसाने की बात नहीं है। रजिया हिन्दुओं की पुरखा है और मुसलमानों के पुरखा राम और कृष्ण हैं। इस तथ्य को हम स्वीकार करेंगे।

हमारी पुरखा रजिया है, हमारा पुरखा टीपू सुल्तान है, हमारा पुरखा अकबर है। इसी प्रकार से मुसलमानों के पुरखे राम कृष्ण और दूसरे लोग हैं। इस प्रकार से स्कूलों में इतिहास का अध्ययन नहीं करायेंगे तब तक कभी जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी के भारतीय करण का नारा लगायेगा और कभी कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ के भारतीयकरण का नारा लगायेगी और इस प्रकार भारतीयकरण की अलग अलग स्थिति बनाने की गुन्जाइश रहेगी।

अब इसमें जो तीसरा पक्ष आता है, वह सत्तारूढ़ दल का पक्ष आता है, भारतीयकरण की जब बात चलती है तो यह मौन रहते हैं और मजा लेते हैं और दिशाहीन होने के कारण मुल्क के पीछे करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भारतीयकरण करने की जरूरत है तो भारतीयकरण हर मामले में हो, जिस तरह से हमें भारतीयकरण के अनुसार विचार करना चाहिये, वैसा ही हमारा आर्थिक और राजनैतिक स्थिति हो, उसमें परिवर्तन हो और इसके साथ ही हमारा रहन सहन के मामले में भी परिवर्तन हो। इसलिए जिस प्रकार आज जनसंघ अपने रूख को बदलता रहता है उसकी रामानंदजी को चिन्ता नहीं होनी चाहिये। इस देश में कोई पार्टी तेज है तो वह दो हैं एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरा जनसंघ। यह साल में एक नया नारा देंगे-एक तो कांग्रेस के द्वार पहले गांधीवाद का नारा दिया गया, फिर जन कल्याणकारी राज्य का नारा दिया गया, फिर कम्युनिटी वेलफेअर का नारा दिया गया, समाजवाद में भी दो तरह के समाजवाद का नारा दिया-एक तो बम्बई वाला समाजवाद और दूसरा आवड़ी वाला।

(श्री राम किशन)

समाजवाद और पिछले बीस बाईस साल में इन्होंने समाजवाद की पन्द्रह व्याख्या की हैं। इसी प्रकार से जब चुनाव आते हैं तब जनसंघ एक नारा लेता है, पहले हिन्दू राष्ट्रीयता का नारा दिया, फिर हिन्दू संस्कृति का नारा दिया। १९५२ से १९५७ तक हिन्दू संस्कृति का नारा दिया और १९६२ के अन्दर गौ बध का नारा शुरु हो गया। फिर गौ बध का नारा छोड़ कर एक नया नारा शुरू कर दिया—हर खेत को पानी हर हाथ को काम, घर घर में जले दीपक यही जनसंघ का निशान। और अब यह नारा आ गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि १९७२ तक यह भारतीयकरण का नारा रहेगा और उसके बाद में दूसरा नारा दे देंगे...

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : आपका नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी।

**श्री रामकिशन** : हमने यह नारा नहीं दिया, जनसंघ का नारा था यह। आप हमारा घोषणा पत्र मंगा कर देख लीजिए। आप मेरी बात सुनिये, मैं निवेदन कर रहा था कि जनसघ इस प्रकार नारा देने में दक्ष है और इसी प्रकार से कांग्रेस भी नारा देने में दक्ष है। और इस प्रकार हमारे देश में यह दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दक्ष है। कांग्रेस ने पिछले बीस सालों में देश को धोखा दिया है और जनसंघ पिछले बीस साल से मध्यम दर्जे के बामन और बनियों को देता आ रहा है, लेकिन दोनों एक दर्जे के हैं। बाकी समाजवाद के रूप से इनका क्या कार्यक्रम होगा ? अब आप देखेंगे कि १९७२ के बाद में यह भारतीयकरण की चर्चा नहीं होगी लेकिन इससे हमारे देश में कई सवाल खड़े हो जायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हिन्दू मुसलमान का सवाल है, यह सवाल हमारे देश में काफी समय से उठ रहा है और उठता रहा है। इस सम्बन्ध में दो तीन कारण हैं जिनके कारण यह हवा बनती है अब इस हवा से देश में विकास उत्पन्न होंगे या नहीं—यह तो समय के द्वारा सामने आने वाली चीज रहेगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक काश्मीर का सवाल नहीं होता है तब तक इस प्रश्न पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों तरह की शक्तियां सक्रिय हो सकती है, जनसंघ पार्टी भी सक्रिय हो सकती है, मैं इस हद तक इस सम्बन्ध में सोचता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि वह साम्प्रदायिक पार्टियों से लोहा लेगी, और उसके अनुसार राजस्थान में बैठक कर कम्युनिस्ट पार्टी जनसघ से लोहा ले रही हैं लेकिन केरल में मुस्लिम लीग के साथ उनकी सरकार चल रही है। तो जबतक यह साम्प्रदायिक भावना खत्म नहीं होती, जनसंघ की साम्प्रदायिक भावना, मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक भावना और कांग्रेस की टिकट देने की साम्प्रदायिक भावना तब तक हम सब को इससे संघर्ष करना पड़ेगा। यहां पर एक दूसरे से लड़ेंगे लेकिन सत्तारूढ़ दल जो है वह देश के अन्दर भी और भी बढ़िया तस्वीर बना देता है, वह एक तरफ साम्प्रदायिक भावना के विरुद्ध होने की बात करता दूसरी तरफ डी एम का समर्थन करता है और समर्थन प्राप्त करता है। इसलिए मैं

(श्री राम किशन)

जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपने एक बड़ी उपयोगी चर्चा छेड़ी है। इसलिए ऐतिहासिक धारणाओं को बदलने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह करने के लिए पहले तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का एक महासंघ बने। मैं महासंघ के नाम से इन दोनों राज्यों के मर्जर की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का महासंघ बन जाता है तो जिन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उससे लड़ने की आधार शिला मिलेगी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रामानन्द जी ने कहा कि मारत विमाजन का जनसंघ पर दोष है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हम ऐतिहासिक तथ्यों का गलत ढंग से प्रचार न करें असल में हिन्दू कट्टरता इसके लिए दोषी है। आज दो कोरिया क्यों हुए? दो वियतनाम क्यों हुए? वहां तो साम्प्रदायिकता नहीं है। वहां एक रिलीजन है, एक धर्म है, एक तरह की मावना है और एक तरह का मानस है। लेकिन डाईलेक्ट्री टेक्टिक्स से उनके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि रामानन्द जी, उस मूल बात को छोड़ कर जनसंघ की विचारधारा के बनते जा रहे हैं, और आप उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। यह एक वैज्ञानिक विचारधारा है कि साम्प्रदायिकता तो विभाजन का एक कारण है, लेकिन जहां जहां पर साम्प्रदायिकता नहीं है वहां भी विमाजन कराया है। जिस प्रकार आज पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी से मिलना चाहता है लेकिन दो प्रकार की शक्तियां हैं वह उनको मिलने नहीं देना चाहती है। इसकी ऐतिहासिक व्याख्या, भौतिकवादी व्याख्या, और किसी प्रकार की व्याख्या हो सकती है, लेकिन इसको नये दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नया इन्टर-प्रिटेशन करके देखना चाहिए, सनातन रूप से नहीं। आप नई व्याख्या करके हिन्दू मुस्लिम की व्याख्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि गोलवलकर जी ने एक अजीब बात कही कि जो कम्युनिस्ट नहीं हैं वह हिन्दू हैं और जो कम्युनिस्ट हैं वह हिन्दू नहीं हैं। यह हिन्दू की क्या व्याख्या है? मैं पूछता हूं कि आपका यह 'हिन्दू' शब्द क्या विचार रखता है, ऐतिहासिक दृष्टि से इस 'हिन्दू' शब्द का क्या अर्थ है, सांस्कृतिक परम्परा से यह क्या अर्थ रखता है, वेदान्तिक दृष्टि से और फिलासफीकल ऐस्पेक्ट से यह क्या अर्थ रखता है। मैं समझता हूं कि यह सीधी सी समस्या है, जब तक अल्प संख्यक वर्ग है उसकी सुरक्षा का सवाल है उसका निराकरण नहीं होगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यह जो मुख्य तत्व है इसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज माइनोरिटी का प्रश्न है, वह हिन्दुस्तान का ही प्रश्न नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी यह प्रश्न है। रूस के अन्दर तेरह चौदह सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, उनमें जो चेकोस्लोवेकिया का झगड़ा हुआ वह माइनोरिटी का झगड़ा था, चार पांच साल पहले जो पोलेण्ड में संघर्ष हुआ था, विरोध हुआ था, वह भी माईनोरिटी का प्रश्न था। माइनोरिटी का प्रश्न है उसको

(श्री राम किशन)

जब तक इस प्रश्न से नहीं जोड़ेंगे और इसके साथ में जो आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषा के कारण हैं उनके ऊपर विचार नहीं करेंगे तब तक इसका हल नहीं निकल सकता। केवल एक वैज्ञानिक दृष्टि से ही इसका हल निकल सकता है। इन शब्दों के साथ में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी-इन दोनों के भारतीयकरण की एकदम मांग करता हूं। इसके साथ ही गृह मत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों पार्टियों का भारतीयकरण करने के लिए कार्यवाही करें। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है वह तो गैर भारतीय पार्टी है. यह एक विदेशी पार्टी है, भोजन के मामले में, पोशाक के मामले में, चिन्तन के मामले में इसका भी भारतीयकरण हो जाय, इस बात पर भी भारतीयकरण हो जाय कि चीन और पाकिस्तान ने जो हमारी भूमि दबा रखी है, और राष्ट्रीय बेशर्मी की सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जयपुर में बैठी हुई है। इन दोनों देशों ने हमारी जमीन दाब रखी है और यह भारतीयकरण की हामी वाली सरकार अपने को कहती है। मैं समझता हूं कि भारतीयकरण के पक्ष के लोग हैं वह वही लोग हो सकते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग हैं...

**श्री पी. के चौधरी** : एस. एस. पी. है !

**श्री रामकिशन** : एस. एस. पी. है। हमारे दल ने इस देश में क्रांतिकारी परिस्थिति बनाई है, और आजादी के पहले और बाद में इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया है। हम कमजोर हो सकते हैं, हम मूर्ख हो सकते हैं—लेकिन हम भारतीयता के लिए लड़े हैं। हम कमजोर हो सकते हैं. ना समझे हो सकते हैं लेकिन समाज के लिए लड़े हैं। पिछले तीस साल के इतिहास में, मैं आपको फिर कहता हूं, गैर भारतीय और गैर हिन्दू युसुफ महरअली थे, वह सबसे बड़े भारतीय थे। आज हिन्दुस्तान के बच्चों को उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। वह हिन्दुस्तान के सबसे बढ़िया नेता थे, उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत सेवा की लेकिन मुस्लिम होने के कारण उनका नाम तक हम नहीं जानते हैं। हम जिन्ना का नाम जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जानते हैं वह लेकिन बड़े मुसलमान नहीं रहे पर उनका इतिहास के छात्रों को क्या आज ज्ञान है ? आज हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें रजिया, के बारे में पढ़ाया जाता है, टीपू सुल्ताम के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरा निवेदन है कि शिक्षण संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी समस्या सुलझ सकती है और इससे एक दृष्टिकोण का परिवर्तन एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, तो दस बारह साल में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन इस तरह सरकार निष्क्रिय है, वह जनसंघ पार्टी से लाभ और फायदा उठाने वाली है और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से सहानुभूति लेने वाली है। मेरा निवेदन है कि इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और विचार करें और मेरे विचार से इन तीनों पक्षों के भारतीयकरण की जरूरत है।

# Page No 89



**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज ! श्री भैरोंसिंह !

**श्री भैरोंसिंह :** सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनसंघ की विचार धारा का प्रचार करने का अवसर इस विधान सभा में प्रदान किया है। सभापति महोदय, यह बहुत ही अच्छा होता कि माननीय सदस्य वास्तविकता का मूल्यांकन कर इस सदन में सही स्थिति प्रस्तुत करते लेकिन उनके भाषण का यदि अंग्रेजी अनुवाद किया जाय तो ऐसा लगता है, सभापति महोदय, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में रीजनलिज्म और नेशनल इन्टीग्रेशन पर एक सेमीनार हुआ, उसमें उनके एक साथी प्रोफेसर सतीशचन्द्र ने जो एक नोट पुट अप किया, यह उस ही का लगभग अनुवाद है। मुझे इस बात की खुशी है कि वे इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी करने के लिये विश्व विद्यालय के प्राध्यापकों का सहयोग लेते हैं और उन्हें सहयोग मिलता है। लेकिन कुछ बातें, जो इस पेपर में लिखी गई हैं, शायद इन्होंने जान बूझ कर उनका उल्लेख नहीं किया। मैं चाहूंगा···

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैंने न तो वह पेपर पढ़ा है और न देखा ही है। यह हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी तरह से, कम्यूनिस्ट या सोशलिस्ट इस प्रकार के विचार रख रहे हों।

**श्री भैरोंसिंह :** आप बोल रहे थे तो सदन को जानकारी होगी कि हमने इन्टरप्ट नहीं किया। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन्टरप्ट न करें।

**श्री सभापति :** आप माननीय सदस्य को इन्टरप्ट न करें।

**श्री भैरोंसिंह :** इसके पेज ५ पर लिखा है :

"But neither Hindu, nor Muslim revivalist movement would have succeeded in dividing the two communities, if the national movement had barred itself on the social and economic needs of the broad masses, Tilak tried to galvanise the Hindu masses by taking recourse to Hindu fares, festivals etc. This was bound to have an adverse re action among the muslims. Even on subsequent occasions, such as the movement against the partition of Bengal, Hindu imagery and appeal to Hindu religious sentiment was invoked. Even Gandhiji, the foremost champion of Hindu muslim unity, continually used religious forms and traditions in an effort to reach the illiterate masses."

**श्री बेनीदत गाड़िया व कुछ अन्य माननीय सदस्य :** शेम।

**सरकारी पक्ष की ओर के कई मा० सदस्य :** किस बात का शेम ?

**श्री भैरोंसिंह** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि गांधीजी के दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने लिखा है। शर्म इस बात की है कि आप समझे नहीं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा सदन में रखी और उसके बाद समाजवादी सदस्य ने कम्युनिस्ट और जनसंघ; दोनों के भारतीयकरण की व्यवस्था की मांग की, इससे एक अर्थ तो निकलता है कि हिन्दुस्तान में भारतीयकरण की आवश्यकता है। वह भारतीयकरण जनसंघ का हो या कम्युनिस्टों का हो या कांग्रेस का हो और जनसंघ, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, इनके भारतीयकरण की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि हिन्दुस्तान में बहुमत के भारतीयकरण की आवश्यकता है। समाजवाद की जो विचारधारा है, उसकी जैसी स्थिति है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन नहीं करना चाहता पर उनके भाषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दुस्तान में भारतीयकरण किया जाना चाहिये। चाहे वे भारतीयकरण इस आधार पर करना चाहें कि हिन्दुस्तान में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाय, देश की वेश भूषा भाषा, संस्कृति, देश की विचारधारा की एक तरह की व्यवस्था की जाय, पर वे यह स्वीकार करके चलते हैं कि हिन्दुस्तान में भारतीयकरण की आवश्यकता है। उनके विचारों के अनुसार जहां हमारे भारतीयकरण की आवश्यकता है वहां उन्होंने कम्यूनिस्टों के भारतीयकरण पर भी काफी जोर दिया है।

हिन्दुस्तान में आज तक किसी भी विधान सभा में और लोक सभा में किसी भी मुस्लिम सदस्य के द्वारा इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की गई। लोक सभा में इस प्रश्न पर चर्चा होने पर किसी मुस्लिम सदस्य ने चर्चा नहीं की, हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में इस प्रश्न पर चर्चा के समय किसी मुस्लिम सदस्य ने चर्चा नहीं की। इस प्रश्न पर चर्चा का सारा भार यदि किसी पार्टी ने लिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया है। और ऐसा लगता है कि भारतीयकरण जैसे शेर बन कर आ रहा है और उस शेर से मुसलमानों को और नागरिकों को डर नहीं लग रहा है पर कम्यूनिस्टों को डर लग रहा है मानों यह भारतीयकरण का शेर कम्यूनिस्टों को खा जायगा। मैं भी कहना चाहता हूं कि भारतीयकरण के नारे से यदि सबसे बड़ी घबराहट किसी को हुई है तो वह कम्यूनिस्टों को हुई है कि कहीं कम्यूनिस्टों को भारतीयकरण खा नहीं जाय। मैं माननीय रामानन्दजी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स का सवाल यहां सदन में रखा, अच्छा किया और प्रस्ताव रखे, अच्छा किया पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने आज तक हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में या लोकसभा में इस बात का प्रस्ताव रखा है कि चीन ने जो हमारी ४० हजार वर्गमील भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उस भूमि को चीन से मुक्त कराया जाय। क्या श्री रामानन्दजी ने या कम्यूनिस्ट पार्टी के किसी भी सदस्य ने आज तक लोक सभा

(श्री भैरोंसिंह)

में या भारत की किसी भी विधान सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है कि चीन ने जो अनधिकृत रूप से भारतवर्ष की भूमि पर अधिकार कर रखा है, उसको चीन के चंगुल से मुक्त कराया जाय ? न यह प्रश्न कम्यूनिस्ट पार्टी के किसी सदस्य की तरफ से उठाया गया और न इस प्रकार का प्रस्ताव ही रखा गया। यह प्रस्ताव उनके द्वारा उठाया भी नहीं जा सकता क्योंकि उनकी लोयल्टी हिन्दुस्तान के साथ नहीं है, उनकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लोयल्टी केवल हमारा देश ही नहीं जानता बल्कि सारा संसार जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी उस ही के प्रति वफादार है जो कम्यूनिस्ट पार्टी के लिये मार्ग दर्शक बन कर कम्युनिज्म को संसार में फैलाना चाहते हैं। यही कारण है कि रूस में यदि बरसात होती है तो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में छाता लगा कर खड़ी हो जाती है। मुझे याद है, सभापति महोदय, कि आज यह सारा प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है। कलकत्ता में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है। सिनेमा में यदि माओत्से तुंग और चीन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ प्रचार होने लगे, उनके बारे में वास्तविकता बताई जाने लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हो कर नारा लगाती है कि हम उस सिनेमा को तोड़ देंगे, जिस सिनेमा में चीन, साम्यवाद और माओ से तुंग के खिलाफ प्रचार किया जायगा, उसको तोड़ देंगे और वहां पर लोगों को मारा, सिनेमा में रील बन्द कर दी। इस पर आज विचार करना है। हिन्दुस्तान में आज श्री गिरी राष्ट्रपति है या हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति कोसिजिन हैं, या हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग हैं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि भारतीयकरण के नारे का विरोध करने की स्थिति क्यों पैदा हुई। जब मुसलमान जनसंघ में आने लग गये और कम्यूनिस्ट पार्टी को पता लगा तो कम्यूनिस्ट पार्टी ने सोचा कि यदि ये लोग जनसंघ के सदस्य बनते रहे तो ऐसी फिज़ा पैदा हो जायगी कि कम्यूनिस्ट पार्टी को खतरा पैदा हो जायगा, कम्यूनिस्ट पार्टी मुसलमानों को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश करती थी···

( २१८ म. प. )

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया और कहा कि भारतीयकरण का नारा यह जनसंघ का आज का नारा नहीं हैं, बल्कि भारतीयकरण जनसंघ की मूल विचार धारा है। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान में भारतीयकरण का नारा सबसे पहले किसी ने दिया तो वह महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी के बाद में भारतीयकरण के नारे को यदि किसी ने आवश्यक समझा तो वह आचार्य विनोबा भावे ने समझा और उसके बाद भारतीयकरण के नारे को आवश्यक समझा खान अब्दुल गफ्फारखां ने। खान अब्दुल गफ्फारखां अहमदाबाद में गये तो उन्होंने कहा कि यह झगड़े इस लिये होते है कि यहां अल्प

(श्री भैरों सिंह)

संख्यकों का इन्डियेनाइजेशन नहीं हुआ है। इसके बाद शेख अब्दुल्ला जो अपने आपको हिन्दुस्तान का नागरिक तक नहीं कहते थे। उन्होंने बादशाह खान के पास जाने के बाद कहा कि मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं उन्होंने जामा मस्जिद में इस बात को दोहराया कि भारत के मुसलमानों को भारत की विचारधारा में अपने आपको आत्मसात् करने और इन्डियेनाइज करने की कोशिश करनी चाहिये।

तो आप यह समझ कर नहीं चलें कि भारतीय जनसंघ ने भारतीयकरण का नारा लगाया, वह मुसलमानों के लिये लगाया। आपने जनसंघ के विधान और घोषणापत्र को नहीं पढ़ा। हमारे जातीय आधार पर, पूजा पाठ की भेद पद्धति के आधार पर जनसंघ के सदस्य नहीं बनते। किसी भी जाति या किसी भी धर्म को मानने वाला जनसंघ का सदस्य बन सकता है। ऐसी हालत में यह कहना कि मुसलमानों के लिये भारतीयकरण का नारा लगाया गया, यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी, तीन वर्ष पहले, मैं इससे भी पहले की भूमिका में ले जाना चाहता हूं।

जिससे साम्यवादियों का मुसलमानों के प्रति क्या रुख है, इस सदन को जानकारी मिलेगी। आज तीन वर्ष पहले चीन में कल्चरल रिवोल्यूशन चालू हुआ। साम्यवादियों ने समर्थन किया। उसके बारे में यदि हिन्दुस्तान की जनता सावधान नहीं हुई होती तो जिस समय चीन के अन्दर चांगकाई शेक से युद्ध चल रहा था, यही कम्यूनिस्ट थे जिन्होंने सिकियांग में जाकर मुसलमानों, मुल्ला व मौलवियों को बुलाकर आश्वासन दिया था कि एक बार चांगकाई शेक की हुकूमत खतम हो जायगी उसके बाद में हमारी हुकूमत में जिस प्रकार की स्वतंत्रता का तुम उपभोग कर सको, वह उपभोग करना लेकिन जब चांगकाई शेक की हुकूमत खतम हो गई, चीन में साम्यवादी हुकूमत कायम हुई, उसके तीन साल बाद जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहली बार सिकियांग इलाके में किया गया साम्यवादियों द्वारा। न केवल वहां पर कुरान और किताबें जलाई गई न केवल मस्जिदें जलाई गई न केवल उनकी हत्यायें की गई, बल्कि मुसलमानों को बुलाकर चौराहे पर खड़ा करके फांसियां तक दी गई। ये जो साम्यवादी आज कहते हैं कि मुसलमानों की वकालात करने वाले हैं। यदि मेरा किसी धर्म में विश्वास है तो निश्चित रूप से मैं दूसरे धर्मों की इज्जत करूं लेकिन स्वयं का विश्वास किसी धर्म में नहीं, धर्म में आस्था नहीं, धार्मिक मान्यतायें नहीं तो फिर दूसरे धर्म की वकालात क्यों? यदि पूरी मान्यतायें कोई व्यक्ति आज स्वीकार नहीं करता तो खास तौर से उन अल्पसंख्यकों को जो इस कम्यूनिस्ट पार्टी के नारे में आकर भारतीयकरण की आड़ में कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बनने का विचार कर रहे हैं, वह कम्यूनिस्ट पार्टी में जाय तो एक दिन आ सकता है कि यह कम्यूनिस्ट पार्टी सबसे पहला वार इन्हीं मुसलमानों पर करे इन्हीं लोगों की हत्यायें करें।

(श्री भैरों सिंह)

माननीय सदस्य जो भरतपुर से आए हैं, समाजवादी सदस्य हैं, उन्होने बहुत कुछ कह दिया है। हिन्दुस्तान के बटवारे का प्रश्न था। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। हिन्दुस्तान के विभाजन की जिम्मेदारी औरों के साथ-साथ कम्यूनिस्ट पार्टी पर भी है। जिस समय रूस जर्मनी के अन्दर आपस में समझौता हुआ था उस समय यह कम्यूनिस्ट पार्टी भारत में प्रचार करती थी कि दोनों मिलकर साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ युद्ध कर रही हैं लेकिन जब रूस और जर्मनी में मतभेद पैदा हो गए, जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया, तब यही कम्यूनिस्ट पार्टी थी जो दूसरी भाषा में बोलने लगी। आप भाषायें बदल सकते हैं। जिस समय अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उससे पहले लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। यह हिन्दुस्तान की जनता थी जिसने आप पर दबाव लाकर लोकतंत्र की व्यवस्था स्वीकार कराई और वही हिन्दुस्तान की ताकत है जिसके जरिए, कम्यूनिस्ट पार्टी का भारतीयकरण करके इस धरती के सामने उनका सर झुकायेगी और रूस और चीन के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं देगी।

यहां साम्प्रदायिक दंगों की बात हुई। कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए? पिछले वर्ष गृहमंत्री महोदय ने रिपोर्ट पेश की जिसमें लिखा था कि हिन्दुस्तान में अब तक ३९ साम्प्रदायिक दगे हुए। ३७ मामलों में भारतीय जनसंघ, आर० एस० एस० हिन्दू महासभा, किसी भी हिन्दू संगठन, जिसको कांग्रेस के लोग मानकर चलते हैं, उनका हाथ नहीं था, उनके द्वारा नहीं किया गया बल्कि अल्पसंख्यकों के द्वारा ही किये गये। क्या इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करते? आखिर भारतीयता है क्या? हिन्दुस्तान के दो तीन नाम हैं। अंग्रेजी में इण्डिया, कई लोग कहते हैं भारत, कई कहते हैं हिन्दुस्तान। हिन्दुस्तान के साथ हिन्दुस्तानी, के साथ हिन्दी। आज हिन्दुस्तानीकरण, भारतीयकरण और इण्डियनाइजेशन करने की बात उन्होंने कही है। यदि हिन्दी शब्द के साथ किसी सम्प्रदाय पर दबाव लाने की चेष्टा की जाती है तो गलत हो सकती है लेकिन भारतीयकरण की स्थिति में केवल एक बात कह सकते हैं, लोगों की विचारधारा, लोगों की मान्यतायें, लोगों की स्वामिभक्ति, हिन्दुस्तान के बाहर किसी और देश से नहीं हो सकती। हमने केवल यही कहा कि हिन्दुस्तान में रहने वाले इस धरती पर खाने वाले व्यक्ति, इस धरती पर पलने वाले व्यक्ति, भारत के बाहर निष्ठा नहीं रखें। यह कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुआ।

उन्होंने एक बात कही कि जनसंघ के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि हिन्दुस्तान का जिस समय बटवारा हुआ, उस समय ९३ प्रतिशत मुसलमानों ने बटवारे के पक्ष में समर्थन दिया। यह तथ्य है जिससे रामानंदजी इनकार नहीं कर सकते, न जयप्रकाश जी जिन्होंने अच्छी तरह से भूमिका बनाई है। मैं समझता हूं, उस प्रस्ताव की सारी भूमिका रामानंदजी ने निश्चित रूप से पढ़ी होगी, उसमें उनको एक लाइन नजर आई

(श्री भैरों सिंह)

जो सदन में बोल दी, बाकी भारतीयकरण सम्बन्धी जनसंघ की विचारधारा को नहीं रखा। आज यह कम्यूनिष्ट पार्टी जिस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग....

**श्री अध्यक्ष** : सदन की कम्यूनिस्ट पार्टी से मतलब है आपका? एक ही माननीय सदस्य हैं और आप पार्टी कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : जिस समय कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ केरल में समझौता किया तो सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में यदि किसी ने नारा लगाया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने समझौता करके मुस्लिम साम्प्रायिकता को बढ़ावा दिया तो दो पार्टियों ने नारा लगाया। एक पार्टी थी कम्यूनिष्ट और दूसरी पार्टी भारतीय जनसंघ। बाकी लोगों ने खूब कहा। कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया, केरल में अधिवेशन किया, जुलूस निकाले, जितने प्रदर्शन किए जा सकते थे किए। कौनसी मुस्लिम लीग उस समय डिफाइन की जा रही थी, जिसने हिन्दुस्तान का बटवारा कराया, उस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता करके साम्प्रदायिकता के सामने घुटने टेके। मुस्लिम लीग जो उस समय थी वही आज है, जिसकी छत्रछाया में जिसके पैर पकड़, करजिसके सामने कम्यूनिस्ट पार्टी ने घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर कहा, गद्दी पर लाने के लिए मुस्लिम लीग हमारा साथ दो। आज साम्प्रदायिकता के सामने घुटने किसने टेके? सबको मालूम है कि आपने ही घुटने टेके।

अब केवल एक छोटा सा प्रश्न है। भारतीयकरण किसका होगा? कैसे होगा? रामानंदजी एक बात को स्वीकार करेंगे कि कम्यूनिस्ट पार्टी की वफादारी रूस के साथ है, तो आपकी पार्टी भारतीयकरण चाहती है या नहीं, यदि किसी कम्यूनिस्ट पार्टी की वफादारी चीन के साथ है तो उस कम्यूनिस्ट पार्टी का भारतीयकरण चाहते हैं या नहीं। यदि किसी व्यक्ति की स्वामिभक्ति अमरीका के साथ है उसका भारतीयकरण चाहती हैं या नहीं? यदि किसी व्यक्ति की निष्ठा पाकिस्तान के साथ है, तो उसका भारतीयकरण चाहते हैं या नहीं? इस सदन में कोई सदस्य इस बात के लिए इनकार नहीं कह सकता कि ऐसे व्यक्तियों का भारतीयकरण न हो। भारतीयकरण कोई कपड़ा बदलना नहीं है, कोई धरती और मकान नहीं बदलना है, केवल मन में जो विचारधारा है, उसको बदलकर देश प्रेम की प्रवृति को पैदा करना है। आज हम कहना चाहेंगे कि देश के प्रति प्रेम न हो, निष्ठा न हो, हम चाहें कि देश के प्रति गद्दारी बढ़े—

**श्री मूलचन्द डागा** : जो भारत में पैदा हुआ, तो उसके लिए यह सवाल क्यों उठा, कोई अहलाम हुआ था क्या?

**श्री भैरोंसिंह** : मुझे एक बात का जवाब दें। राष्ट्र में कारखानों के राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब है?

**श्री मूलचद डागा** : हमारे देश में जो रहने वाले हैं, जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं, वे हिन्दुस्तान के हैं, उनकी चर्चा करने का क्या अर्थ है?

# Page No 95



**श्री अध्यक्ष :** डागाजी आप बोलेंगे नहीं इस पर ?

**श्री मानसिंह :** नेसेसिटी इज दी मदर आफ इन्वेन्शन ।

**श्री मूलचंद डागा :** नेसेसिटी क्यों ?

**श्री मदनसिंह :** कम्यूनिस्टों की वजह से ।

**श्री अध्यक्ष :** आपको बोलना है न ?

**श्री मूलचंद डागा :** जी हां ।

**श्री अध्यक्ष :** तो फिर इन्टरप्शन क्यों करते हो ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** संपत्ति राष्ट्र की है तो राष्ट्रीयकरण का नारा दिया गया ·······

**श्री अध्यक्ष :** माननीय भैरोंसिंह जी ने बन्द कर दिया है बोलना ? आप बोलेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की जानकारी उस समय माननीय सदस्य से करना चाहता था। लेकिन शायद वे नहीं कर पाये और वह जानकारी मैं माननीय सदस्य भरतपुर से आये उनसे करना चाहता हूं। हिन्दू शब्द क्या है ? क्या हिन्दू शब्द में भारतीय नहीं आता ? क्या हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दू नहीं कहलाता है ? क्या देश के अन्दर रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों को जाति और धर्म पर विभाजित करके बात की जाय ? हमारी मान्यतायें हैं कि हिन्दुस्तान कहो, भारत कहो इंडिया कहो इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्डियन है, इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दुस्तानी है। उस स्थिति के अन्दर कोई यह समझ कर चले कि हमने भारतीयकरण का नारा लगा कर हिन्दू और मुसलमान में भेद करने की कोशिश की है यह मेरी समझ में नहीं आता। आज हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन, बाकी के लोग भी हैं। हम मुसलमानों का भारतीयकरण हो जाय उससे ही संतोष करने वाले नहीं है और सब मुसलमानों के भारतीयकरण से इसका वास्ता भी नहीं है। आज हिन्दुओं में भी कई अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां लेकर चल रहें हैं और सन् १९६२ का नक्शा उठा कर देखें तो न सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये, न प्रजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये, न कांग्रेस के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये, न बी. के. डी. के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये, न स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये, न हिन्दू महा सभा के कार्यकर्त्ता अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये पकड़े गये। किंतु अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के लिये यदि किसी पार्टी के कार्यकर्त्ता पकड़े गये हैं तो वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता ही पकड़े गये। इसलिए हम चाहते हैं कि इन अराष्ट्रीय तत्वों का भारतीयकरण होना चाहिये इनका भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। जो अपने आपको भारत की विचारधारा में सम्मिलित करे, उसको विकसित करे। उस

(श्री भैरों सिंह)

नारे के लिये कहते हैं पूंजीपतियों का नारा है। पूंजीपतियों के द्वारा भारतीय जनसंघ का काम चलता है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ जहां जहां सरकार में शामिल हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी और बाकी दल भी शामिल हुए हैं लेकिन भारतीय जनसंघ ने किसी पूंजीपति के सामने जाकर घुटने नहीं टेके कि हमारा विकास और निर्माण किया जाय। लेकिन यह ताज़ा उदाहरण सामने है कि इसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने केरल के अन्दर बिड़लाओं के सामने घुटने टेक दिये। राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स की बात कर रहे हैं ..

**श्री मदनसिंह दांता :** कांग्रेस वालों ने पैसा दिया।

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि गुरुजी ने कभी यह कहा था कि यह सरकार भारतीय नहीं है। मैं समझता हूं, रामानन्दजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी गुरुजी के बारे में उन्होंने कोट किया है वह मनगढ़न्त है और ये गुरुजी के शब्द नहीं हो सकते। क्या गुरुजी इन्दिरा गांधी को भारतीय नहीं मानेंगे? ऊंची पोस्टों पर रहने वाले क्या भारतीय नहीं हैं? इतना तो मानकर चलें कि वह व्यक्ति है जिसने हिन्दुस्तान का राष्ट्रीयता के आधार पर संगठन किया। आज बाहरी शक्तियों को जितना भय किसी दल से लगता है तो वह यही दल है, यही संघ है जिससे बाहरी शक्तियों को डर लगता है और किसी भारत के दल से भय नहीं लगता और कम्युनिस्ट पार्टी को तो सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वह इसी संघ से है। जो व्यक्ति अपना घर बार छोड़ कर दिन रात अथक् प्रयत्न करके जनता को जागरुक करके उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करे और इस राष्ट्रीय भावना को देश की जनता में पैदा करने के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे बड़ा विरोध इस की बात का है कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय भावना का प्रचार न हो। कुछ भी प्रचार हो लेकिन राष्ट्रीयता का प्रचार नहीं होना चाहिये। राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिये इस प्रकार की भावना लोगों में पैदा नहीं होनी चाहिये। यह है विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की लेकिन भारतीय जन संघ इस बात को कहता है कि हिन्दुस्तान के हम नागरिक हैं पहले हम राष्ट्रीय हैं और बाद में किसी जाति, धर्म और परिवार के व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्र में महाराष्ट्र और मैसूर का सीमा विवाद है, आन्ध्र में पृथक राज्य के रूप में तेलंगाना की मांग चल रही है। कहीं नागालैंड में अलग राज्य स्थापित करने की बात है, कहीं पानी और नदियों का विवाद है, कहीं सीमा का विवाद चल रहा है और इस विवाद में कई बार कई लोगों की जानें गयी हैं, अपार धन सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र, तेलंगाना सब हिन्दुस्तान के अंग हैं। हिन्दुस्तान एक छोटे मोटे राज्यों का फैडरेशन बना हुआ है। यहां प्रत्येक राज्य अलग से स्टेट है। उसके पीछे बड़ा तारतम्य नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी चाहती

(श्री भैरोंसिंह)

है कि हिन्दुस्तान की जो एक ईकाई है, जो विश्व के सामने वज्र की तरह खड़ी है उसको विभाजित किया जाय। जातीयता के आधार पर हिन्दुस्तान के नागरिकों को बांटा जाय, भाषा के आधार पर हिन्दुस्तान के लोगों को बांटा जाय, धर्म के आधार पर हिन्दुस्तान के लोगों को बांटा जाय। अलग अलग प्रोविन्सेज के नाम पर लोगों को बांटा जाय। हालत ऐसी आ रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी की आइडीयोलोजी को स्वीकार करके चले तो अलग अलग प्रान्त अलग अलग राष्ट्र हैं। राजस्थान भी एक राष्ट्र है। बम्बई भी एक राष्ट्र है, बंगाल भी एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्रीयता को विभाजित करना चाहते हैं, और अध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार कर लिया जाय कि राजस्थान भी एक राष्ट्र है, यही कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होकर कहेगी कि २६ जिलों का राज्य बना हुआ है इसलिये यह जिले भी अलग अलग राष्ट्र हैं। आगे जाकर कहेगी कि ८ तहसीलों पर एक जिला है तो जिलों को तहसीलों में विभाजित किया जाय, लेकिन यदि तहसीलों को भी विभाजित कर दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी कि अब इसको गांव में भी विभाजित किया जाय और एक एक गांव राष्ट्र हो जावेगा तो फिर कहेंगी कि घर में विभाजित किया जाय और घर को भी राष्ट्र के रूप में विभाजित कर दिया जिस खाट पर जन्म लिया है उसको सिर पर रख कर कहेगी कि यह राष्ट्र है हिन्दुस्तान में कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, इन सब की हिन्दुस्तान के प्रति निष्ठा है। इनमें से किसी भी राजनैतिक दल को ले लीजिये उनकी हिन्दुस्तान में निष्ठा है। लेकिन निष्ठा के माने में अगर किसी पार्टी पर सन्देह किया जाता है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है जिस पर सन्देह किया जाता है। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, पूंजीपतियों के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, मजदूरों के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय कह दे और माननीय रामानन्दजी आपको हाउस में राष्ट्रीय कह दे मेरी चुनौती है। जिसकी अपने राष्ट्र में निष्ठा नहीं वह भारतीयकरण का विरोध करेगा। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, कोई जैसी पूजा पद्धति बनी है और आस्था हो उसको माने, कोई मस्जिद में कुरान पढ़े, हमें आपत्ति नहीं है। कोई भगवान कृष्ण की पूजा करे हमें आपत्ति नहीं है, को मूर्ति पूजा का विरोध करे हमें कोई आपत्ति नही है, कोई भगवान को न माने हमें कोई कोई आपत्ति नहीं है। जिसकी आस्था भारत राष्ट्र में है वह ही भारतीय है। उसको बड़े रूप में मान कर भारतीयकरण के प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने भारतीय करण के माने में बलराजजी मधोक का नाम लिया। बलराजजी मधोक उनके बहुत दुश्मन मालूम होते हैं। पक्के दुश्मन। और उनको ऐसा लगता है कि बलराज मधोक इस प्रकार बोलते रहेंगे तो हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का दाव नहीं लग सकता। अब कैसे दाव लगेगा। एक एक बात चल रही है।

मैं इस सदन में एक और जानकारी

# Page No 98



(श्री भैरों सिंह)

देना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी विभाजित है, इस मुगालते में न रहें। आप यह न सोचें कि यह कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्टिस्ट है, यह कम्युनिस्ट पार्टी राइटिस्ट है, यह कम्युनिस्ट पार्टी नक्सलिस्ट है और यह एक्स्ट्रीमिस्ट है। सब एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से विभाजित किये गये हैं। वे यह चाहते हैं कि एक कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने आपको राइटिस्ट कहती है वह सरकार में घुसे। और जो लेफ्टिस्ट है वह बाहर से सरकार को गाली दे और दूसरी सरकार में जहां भी मौका मिले सरकार में घुसे। आपने देखा है अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार, हिन्दुस्तान की सरकार आज कम्युनिस्ट पार्टी के भरोसे पर है। जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी अपना समर्थन खींचेगी उस दिन केन्द्रीय सरकार गिरेगी। उस स्थिति में एक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में घुस कर उसकी नीतियों को प्रभावित करेगी और हिन्दुस्तान में साम्यवाद को लाने की चेष्टा करेगी। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी बाहर से लोगों की इस सरकार की आलोचना करते हुए कम्यूस्ट क्या कर देंगे, वह विचारधारा जनता के सामने रखेगी। और जब मौका मिलेगा यह दूसरी पार्टी उसमें घुसेगी। नक्सलवादी दोनों ही कम्यूनिस्ट पार्टियों को गालियां देगें। धीरे धीरे सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हुए वह साम्यवादी व्यवस्था के लिये पर्याप्त वातावरण पैदा कर देगी और उस समय इन तीनों ही पार्टियों के झंडे एक हो जायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान की सरकार को भारतीयकरण के नारे से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीयकरण के नारे से जनता का अहित नहीं होगा बल्कि इससे भारत के लोगों में भारत के प्रति निष्ठा का जागरण होगा और इसको पैदा करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता, आप को याद होगा, जब बाड़मेर क्षेत्र में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उस क्षेत्र के दौरे पर आई थीं। उस समय वहां की एक आम सभा में उन्होंने भाषण दिया था, वह जिस भाषा में वहां बोली हैं वह टेप–रिकार्ड मेरे पास में मौजूद है, उसके नोट्स भी मेरे पास में है। उन्होंने इस सभा में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर के कहा था – हिन्दुस्तान के प्रति जिन लोगों की निष्ठा न हो वे बाहर चले जायें। उनको हिन्दुस्तान में रहने का हक नहीं है' यही बात हम कहें तो हमें साम्प्रदायिक कहा जाता है। मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति कहे तो उसे साम्प्रदायिक कहा जाता है, बलराज मधोक कहते हैं तो वे साम्प्रदायिक हो गये। लेकिन वे यह बात क्यों कर रहे हैं? वे ही अकेले नहीं हैं। यही बात बहुत पहले श्री प्रकाश ने जो कि भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने कई लेख भारतीयकरण के पक्ष में लिखे हैं और जिन्हें इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी पढ़े हैं।

श्री प्रकाश ने ही नहीं, कई गणमान्य व्यक्तियों ने समाचार पत्रों में सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के भारतीय करण के नारे को पसन्द किया है। कई लोगों ने जनसंघ पर यह इलजाम लगाया है कि उसने इस नारे को देर से दिया है। वे यह कहते हैं कि

(श्री भैरों सिंह)

भारतीयकरण का नारा पहले दिया जाना चाहिये था। यह हो सकता है कि इस प्रकार की देरी हो गई परन्तु भारतीयकरण का जो नारा दिया गया है, वह सही है। यह सोचा जा सकता है कि भारतीयकरण का जो नारा दिया गया वह कैसे हो? इसके लिये हम बैठ कर इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? किन बातों का भारतीयकरण करना हैं, उन पर हम विचार कर सकते हैं? इसकी क्या पद्धति अपनाई जाये, इसके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाये, यह निर्धारित की जा सकती है। भारतीयकरण इसमें किसी तरह से खराब नहीं है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस भारतीयकरण के नारे से घबराने की जरूरत नहीं है। वे तो इस बात की सावधानी रखें कि उनके दल के अन्दर अभारतीय घुस रहे हैं और वे आपको नुक्सान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप को गद्दी का प्रलोभन हो रहा है। ऐसी हालत में, इस प्रलोभन में कहीं इनके साथ आप रसातल में न चले जायें और उसके साथ ही साथ इस देश को भी रसातल में लेजाकर न छोड़ दें। इस देश को रसातल में ले जाकर आप कम्युनिस्टों के भरोसे देश को छोड़ देगें। इसलिये इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है मैं कम्युनिस्टों की कोई ताकत नहीं समझता हूँ। आज रूस से श्रीमती अरुणाआसफअली की मार्फत पैसा आ रहा है। ट्रैक्टरों के जरिये रूस से हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के लिये पैसा आ रहा है। कम्युनिस्टों के प्रचार पत्रिकाओं का पैसा कम्युनिस्ट पार्टी को मिल रहा है। इसके लिये यहां की एम्बैसी का एक्टिव सहयोग इनको मिल रहा है। गुप्तचरों के जरिये हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों को पैसा मिल रहा है। यह रूस वही है जो हिन्दुस्तान के प्रति वफादारी को बात करता है जिसने केरल में जाकर वहां की सरकार से बिना पूछे, भारत सरकार की कोई अनुमति नहीं लेकर केरल की भूमि पर अपना एक भवन खड़ा कर दिया है। ऐसा देश हिदुस्तान के प्रति वफादार नहीं हो सकता यह वही रूस है जिसने अमेरिका के पाकिस्तान को सशस्त्र किया है और यहां की कम्युनिस्ट पार्टी चुप्पी साधे बैठी रही अमेरिका ने पाकिस्तान को शस्त्र दिये तो एक नारा लगा दिया गया और आज वहीं रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, हवाई जहाज दे रहा है, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की जबान सूख गई? इनकी वफादारी रूस और चीन के साथ जुड़ी हुई है इस वफादारी को खतम करने के लिये हमने भारतीकरण का नारा दिया है। भारतीय जनसंघ आपके प्रचार से डरने वाला नहीं है। धीरे धीरे कम्युनिस्टों में और भारतीय जनसंघ में, राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय तत्वों में लड़ाई होगी और राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय तत्वों का फैसला होगा। आज कांग्रेस की हुकूमत है लेकिन वह इस हालत में नहीं है। राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय का झगड़ा हम बाजारों में लड़ेगें, गलियों में लड़ेगें, यह मैं उन्हीं की भाषा में कहता हूँ, वे चाहेंगे तो हम खेतों में लड़ेगे और राष्ट्र वादी शक्तियों के आधार पर हम हिन्दुस्तान में रूस और चीन की ताकत को, इन दो दलों को और कम्युनिष्टों को खतम करेंगे। पूरी शक्ति के साथ इन अराष्ट्रीय तत्वों को खतम करेंगे और

(श्री भैरों सिंह)

हिन्दुस्तानके संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतन्त्र की रक्षा करेंगे और इस तरह से हम भारत माता की जय जयकार का नारा सारे हिन्दुस्तान में लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मुख्य मंत्री।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** ( बारां ) और पाकिस्तान और चीन के रेडियों में रामानन्दजी का नाम आ जाये इसलिये उन्होंने यह बात यहां पर कही हैं।

**श्री मदन सिंह :** अध्यक्ष महोदय,

**श्री अध्यक्ष :** आपको समय दे दिया जायेगा। मुख्यमंत्री।

**श्री मोहन लाल सुखाड़िया :** (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज सुबह माननीय रामानंद जी द्वारा भारतीयकरण के सम्बन्ध में रखा गया है उस पर काफी चर्चा हो चुकी है और शायद कुछ और हो। इस के बीच में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रश्न को जो प्रस्ताव जनसंघ के पटना अधिवेशन के अन्दर पारित किया गया उसको हमें एक व्यापक रूप में देखना होगा। मूल रूप से प्रश्न यह है कि आज हमारे देश की एकता किस प्रकार से कायम रहे? देश की एकता कायम रखने की दृष्टि से अगर किसी भी स्लोगन से, कार्यक्रम से, विचारधारा से, आपस में तनाव बढ़ाने या गलतफहमी फैलाने की, एक दूसरे के बीच में झगड़े होने की स्थिति पैदा हो सकती है तो वह मैं समझता हूँ राष्ट्र के हित में न होगा, राष्ट्र के हित के नाम में भी अगर यह सोचा जाये और उसका परिणाम आपस के झगड़े हो तो राष्ट्र का हित गौण बन जायेगा, राष्ट्र का हित पूरा नहीं हो सकता है। आज भारतीयकरण के सम्बन्ध में जो बातें कही जाती हैं, चाहे इंडियनाइजेशन उसको कहा जाये, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से हमारा यह मानना है कि इस देश के अन्दर जो भी पैदा होता है वह भारतीय है, इंडियन है और उसके बारे में किसी और प्रकार का कोई करण और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा नही होता। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयता की कमी के बारे में कैसे तरीके हो सकते हैं, यह प्रश्न भी यहां उठाया गया है। मैं समझता हूं कि यह किसी जाति, विशेष सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न नहीं है। हो सकता है कुछ व्यक्ति सभी मजहबों में, ऐसे हो सकते हैं। इस प्रकार की कमजोरी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके लिये देश में कानून है। देश में राष्ट्रीयता की स्थिति रहे, इसके लिये उपयुक्त वातावरण बने, यह बात समझ में आ सकती है। अगर भारतीय करण के नाम से यह प्रचार किया जाये कि अमुक धर्म वाले, अमुक धर्म का बहुमत राष्ट्रीय नहीं है, वह भारतीय नहीं है और इस विचारधारा से इस के अन्दर काम किया जाये जैसा कि इसका असर देश में हुआ है, यह भारतीयकरण का नारा इस दृष्टि से दिया गया है कि जो माइनोरिटीज है उनके दिल में भय पैदा हो तो जो भारतीयकरण का नारा दिया जा रहा है, उसकी कोई सुपीरियर सिटीजन शिप होगी, या उसकी एक सेकेन्डरी सिटीजनशिप रहेगी,

# Page No 101



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस प्रकार की स्थिति इससे पैदा हो तो मैं समझता हूं वह देश के राष्ट्र के हित के अन्दर नहीं हो सकता। आज यह प्रश्न जो हमारे सामने है, देश में स्वदेशी की भावना हो, देश के अन्दर भारतीयता की भावनाओं के प्रति आदर हो, इसके बारे में मैं समझता हूं किसी का मतभेद नही हो सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जो इस सदन में हैं, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि दुर्भाग्य से हमारे देश में ज्यादातर दगे हुए है, वे कई बार गलत प्रचारों की वजह से छोटी-सी घटना को लेकर के, एक पुरानी भूमिका के संदर्भ में, उसकी वजह से आपस में तनाव रहने की वजह से, पुराने ऐतिहासिक कारणों से हुए हैं। अभी जो माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य हैं, ने काश्मीर जैसी समस्या को भी इससे जोड़ दिया। कई चीजों की इस देश के अन्दर एक प्रकार की भूमिका रही है, उसमें हम क्या चीज कहें, क्या कार्यक्रम और क्या अपना स्लोगन दे, मैं समझता हूं वह खुद में महत्वपूर्ण चिन्तन की बात है। यह विभाजन के बाद देश में गलतफहमी पैदा कर रही है। यह बात मैं समझता हूं जो भी व्यक्ति हैं वे मानेंगे।

इस बात की वजह से यह माना जा रहा था कि यह माइनोरिटीज के बारे में यह भारतीयकरण की बात कही जा रही है। तुम भारतीयकरण में आओ नहीं तो तुम्हारे साथ और प्रकार की बात होगी। जो इस देश के अन्दर पैदा हुआ है, जो हमारे सामने संघर्ष आये हैं इस देश के अन्दर इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि यह एक मजहब का देश होने वाला नहीं है यहां विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न दर्शन वाले लोग रहने वाले हैं इस स्थिति को हमें स्वीकार करके चलना होगा। आज कोई भी इस बात को स्वीकार करके नहीं चलता कि एक धर्म का यह देश होगा। अगर कोई इस तरह की बात सोचता है तो वह इस देश के लिये खतरनाक बात होने वाली है। इससे देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायगी। देश की एकता रहेगी तो देश की स्वतन्त्रता कायम रहेगी। अगर इस तरह से लड़ने की प्रवृत्तियां कायम रही तो देश स्वतन्त्र नहीं रह सकेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : कम्यूनिस्टों को अन्दर मिलाओगे तो एकता नहीं रह सकेगी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं किसी को मिलाने वाली बात नहीं कहता। चाहे भाषा के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या और किसी बात के नाम पर हो आज हम नारे को लेकर चलते हैं तो हमें उसमें भी नाप तोल कर चलना पड़ेगा। यह जो प्रवृत्ति है वह देश को विघटन की ओर ले जाने वाली है। कौनसी ऐसी चीजें हैं उनसे बचा जाय क्योंकि हम काफी नाजुक दौर से निकल रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

एक तरफ गुजरात के अन्दर दंगे हों और उस समय भारतीयकरण की बात कही जाय और इन दोनों को साथ जोड़कर सोचे तो....

**श्री भैरोंसिंह** : मुख्य मंत्री महोदय, यह भी सोचना पड़ेगा गुजरात के दंगे हों उस

(श्री भैरों सिंह)

समय किसी सम्प्रदाय विशेष का व्यक्ति है, जो कम्युनिस्ट नेता उनके साथ हो, जिनके यहां जाकर ठहरे हों और दूसरे ही दिन हथियार वहां से बरामद होते हों तो आप इस बात को इग्नोर करके कैसे चल सकते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो जो अराष्ट्रीय कार्य करता है अगर उसके कारण झगड़े भड़कते हों तो वह क्षम्य नहीं हो सकता। चाहे वह किसी वर्ग का हो मजहब का हो या किसी पार्टी का हो। आज जरूरत इस बात की है कि देश के अन्दर इस प्रकार वातावरण बने कोड आफ कण्डक्ट के बारे में कहा इसके बारे में इन्टीग्रेशन कौन्सिल के अन्दर वक्त वक्त पर चर्चा हुई है देश की एकता के लिये वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी राजनैतिक बातें कही गई मैं उनके विवेचन में पड़ना नहीं चाहता। यह काल अटेंशन मोशन गृह मंत्री की तरफ एड्रेस किया गया इसका कारण यह भी हो सकता है इसका असर यहां की साम्प्रदायिक स्थिति पर क्या पड़ रहा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में जो साम्प्रदायिक सौहार्द आज भी विद्यमान है उसका कारण यह है कि यहां पर भिन्न भिन्न सम्प्रदाय वाले आपस में वर्षों से एक रूप बन कर रहे हैं और आज भी उसी स्थिति में हैं। मैं ऐसी हालत नहीं पाता जिसके अन्दर तुरन्त कोई खतरा आता हो। सरकार इस बारे में पूरी तौर से सतर्क है और इसमें हमें सभी का सहयोग भी प्राप्त है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ने जो भारतीयकरण की व्याख्या की है, जिस दृष्टि से व्याख्या की गई है वह बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है। उस व्याख्या को उस दृष्टिकोण को जो दूसरी जगह दूसरे रूप में और अलग-अलग तरीके से कही जाती है तो उसमें फर्क पड़ता है। यह व्याख्या इस जगह के लिये है और दूसरी जगह इसका दूसरा मतलब है तो यह खतरा है···

**श्री भैरोंसिंह** : यही व्याख्या है जो यहां की है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर यही व्याख्या है तो आपको अपने प्रस्ताव के अन्दर स्पष्ट कर देना चाहिये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने उस प्रस्ताव को पढ़ा ही नहीं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** जो प्रस्ताव था उसको देखा है यदि इसके पीछे कुल मिलाकर यही दृष्टिकोण है तो अहमदाबाद में भारतीयकरण की बात कही जाय तो उसको और रूप में लेकर चला जा सकता है।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रस्ताव काफी स्पष्ट है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीयकरण का स्लोगन जिस संदर्भ के अन्दर उठाया गया है उससे

# Page No 103



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देश के अन्दर भ्रान्ति फैलने वाली है। अगर कोई गलतफहमी रह जाती है तो उससे वैमनस्यता बढ़ सकती है। अच्छा हो भारतीयकरण को समाप्त किया जाय और इस बात को मानकर चला जाय कि इस देश की धरती पर जो पैदा हुआ वह भारतीय है, और रहेगा इतना ही मुझे निवेदन करना है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर । मुझे समय की पालना के बारे में विचार कर लेना चाहिये ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:** अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय छिड़ गया है तो किसी पार्टी पर समय का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। इस लिये मेरा सुझाव है कि युनिवर्सिटी बिल पर जो डिबेट आज होने वाली है उस डिबेट को आगे के लिये रख लिया जाय। इतने थोड़े समय में इस पर बहस हो यह जस्टिफिकेशन नहीं होगा। कई वर्षो से हम यह मांग करते आ रहे हैं कि युनिवर्सिटी के फाइनेन्सेज के बारे में इसके कार्यकलाप के बारे में यहां चर्चा हो। इस समय तीन बज गये है केवल दो घंटे में इस पर बहस नहीं हो सकती इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय और इस प्रश्न पर हमें खुलकर अपने विचार रखने दिये जायें।

**श्री अध्यक्ष** : मैं यूनिवर्सिटी बिल को पोस्टपोन (मुल्तबी) करता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस पर फिर कब बहस होगी इसकी तारीख तय होनी चाहिये आज ही।

**श्री अध्यक्ष** : इस पर मैं विचार करूंगा।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कम्युनिस्ट नेता द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में स्पेसिफिकली आर० एस० एस० और जनसंघ पर आरोप लगाये गये हैं। उनके कहने के मुताबिक ये दो पार्टिया जनसंघ और आर० एस० एस० इस भारतीयकरण के नाम से देश में कोई बड़ा विप्लव पैदा कर देंगी।

अध्यक्ष महोदय, कम से कम रामानन्दजी आर० एस० एस० के संगठन में जाते जैसे वे मजदूरों के में जाते हैं वैसे ही घंटे दो घंटे इनके गुरुजी के पास भी जाते तो शायद इनके दिमाग में जो यह भारतीयकरण के नाम से डर पैदा हुआ है वह मिट जाता। और जो सही विचारधारा है उसको वे जान सकते। मैं समझता हूँ यह उनका केवल राजनैतिक स्टण्ट मात्र ही था। आयन्दा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और अलवर में जो वोट इनको मिलने की आशा है वे इनके हाथ से जा रहे हैं उनको अपनी ओर खींचने के लिये इस भारतीयकरण नारे का आसरा लेकर जनसंघ और आर० एस० एस० को बदनाम करने का प्रयास कर रहे

# Page No 104



(श्री मदन सिंह)

हैं। आज संघ वाले यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अलवर से इनको हटा दिया जाय। भारतीयकरण का प्रश्न यहां लाना और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पर छोड़ देना कि यह वर्डिक्ट देंगे उसको क्या मान लेंगे ? आज इनको रश्क हो रहा है अलवर में कम्युनिस्टों का सफाया कर रहा है यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज उसी के कारण माननीय सदस्य को खतरा पैदा हो रहा है।

जहां तक भारतीयकरण का सवाल है हमें वास्तविक स्थिति पर आ जाना चाहिये। इसके लिये जो पुराना इतिहास है उसके पीछे जाना चाहिये जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया।

क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारत का विभाजन हुआ तो कम्यूनिस्ट ऐसे थे जो भारत को धोखा देकर गये। कांग्रेस के दो चार बच्चे हुए। एक जिन्ना था। कांग्रेसी होते हुए मुसलमान के नाम पर द्विराष्ट्र के सिद्धान्त को आगे लाया और अलग से राष्ट्र बनाया। इसलिए आज पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में यह हो सकता है। आम चर्चा यह है कि पाकिस्तान में मुसलमान हैं और उनकी उठ बैठ यहां के मुसलमान के साथ है। कई पकड़े भी गये हैं। यहां भी मुसलमानों के पास हथियारों के जखीरे पकड़े गये हैं। हिन्दुस्तान में मुसलमानों के हथियारों के बमों के कारखाने पकड़े गये हैं। हिन्दू मुस्लिम झगड़ों की जड़ में ये हथियार रहे हैं। हिन्दुस्तान में और काश्मीर में मुसलमान पकड़े गये हैं। अब और कोई संस्था जागरूक रहती है, संगठन बनाती है इस देश को बचाने के लिये तो ये हैरान होते हैं कि यह संगठन कहां से खड़ा हो गया है, हमारी दाल नहीं गलने देता यह।

(३ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रामानन्दजी का दर्द तो यह है। उनका यह दर्द समझ में आता है। सी. आई. डी. की सरकार की रिपोर्ट साफ-साफ बताती है। और यह संगठन न हो तो ये लोग तो सम्पूर्ण राष्ट्र को ही गारत कर दें। तो इस देश में एक ऐसा संगठन होना पड़ेगा जो राष्ट्रवादी हो।

आर. एस. एस. के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त संगठन है। आरोप लगाया गया कि जनसंघ में मुसलमान नहीं है। मैं जनसंघ का अध्यक्ष था और हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, थोड़े से मतभेद के कारण में जनसंघ से अलग हो गया और वह मतभेद मैं बताऊं क्या था। जनसंघ के लोग जनसंघ की तरफ से एक मुसलमान को पालियामेंट का टिकट दिलाना चाहते थे नवलगढ़ में। मैंने अपोजीशन किया था कि जब तक संस्था में काम करने वाले आदमी को परख नहीं लिया जावे टिकट नहीं दिया जा सकता। तो मैं इस आधार पर स्तीफा देकर आया हूं। तो जनसंघ मुसलमान से नाराज है यह कहना सरासर गलत है। ठाकुर मदन

(श्री मदनसिंह)

सिंह जैसे कार्यकर्ता को केवल मुसलमान को रखने के कारण जनसंघ से अलग कर दिया गया। और यह विचारधारा इस पार्टी की नहीं होती तो कहा जाता हम ठाकुर साहब को चाहते हैं, मुसलमान को नहीं। यह पोलिटिकल पार्टी है। इसकी अपनी विचारधारा है। इसमें सभी धर्मों के लोग जो भारतीय हैं आ सकते हैं।

रहा सवाल आर. एस. एस. का। आर. एस. एस. हिन्दू राष्ट्र में विश्वास रखता है। कोई डर नहीं है इससे। आप लिख लीजिये। रामानन्द जी आप नोट कर लीजिये आर. एस. एस. हिन्दू राष्ट्र में विश्वास रखता है। भारत अखण्ड है, उसका यह नारा भी है। वह चाहता है हिन्दु मुसलमान साथ-साथ रहे। जिसका भारत अखण्ड का नारा हो, वह कभी मुसलमान को यहां से रवाना कर सकता है? आज अगर भारत पाकिस्तान एक होता है तो फिर मुसलमान कहां जावेगा? तो जो एक करने का नारा लगाता है वह क्या यह कहेगा कि पाकिस्तान का मुसलमान अखण्ड भारत से निकल जावे? हिन्दू राजा ऐसे हुए हैं जिसमें कभी यह नहीं देखा गया कि मुसलमान वहां बराबर की हैसियत से नहीं रहा हो। आज तक कोई भी भाषण आर. एस. एस का आपने ऐसा सुना या पढ़ा कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भारत के मुसलमानों से यह कहा जाता कि वे यहां से निकल जाए। सच्चाई और ईमानदार बनने का प्रचार करता है आर. एस. एस. भारतीय संस्कृति का और अनुशासन का प्रचार करता है बच्चों में। मास्टरों के प्रति और अपने मां. बाप के प्रति श्रद्धा की बात करता है बच्चों में। रामानन्दजी फिर यहां कोई भेदभाव नहीं। आपका लड़का इसमें आता है तो भी हर्ज नहीं, कोई हरिजन आता है तो स्वागत है उसके यहां मुसलमान आता है तो ना नहीं। कोई जातीयता की बात यहां नहीं है। एक संघ ही ऐसा है जहां सब लोग एक आसन पर बैठ सकते हैं। एक जगह खा पी सकते हैं। संघ देश में आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहां जातीयता के आधार पर भेदभाव और छल कपट नहीं है। राजनीति की कुटिलता नहीं है, वक्ता नहीं है, हैटेड और घृणा फैलाना, जो राजनीतिज्ञों का आज पेशा हो गया है उससे वह कोसों दूर है। और जब जब देश में खतरा पैदा हुआ है, बोर्डर पर लडाई हुई है तो संघ के ही कार्यकर्ता है जो हिम्मत करके आगे आये हैं और गोलियों के मोर्चे पर जाकर काम किया है। आज ईसाई प्रचारकों का विषैला प्रचार जहां अपना रंग दिखा रहा है, नागालैंड अलग बनाना चाहते हैं, वहां संघ एकता का प्रचार कर रहा है एक रहन सहन, एक ढंग एक आवाज और देशभक्ति के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं। रामानन्दजी आपकी तरह नहीं हैं कि काम यहां करते है, प्रेरणा रूस से और चीन से लेते है। आप से टक्कर लेने वाले लोग ये ही संघ वाले हैं। और किसी में हिम्मत नहीं है आपसे टक्कर लेने की। ये चाहते है कि आप यहीं से प्रेरणा लें, यहीं यहां के लोगों के हित में ही काम करें, बाहर वालों से प्रेरणा लेना बन्द करें, उनका हित इस देश में नहीं चल

# Page No 106



(श्री मदनसिंह)

सकता ।

फिर यह लड़ाई काहे की है। बिजली के कुछ मशीन के कुछ कारखाने खोलने के लिये थी क्या ? अंग्रेजों को हमने क्यों निकाला। अगर कुछ कारखाने लगाने के लिये ही अंग्रेजों को निकाला गया था तो कारखाने तो अंग्रेज भी लगा सकते थे। पर हमने अंग्रेजों को निकाला। इसलिये कि भारतीयता यहां आवे। हमारी राज्य प्रणाली भारतीय बने। भारत की क्लाइमेट में हम पनपें। हमारा रहन सहन भारतीय हो। हमारा सारा दृष्टिकोण भारतीय हो। इसलिये अग्रवालजी को जो दर्द है वह हम समझ रहे हैं जब तक जनसंघ और आर. एस. एस. इस देश में रहेंगे उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उनका कम्यूनिज्म देश में चल नहीं सकता। वे पोलिटिकली हिन्दू मुसलमानों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर नहीं सकते। जब तक देश में जनसंघ और आर. एस. एस. हैं तब तक उनकी डिक्टेटरी चल नहीं सकती इस देश में। मैं एक कम्यूनिस्ट नेता बताऊंगा।

सबसे बड़ी चीज यह है कि जब वे चलते है तो कहते है वी स्टेण्ड फोर एवरी बड़ी और जब एण्ड होता है तो आई पर आ जाते हैं। उनके सबसे बड़े नेता थे जंगल में कहीं जा रहे थे वे कामरेड। तो कहा वी आर गोइंग टू ट्रेस सम थिंग। जब वह चीज मिल गई और पूछा गया कि किसने तलाश किया। तो कहा आई सर्च्ड इट। पहले वी बनते हैं और बाद में आई हो जाते है। आज बंगाल में वे हैं। पर वहां उनका राज कैसा रहा ? इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। बंगाल को इन्होंने तबाह कर दिया और अब राजस्थान को तबाह करना चाहते हैं। बंगाल में जो खून खच्चर किया है वह राजस्थान में करना चाहते है, पर यहां उनकी दाल नहीं गलेगी। बंगाल से जिस तरह से राजस्थान के लोगों को मार कर भगाया वहीं प्रीचिंग यहां करना चाहते हैं।

इनकी एक नीति है, खुद पिट जाते हैं तो वे दब जाते हैं और खुद नहीं पिटते हैं तो दूसरों पर चढ़ जाते हैं। बंगाल के अन्दर इनका मुकाबला बणियों से हुआ। बणिये जवाब नहीं दे सके तो उन पर हावी हो गये। राजस्थान में अगर इनका प्रभाव हुआ तो जैसा भैरोंसिहजी ने कहा गलियों में इनके पिटने की तैयारी है। कम्युनिस्ट पारसी नहीं होते हैं, कम्युनिस्ट अंग्रेज नहीं होते हैं पर कम्युनिस्ट मुसलमान हो जाते हैं। अग्रवालजी, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारा जाट कम्युनिस्ट क्यों नहीं बनता, ब्राह्मण क्यों नहीं कम्यूनिस्ट बनता, हमेशा मुसलमानों को कम्युनिस्ट बनाते हो क्योंकि इनके लड़ाने की नीति है। हिन्दू मुस्लिम के नाम पर कई जगह खून खच्चर हो जाते हैं तो कम्युनिस्ट कह देते हैं कि आर० एस० एस० वालों ने कराया है हल्ला करवाने में कम्युनिस्ट सबसे आगे रहते हैं। इनके सारे भाषण में नवाबों का उल्लेख नहीं आया, टोंक के नवाब के लिये इन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे नवाब साहब अमीनुद्दीन के लिये कुछ नहीं कहा। इनका तो हमला है जयपुर दरबार पर, जोधपुर दरबार पर।

(श्री मदनसिंह)

जिस तरह कांग्रेस ने हरिजनों को पकड़ रखा है, पर उनसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी लेकिन जो मुसलमानों को कम्युनिस्टों ने पकड़ा है उससे तो देश को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ जायेगी…

**श्री भैरोंसिंह :** वहम करने की जरूरत नहीं है।

**श्री मदनसिंह :** डरने की जरूरत नहीं है मैं तो…

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** पहले घर में सलाह तो करके आया करो—दोनों।

**श्री मदनसिंह :** यह सलाह कि कम्युनिस्ट किस तरह खतम हो सकते हैं, यह सलाह यहां नहीं की जा सकती है…

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** देवी का पाठ शुरू करवा दो।

**श्री मदनसिंह :** देवी का पाठ करायेंगे तो जाने क्या होगा। अभी तो आपने दो प्रस्ताव रखे और दोनों में ही आपको मुंह की खानी पड़ी—एक तो प्रिविपर्स का मामला जिसमें मुंह की खानी पड़ी और एक आज भारतीयकरण के बारे में भी मुंह की खानी पड़ी। आपको ये लोग अकेले ही बोलने के लिये खड़ा कर देते हैं और देखते रहते हैं—कोई तर्क तो है नहीं। मुझे बड़ा दुःख हुआ एक पार्टी की व्यवस्था क्या हो और होम मिनिस्टर फैसला दें और इस तरह के ध्यानाकर्षण की परम्परा डालेंगे तो आज कम्युनिस्ट के लिये है, कल कांग्रेस के लिये आयेगी, परसों किसी और पार्टी के लिये आयेगी इसलिये मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। आर० एस० एस० का प्रचार नहीं हुआ था उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन अबकी बार मैं चुनाव अग्रवाल साहब अलवर से आपके विरोध में लड़ूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मूलचन्द।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** उपाध्यक्ष महोदय उनके दल से बोल चुके है, मुझे बोलने की इजाजत दी जाय…

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दल विशेष की ओर से भारतीयकरण के नारे के प्रश्न को लेकर पार्लियामेंट में भी यह चर्चा का विषय बना और आज इस राजस्थान विधान सभा के प्रांगण में भी एक दल विशेष के द्वारा, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीयकरण के नारे को किस संदर्भ में प्रस्तावकर्ता ने रखा उनको पूछिये कि उनकी भावनायें क्या थीं? इस पर तो प्रकाश उस दल ने डालने की चेष्टा की लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में भारतीयकरण के नारे का विरोध, राष्ट्र में राष्ट्रीयकरण के नारे का विरोध, एक दल विशेष के व्यक्तियों द्वारा यह चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। आलोचना यह कह कर की जाती है कि भारतवर्ष में भारतीयकरण क्यों? मैं कहता हूं राष्ट्र में राष्ट्रीय-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

करण क्यों ? आज आप यही कह सकते हैं कि मेरी पार्टी की आइडियोलोजी को कह कर····

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** राष्ट्रीयकरण के काऊन्टर····

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** नहीं, नहीं यह बात नहीं है, मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में यदि इस प्रकार का प्रश्रय देने का प्रश्न चला चाहे वह संसद के सामने हो और चाहे विधान सभा के सामने हो तो देश के भविष्य के लिये, देश की संस्कृति के लिये, देश की एकता के लिये इस प्रकार की विचारधारा को प्रश्रय देना हितकारी नहीं हो सकता है। हमको विचार करना है इतिहास की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये कि देश के अन्दर अराष्ट्रीय तत्व कौन हो सकते हैं ? हमें इतिहास को दृष्टिगत रखते हुये विचार करना होगा तभी हम देश की कल्याणकारी भावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बातों पर संसद में या विधान सभाओं में विचार करना है। हमने अपनी भावनाओं को संकुचित रखा, सीमित रखा और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो मैं उपाध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से कह सकता हूं देश का भविष्य अन्धकार-मय होगा, देश के कल्याण की बात नहीं हो सकती है।

आज एक जर्मन अपनी जाति विशेष से अपना परिचय नहीं देगा, वह कहेगा मैं जर्मन हूँ, मैं इंगलिश हूं इस प्रकार का वह अपना परिचय देगा। यह राष्ट्र की भावना प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होनी चाहिये। हम चाहे स्वतन्त्र पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों और चाहे जनसघ के हो चाहे किसी पार्टी विशेष के हों उसके प्रति यह भावना होनी चाहिये कि हम देश के लिये क्या हैं। मैं कहता हूं हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक चाहे वह ईसाई हो, पारसी हो, मुसलमान हो—देश के प्रति वफादार होना चाहिये। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में कंधे से कन्धा हिन्दु-मुसलमानों ने लगाया है, ब्रिटानियां के लिये ही सवाल नहीं है पिछले इतिहास को देख लीजिये जब कभी बाहर के तत्वों ने आकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया है तो इस देश के रहने वाले सभी लोगों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर उस आक्रमण के प्रति सतत संघर्ष किया है। बाहर से आने वाली शक्ति को हिन्दुस्तान में नहीं आने दिया है उसको बाहर निकाल फेंका है-इस नारे विशेष को लेकर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिये कि एकता की भावना को बढ़ाने की चेष्टा करें। परन्तु यह दुर्भाग्य है सत्ता के लोभ में आकर प्रत्येक दल अपने दल की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिये नारे का एक रूप देते हैं। मैं कहता हूं इस तरह नारे बाजी को लेकर भी अपने दल को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। बराबर यह देखा जा रहा है कि कोई न कोई नारे को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष का नारा लगाती है, कम्यूनिस्ट राष्ट्रीयकरण का नारा। इसी प्रकार प्रत्येक दल विशेष अपने दल की

# Page No 109



(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मान्यताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं-बाकी भावनायें एक होनी चाहिये, राष्ट्र हमारा एक है, देश एक है और वह देश हमारा हिन्दुस्तान है, हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के लिये वफादार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जाति विशेष के प्रति यदि इस नारे के द्वारा गलत प्रचार किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, बहादुर शाह जफर जो हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ा सबसे पहला मुसलमान था जिसने हिन्दू मुसलमानों को एकत्रित किया और जो अराष्ट्रीय तत्व थे उनको बाहर निकालने के लिये स्वयं बलिदान हो गया, उनके पुत्रों का बलिदान हुआ और अन्त में यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में कब्र में दफनाने के लिये उसको चार गज जमीन नहीं मिल सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, देश का इतिहास यह भी बताता है कि यहां रहीम जैसे कवि मिल सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे व्यक्ति मिल सकते हैं। जो इस देश के साहित्य की सेवा करने वाले हैं। इस देश की मर्यादा को निभाने वाले इस देश में हिन्दु भी हुए हैं और मुसलमान भी हुए हैं। प्रत्येक नागरिक जो देश का रहने वाला है वह देश के लिए उतना ही प्रिय है। मेरी प्रार्थना है कि यह जातिवाद की भावनाओं को फैलाने की चेष्टा मत कीजिए रोकें उन लोगों को जिनकी भावनायें देश द्रोही है. रोकें उन लोगों को जिनको देश से प्रेम नहीं, रोकें उन लोगों को जो इस देश के प्रति वफादारी नहीं बनना चाहते हैं। आज इस वर्तमान काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह विभिन्न दल, विभिन्न पार्टी हमारे देश में उत्पन्न हुई और आप इन पार्टियों का अध्ययन कीजिए कि किस किस पार्टी की विचारधारा इस देश की विचारधारा से मिलती जुलती है। किस पार्टी की विचारधारा इस देश के सिद्धान्तों से, इस देश की संस्कृति के सिद्धान्तों से मिलती हुई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से आपके सामने कहना चाहता हूं कि यह कम्यूनिस्ट विचारधारा जो देश में फैल रही है मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीयकरण की व्यापकता से हटकर संकुचित रूप में किसी प्रचार के दृष्टिकोण से यदि प्रचार किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह सबसे बड़ा अभारतीय तत्व है। हम किसी दूसरे की आलोचना करने के पहले यह देखें कि हम स्वयं किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किन सिद्धान्तो के आधार पर कम्यूनिस्ट पार्टी कौनसी संस्कृति को मानने वाली है। मै रामानन्द जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कम्यूनिस्ट पार्टी का एक ही लक्ष्य रहा है कि वह अपनी शक्ति को किसी प्रकार से बढ़ाना चाहती है और उसके लिए चाहे कितने ही विरोधी तत्व, चाहे कितने ही समाज के अन्दर प्रतिकूल कार्य करने वाले तत्व एक साथ इकट्ठे हों और डेस्ट्रक्शन हो, विनाश हो। क्या कम्यूनिस्ट पार्टी का यही सबसे बड़ा सिद्धान्त है? इस प्रकार का असन्तोष, इस प्रकार का वातावरण और इस प्रकार का एक रूप लोगों के अन्दर फैलाया जाये कि जिसके

# Page No 110



(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

द्वारा असंतोष और अशांति उनके अन्दर बनी रहे और फिर इससे कम्यूनिस्ट विचार-धारा फैले। आप साम्यवाद की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहां से है ? आप रामायण काल से लेकर अब तक का अध्ययन कर लें किस मुनि या ऋषि की विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते है। जिस साम्यवाद की यह रचना करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे सिद्धान्त हमारे देश की संस्कृति में है। यह हिन्दू और मुसलमानों के झगड़े राजनैतिक कारणों से बढ़ाये गये है। बरतानिया सरकार के लोगों ने जब कि हिन्दू-मुस्लिम एकता को देखा तो उसको कुचलने की कोशिश की और उन्होंने साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाया शुरु किया। जो भी सत्ता में आया उसने साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाया। यदि दल विशेष के लोग भी इस प्रकार का प्रचार करते हैं तो ये भावनायें राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती। हमें राष्ट्र के हित को पहले देखना होगा। देश के कल्याण को पहले देखना होगा और मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस भारतीयकरण का लक्ष्य यही हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति में देश के प्रति सद्भावना को फैलाना है, राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाना है और हमारा पुनीत कर्तव्य यह होता है कि दल पीछे, व्यक्ति पीछे, परिवार पीछे और राष्ट्र सबसे पहले है और राष्ट्र को प्रधानता देकर चलना होगा तो मैं समझता हूं कि ऐसी विचारधारा चाहे वह कांग्रेस के लोग हों, चाहे स्वतंत्र पार्टी के हों और चाहे जनसंघ के हों, चाहे किसी और सम्प्रदाय के मानने वाले व्यक्ति हों उन सब के लिए यह कल्याणकारी भावना होगी। देश का कल्याण तभी होगा कि एक ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा करें और देश प्रेम के प्रति हमारी भावना हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में आपके माध्यम के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो चर्चायें हुई उनके विषय को लेकर हमने परस्पर एक दूसरे के दलों पर छींटा-कसी करने की कोशिश की। विषय क्या था। हमारे सामने प्रश्न यह नहीं कि हम एक दूसरों के दलों की आलोचना करें। अपने दल को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस विचारधारा से मुझे यह मालूम पड़ता है कि जिन सही सिद्धान्तो के रूप में प्रस्तावक महोदय ने इसको रखा उनकी स्वयं की भावना कलुषित प्रतीत होती है। दरअसल होना यह चाहिये था कि इस प्रस्ताव के द्वारा कितने अच्छे सुझाव हम इस सदन के सामने रख सकते हैं उन अच्छे सुझावों को तो हमने नहीं रखा और उल्टे यह कहने लग गए कि इतने दंगे हुए, इतने फिसाद हुए। उत्तर में यह कहा गया कि हमने फलां सरकार के आगे झुकने की कोशिश की। हम अपने सिद्धान्तों से लड़ने की चेष्टा करते हैं। इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं से मैं यह पूछना चाहता हूं कि देश का हित कहां होता है ? क्या आपकी यह विचारधारा चीप पापुलेरिटी की तारीफ में नहीं आती ? क्या आप अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए, या रेडियो पर नाम देने के लिए इस प्रकार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की भावनाओं को फैलाने की चेष्टा नहीं करते हैं। क्या आपका दल यहां तक कि यूनीवर्सिटीज में और इन्सटीट्यूसन में आगे जाकर विद्यार्थियों के कच्चे दिमागों पर इस प्रकार का प्रभाव डालने की चेष्टा नहीं करता कि जिससे संघर्ष फैलता जा रहा है। सड़कों पर खून की नदियां बहाने को आप पसन्द कर रहे है। क्या इन भावनाओं को रोकने का आप अपना पुनीत कर्तव्य नहीं समझते ? अगर कम्यूनिस्ट पार्टी इन संकुचित भावनाओं को छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करे और कम्यूनिस्ट पार्टी कहें कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उससे संघर्ष करने के लिए कन्धे से कन्धे मिलाकर आज हमारे देश का नागरिक आगे बढ़ेगा। यह देश प्रेम की भावना यदि नागरिकों में उत्पन्न की जाये तो देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की विचारधाराओं के बारे में विधान सभा में चर्चा करने के पश्चात हम देश का कल्याण नहीं कर सकते। हम देश के कल्याण की ओर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब कि हम अपने नैतिक चरित्र को उठावें, जब व्यक्तियों के अन्दर इस प्रकार की भावनायें पैदा करें कि देश के प्रति मर मिटने की चाह कितनी है। इस प्रकार की भावनाओं से ही हम देश का कल्याण कर सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष जी अंत में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर भी एक माइनोरिटी क्लास और एक मैजारिटी क्लास-इस प्रकार की जो व्याख्या की जाती है मैं समझता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से या किसी को सहायता करने के दृष्टिकोण से या विकास के दृष्टिकोण से यदि राज्य सरकार अपना कोई लक्ष्य बनाकर किसी दल विशेष को सहायता करना चाहती है वहां तक तो यह सही रूप में हो सकता है लेकिन आर्थिक या सामाजिक विकास की भावना को छोड़कर माइनोरिटी और मैजारिटी कम्यूनिटीज के दृष्टिकोण को लेकर राजनैतिक नेता जब इनके सेन्टीमेन्टस को एक्सप्लाईट करते हैं, जब इनकी भावनाओं के ऊपर धार्मिक प्रचार करने के पश्चात् एक दल विशेष को सहायता इस पर प्रदान करना चाहती है तो यह भावना अच्छी नहीं है। यह भावनायें हिन्दू और मुसलमानों पर ही लागू नहीं होती। यह भावनायें तो आज हिन्दू जाति में भी और मुसलमान जाति में भी इसी प्रकार लागू होती है, सिक्खों में भी इसी प्रकार लागू होती है और इन्हीं भावनाओं को लेकर जाटवाद, गूजरवाद, राजपूतवाद, ब्राह्मणवाद और जितने भी जातिवाद हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की सौगन्ध और शपथ खाने के पश्चात जब से देश में स्वतंत्रता आई कि हमने कोशिश की कि हमारा राज्य धर्मनिर्पेक्ष राज्य हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी धर्म को नहीं माने बल्कि उसका सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि जिस भी धर्म में, जिस भी सिद्धान्त में या आइडीलोजी में वह विश्वास करते हैं उसमें विश्वास रखें और उसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता है।

# Page No 112



(श्री दुर्गालाल यादृदार)

एक ओर हमारा संविधान यह कहता है और दूसरी ओर अगर हम इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करने की चेष्टा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा ? परस्पर संघर्ष होगा । एक व्यक्ति धर्म की संकुचित भावना को लेकर अपने ही धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा करे तो दूसरे धर्म के प्रति उसकी सद्‌भावना, दूसरे धर्म के प्रति वह सम्मान करने की भावना रखता हो इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होगा । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित मत अपना यह रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आइडियोलाजी, अपने सिद्धान्त के प्रति उसका विश्वास हो तो उसको सही रूप में मानना चाहिए । हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, विचारों के युग में रह रहे हैं, तर्क के युग में रह रहे हैं तो तर्क के आधार पर दूसरे को अपने सिद्धान्तों का सही निरूपण करके उसको अपने पक्ष में ला सकें तो ठीक है, लेकिन कहीं दबाव के द्वारा, कहीं लोभ के द्वारा, कहीं दमन के द्वारा या किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालकर अपने पक्ष में लाना चाहें तो आप सबसे बड़ा देश के प्रति राष्ट्र-द्रोह का काम करते हैं, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय की आज सदन में चर्चा हो रही है हमको केवल इसी परिणाम पर पहुचना है, हमको केवल उन भावनाओं का सम्मान करना है, हमे केवल उन भावनाओं का आदर करना है जिन भावनाओं से व्यक्ति का, नागरिक का चरित्र बढ़े, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सद्‌भावनाएं बढ़ें, राष्ट्रप्रेम की भावना बढ़े। हिन्दू, मुसलमान, जाट, सिख, ईसाई, जैन, व ब्राह्मण ये सारे जितने हैं सारे के सारे व्यक्ति कन्धे से कन्धा मिलाकर हिन्दुस्तान की आजादी से पहले जिस प्रकार राष्ट्र के अन्दर बाहर से आने वाले तत्वों से संघर्ष करते आये हैं और संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी लगाई है उसी प्रकार की भावना के साथ आज देश के प्रति प्रेम बढाने की चेष्टा करें। मैं उन लोगों से, चाहे वे जनसंघ वाले हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी वाले हों, कहता हूं कि अपने हृदय मे व्यापक भावना रखना चाहिये। भारतीयता कभी भी संकुचित बात नहीं कहती है। हमारा सिद्धान्त है—
अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानांतु वसुदैव कटुम्बकम् ।।"
सारे विश्व को कुटुम्ब मानते हैं, सारी पृथ्वी को देश मानते हैं। इस प्रकार की भावना जिस देश में रही हो उसमें इस प्रकार के बाहरी तत्वों की संकुचित विचार-धारा को फैलाने वाले, माननीय उपाध्यक्ष, देश का हित नहीं कर रहे हैं। देश के लिए कल्याणकर वही भावना होगी जिसमें सद्‌भावना हो, जिसमें एक-दूसरे के प्रति ठीक प्रकार का प्रेम हो।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव के द्वारा जिन संकुचित और सीमित भावनाओं का प्रचार किया जा रहा है, उन भावनाओं को दूर हटाकर देश को आगे बढ़ायें, क्या कम्युनिस्ट पार्टी यह मानकर चलना चाहती हैं या देश में अराष्ट्रीय भावनाओं को लेकर चलना चाहती है? क्या यही पार्टी का एक मात्र ध्येय हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यह बताये कि देश की किन विचार-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

धाराओं से कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सहमति रखती है? यह वह कह दे कि हमारा सिद्धान्त नहीं है. हम इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश में किसी के प्रति चाहें देश की मर्यादा क्या हो, देश की सीमाएं क्या हों, आस्था नहीं है। हम तो केवल किसी देश की विशिष्ट आइडियोलाजी को बढ़ाना चाहते हैं। कभी ये चीन का साथ देते हैं, कभी रूस का साथ देते हैं। इनकी आइडियोलाजी क्या है? को भी आइडियोलाजी, किसी भी विचारधारा के बारे में ये नहीं मानते हैं। जिसका यह पता नहीं कि सुबह कहां जायेंगे, दोपहर को कहां जायेंगे, शाम को कहां पहुंचेंगे। ऐसी रचना वाली पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी विचारधारा के बारे में पता नहीं हो, के द्वारा इस देश में चर्चा की जा रही तो आश्चर्य की बात प्रतीत होती है, उपाध्यक्ष महोदय तो मैं तो यह कहता हूं कि दूसरों के सिद्धान्तों को पूजने के पहले आपके सिद्धान्त क्या है? आपके विचार के अनुसार किस को राष्ट्र मानते हैं, किस देश की किस इंच भूमि को देश मानते हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके प्रति आप आस्था रखते हैं। उस विचार धारा को तर्क द्वारा समझाने की चेष्टा करें। केवल भ्रामक प्रचार करते हैं, केवल संघर्ष फैलाना चाहते हैं, केवल केआोस उत्पन्न करना चाहते हैं। सब बातों का इन्द्रजाल की तरह गलत अर्थ लगाना चाहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता।

**श्री नत्थीसिंह** : (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ के खिलाफ जो प्रस्ताव है उसका समर्थन कर रहें है या विरोध ?

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : यह कैसे माना आपने ?

**श्री नत्थीसिंह** : मैं पूछना चाहता हूं आप द्वैत भाषा में बोल रहे हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव माननीय सदस्य ने शायद पढ़ा ही नहीं है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यही कह सकता हूं कि मैं जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं वह विषय ऐसा है कि यहां पर सब माननीय सदस्य जिनकी राष्ट्र के प्रति भक्ति है उनसे मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वे राष्ट्र के प्रति सजग रहें, सद्भावनाओं को रखें, दुर्भावनाओं को दूर करने की चेष्टा करें, इस प्रकार की भावनाओं को हटाने की चेष्टा करें और अच्छी भावनाएं फैलाने की चेष्टा करें।

जैसा कि आपने पूछा है कि मैं प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं या विरोध तो मेरे दोनों ही पक्ष नहीं होते हैं। मैं पक्ष में बोलू

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कि यही एक पक्ष सही है यह बात नहीं है। दोनों गलत रास्ते पर जाते हों तो एक से भले आदमी के नाते मेरा कर्त्तव्य है कि दोनों पक्षों को समझाऊं और जो सामने गढ़ढा है उसमें गिर पड़ने से बचाने की कोशिश करूं यह बात तो सही है कि मैं उनको गिर जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं।....

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** न्यूटर जेन्डर हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** ऐसा है कि यह जेन्डर का प्रश्न लाते हैं तो इस जेन्डर के बारे में तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरत तिन देखी तैसी। मैं तो उपदेश देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक पंडितजी महाभारत का उपदेश देने गये एक गृहस्थी के यहां और उपदेश सुनने वालो में डागा साहब और नत्थी सिंह जी जैसे आदमी बैठे थे। उन बैठे हुए आदमियों को सारा उपदेश दे दिया लेकिन बाद में चढ़ावा नहीं आया तो उनको लगा कि इस घर के आदमी मेरी महाभारत को समझे भी या नहीं। उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आप महाभारत को समझ गये तो उसने कहा कि महाभारत को मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। इसमें बताया है कि मर जाना लेकिन भाई को एक सूई के बराबर जमीन नहीं देना तो मैंने अपने भाई की जायदाद खा रखी है तो वह दूंगा कहीं। (हँसी) वे सेठानीजी के पास पहुंचे और पूछा कि आप महाभारत समझ गईं तो उसने कहा कि मैं अच्छी तरह समझ गई। द्रौपदी के ५ आदमी थे तो मेरे कम से कम ८ होने चाहिए। (हंसी) वे लड़की के पास पहुंचे तो उसने कहा कि कुन्ती के कुंआरी के लड़का हुआ था। तो मैं उपदेश दे रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, लोक-कल्याण की भावना से। इस भावना के साथ ही उसे समझा जाय। एक व्यक्ति को किसी सम्प्रदाय या सिद्धान्तों को मनवाने के बजाय राष्ट्र-प्रेम उसके हृदय में जागृत करना चाहिए देश-प्रेम जागृत करना चाहिए, किसी भी एक विषय को लेकर उसमें संकुचित विचार-धारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी भावनाओं के साथ-साथ इस प्रकार का अर्थ समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं केवल तत्व की बात कहना चाहता हूं और तत्व को समझने की क्षमता देना भगवान के हाथ में है।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी मैं केवल यह बताना चाहता था कि आज हम अपने देश की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर विचार करने की चेष्टा करेंगे तो किसी जाति विशेष, किसी सम्प्रदाय विशेष के व्यक्ति के बारे में कोई सन्देह पैदा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा, और वह प्रश्न किसी के हृदय में है कि नहीं, लेकिन वही बात पैदा होती है जिस प्रकार कि महाभारत का अर्थ समझने की कोशिश की। इसी प्रकार के शब्दों का अर्थ गलत लगाने के पश्चात् साम्प्रदायिकता की भावना फैलाने का प्रचार किया जा रहा है। मैं इस प्रचार की भावनाओं का विरोध करता हूं मैं इस भावना को प्रश्रय

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

देना नहीं चाहता जिससे हमारे देश में वह स्थिति पैदा हो जाय कि जिस प्रकार की स्थिति सन् ४७ में आजादी के बाद इस देश के कुछ हिस्सों में मनुष्य के खून की नदियां बही थीं, लोगों में अशान्ति फैली थी, लोगों में गड़बड़ हुई थी। वह क्यों हुई थी? अगर साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रचार करने से देश में फिर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी समझदार व्यक्ति से कि वह देश के लिए कल्याणकारी भावना होगी क्या?

अगर वह देश के लिए कल्याणकारी भावनायें नहीं हो सकती तो यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है, देश के प्रत्येक व्यक्ति का एक पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की संकुचित भावनाओं को हटा दें। अपने दल को महत्व देते हुए, अपने दल के स्वार्थ को महत्व देते हुए, अपनी पार्टी को विशेष महत्व देते हुए इस प्रकार की चर्चा उठती भी है तो मैं समझता हूं कि वह देश की एकता के लिए घातक हो सकती है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न उठते है तो इससे अन्दाज लगता है कि जनसंघ के नेताओं के द्वारा जिस प्रस्ताव पर जोर दिया गया है उससे संकुचित भावनायें, साम्प्रदायिक भावना फैलने की बात हो सकती है। मैं यह आरोप लगा सकता हूं कि इस प्रकार की बात ला कर आप इस प्रकार की संकुचित भावना का प्रचार करना चाहते हैं और दुनिया को इस बात का प्रमाण दे दिया है। ऐसे लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं, गद्दार हैं और देश में अराजकता की भावना फैलाने वाले हैं, ऐसे तत्वों को प्रश्रय देने वाले हैं और ऐसे लोग देश प्रेम की भावना नहीं रखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर देश की संस्कृति आधारित है, देश का भविष्य आधारित है.......

**श्री अध्यक्ष** : पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : इस स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करूंगा कि हमें वर्ग भावना के साथ इस पर विचार नहीं करना चाहिए, हमें संकुचित भावनाओं का हृदय से परित्याग करना चाहिए और इसके बाद हम विचार करेंगे तो सारे देश के अन्दर रहने वाले हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों सब परस्पर भाई-भाई जैसे रहेंगे और एक दूसरे को गले से लगायेंगे और एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के धर्म के अन्दर आस्था रखेंगे. और इसके द्वारा देश को बढ़ाने के अन्दर सहायता करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा !

**श्री मूलचन्द डागा** : (पाली) उपाध्यक्ष महोदय.......

Action speaks louder than words.

(श्री मूलचन्द डागा)

जब भारतीयकरण का शब्द चला तो मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं यह बात सोचने लगा कि देश के अन्दर कभी कोई शब्द पैदा किया जाता है तो उसके पीछे भावना होती है। देश में दो बातें हैं एक तो राजनीति और एक धर्म। यह दो चीजें हैं। जितने यहां बैठने वाले लोग हैं राजनीति की ज्यादा चर्चा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को जनता से किस प्रकार से ज्यादा समर्थन प्राप्त हो सकता है और इसके लिए यह भावना लेकर पार्टियां इस देश में चुनाव के लिए मैदान में जाती है। वह यह कहना चाहती है कि हम अच्छा काम करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन जिन पार्टियों के पास कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं होता है, कोई प्रोग्राम नहीं होता है, आर्थिक प्रोग्राम नहीं होता है वह क्या करें.......

**श्री विजयसिंह :** प्रोग्राम के बीज तो आपके अन्दर पड़े हुए हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** जिस पार्टी के पास आर्थिक, सामाजिक प्रोग्राम नहीं होता वह कोई न कोई ऐसी चीज को ईजाद करती है जिससे वोट खींच सके। इसका एक तरीका है। जो पार्टियां होती है, उनके लिए यही जो पावर है, यह जो सत्ता है, राजनैतिक सत्ता है वह आकर्षण रखती है और उसको प्राप्त करने के लिए उनको नई नई चीजें पैदा करनी पड़ती है। Necessity is the mother of invention जब देखा कि करें क्या तो किसी न किसी पार्टी ने कोई न कोई नारा ईजाद कर लिया क्योंकि वह लोगों का समर्थन प्राप्त करने का एक उपाय है......

**श्री उपाध्यक्ष :** अपनी नीतियां इस तरह की है ?

**श्री मूलचन्द डागा :** जी नहीं, बिलकुल नहीं। कांग्रेस का अपना एक प्रोग्राम है, वह उस प्रोग्राम के अनुसार चलती है और भारत का संविधान है वह स्पष्ट है........

**श्री विजय सिंह :** आप कौनसी कांग्रेस की ओर से बोल रहे है।

**श्री मूलचन्द डागा :** मानवता है वह मानवता राजनीति से बढ़ कर है। मजहब से बढ़ कर मुल्क है। मजहब से बड़ कर जब मुल्क है तो उसके अन्दर जो मानवता हैं उस के अन्दर बहुत विस्तार है। हमें इस दृष्टि से चलना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले कह दिया कि हमारे देश में धर्म निरपेक्ष राज्य रहना चाहिए। मजहब अपना काम करता है, लेकिन मजहब से बढ़ कर मुल्क है जब यह ऐलान कर दिया जाय, जब संविधान में यह रख दिया तो यह सवाल कहां से पैदा हुआ ? जो आज मुल्क में पैदा होता है, जो मुल्क के प्रति वफादार है वह इस देश का नागरिक है। जो वफादार नहीं होता, उसको गद्दार कहा गया है, देश द्रोही कहा गया है। लेकिन उसका भारतीयकरण क्या ? जो मुल्क के प्रति वफादार है उसका भारतीयकरण का क्या सवाल है। इसमें उसका सवाल है तो भारत के प्रति देश द्रोही हो सकता है।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं एक एक बात कहना चाहता हूं कि मजहब से बढ़ कर मुल्क है और मुल्क और राजनीति से बढ़ कर मानवता है। तो मानवता के संदर्भ में जब इस प्रश्न पर मैं सोचता हूं तो भारतीयकरण शब्द पैदा क्यों हुआ ? आज सब पार्टियों का काम करने का अलग अलग तरीका हो सकता है लेकिन आज सब समाजवाद का मुखौटा लगा कर सामने क्यों आना चाहती हैं। कांग्रेस कहती हैं कि हम समाजवाद लायेंगे । एस.एस.पी. कहती है, हम समाजवाद लायेंगे ? पटना में वही समाजवाद का मुखौटा पहन कर जनसंघ ने सोचा कि यह मुखौटा लोगों में आकर्षण पैदा करता हैं। इसी प्रकार गरीबी की बात हर पार्टी करती है। गरीबी हम तुम्हारी दूर करना चाहते है लेकिन उसका तरीका क्या है ? समाजवाद का नारा उसके लिए है तो फिर यह भारतीयकरण का नारा क्यों दिया ? क्या जरूरत पैदा हुई ? जो देश में रहते हैं वह देश के नागरिक है। जैसा जाकिर हुसेन साहब ने कहा था यह सारा मुल्क मेरा घर है और जो इसमें रहने वाले हैं वह मेरे परिवार के हैं। तो हमारे राष्ट्रपति ने एक बात कही और जैसा इकबाल कवि ने कहा-सारे जहां से अच्छा यह हिन्दोस्तां हमारा। तो मामला खत्म हो गया। आप क्या चाहते है ? भारतीयकरण की बात चाहे एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कहे लेकिन इसका कारण क्या है ? वह कहते हैं हमारा काम अच्छा है. वह कहते हैं हमारा काम अच्छा है, परन्तु प्रोग्राम क्या ? यह बात पैदा हुई क्यों ? हिन्दुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है वह इस देश में रहने वाला है। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में रहने वाले भाई थे कानपुर के वह पाकिस्तान के एजेंट थे। उनको क्या कहा ? देश द्रोही। फिर भारतीयकरण क्या करेंगे ? जनेऊ पहना देंगे, कह देंगे कि इसका संस्कार कर दिया। इसके पीछे भावना क्या हैं ? कांग्रेस की नीति है, गांधी जी की नीति है, उस पर हम चलते है। गांधीजी की प्रार्थनाओं में अल्ला का नाम लिया जाता था तो राम का नाम भी लिया जाता था। इन दोनों नाम के साथ-साथ ईसाई धर्म को भी अच्छा बताते थे। एक धर्म की दूसरे धर्म के अन्दर आस्था और निष्ठा सब प्रकार की थी। यहां क्या है ? यहां आर.एस.एस. की बैठक होती है। वहां क्या होता है हर हर महादेव हम उनका भी आदर करते है लेकिन उनमें विचार कुछ दूसरी प्रकार के बनाये जाते है और काम करने का एक ही क्षेत्र है। तो हम लोग इस प्रकार विचार करते है हम उनका आदर करते है। लेकिन आप यह कहते है कि भारत में रहने वाले है जो आप भी इन संस्थाओं का जन्म देते है। तो इन संस्थाओं में क्या होता है यह मैंने आपको बतायी । मैं एक बात बराबर कहता हूं, मजहब मुल्क से बड़ा नहीं है, मजहब मुल्क से छोटा है। लेकिन काम के द्वारा कोई राष्ट्रीयता का विकास करता है तो मैं कहूंगा कि उससे राष्ट्रीयता बढ़ो है। मानवता बढ़े, राष्ट्रीयता बढ़े इसके लिए बड़ी बड़ी पार्टी स्लोगन देती है और उससे जनता का अपने प्रति खिचाव पैदा करते है। मान लीजिये कि जनसंघ के नेता बड़ी जोर से यहां भाषण

(श्री मूलचन्द डागा)

दे दें तो क्या भारतीयकरण का मतलबी वह यह करते हैं जैसी कि उन्होंने आलोचना कम्युनिष्ट पार्टी की। हम कहते है कि आपने पटना में भारतीयकरण का नारा दिया, उससे पहले यह नारा पैदा क्यों नहीं हुआ ? हम जानते हैं कि आप क्या करते है, आर.एस.एस. क्या करता है। मैंने कई बार देखा है, यह चुनौती नहीं है, यह समझने की बात है कि आर. एस. एस. में कितने लोग हैं जो हर हर महादेव के साथ कहते हैं अल्ला हो अकबर ? मैं एक प्रश्न आपसे यह पूछता हूं, जहां गांधी जी की प्रार्थना में.......

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** (कोटा) आप बता दीजिये, आप सुबह सुबह जब अपने देवता का नाम लेते हैं तो क्या अल्ला का नाम लेते है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** यह नाम लेते ही नहीं हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** कांग्रेस के अन्दर हर एक अल्ला और ईश्वर दोनों का नाम साथ साथ लेते है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** (बांरा) कितने मुसलमान परिवारों में शादी की है, परिवार वालों की की है, यह बतायें।

**श्री मूलचन्द डागा :** जहां कांटा चुभता है वह बोलते हैं। मैं इससे नाराज नहीं हूं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि भारतीयकरण की जरुरत क्यों हुई, गऊ चली गई....

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** गऊ तो जब तक हिन्दुस्तान है तब तक रहेगी।

**श्री मूलचन्द डागा :** ओह हो। आप तो भूल गये गाड़िया जी, आप सीखिये, गुरुओं से बात सीखिये गाड़िया जी, आपको शेखावत साहब और गोयल साहब से सीखना है....

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** आपको कई वर्ष हो गये लेकिन आपको सुखाड़िया जी के अनुसार चापलूसी करने के सिवाय कुछ नहीं आया।

**श्री मूलचन्द डागा :** आप कुछ कहें, मैं गांधीजी की नीति है उसके लिए कहता हूं। मैं कहता हूं, संविधान में हम लोगों ने धर्म निरपेक्ष राज्य की बात कही, और कह दिया, मजहब से बढ़ कर मुल्क है और मुल्क में रहने वाला कोई गद्दार नहीं है। वह गद्दार हैं जो देशद्रोही हैं। आपने भारतीयकरण की बात कही, तो जैसा मैंने कहा : Action speaks lowder than words· आपकी आर.एस.एस. की शाखाओं में नंगी तलवार का प्रदर्शन होता है, लाठी चलाने का प्रदर्शन होता है इन प्रदर्शनों में कभी आपने देखा है अब्दुल गफ्फार या कोई सत्तर खां को, यहां यह नहीं वहां रामानन्द और मूलचन्द हैं। इस प्रकार संकुचित भावना का प्रदर्शन होता है। लोग कहते हैं कि मैं देश सेवा करता हूं। यह तो वही बात है "आलमारी में कोक शास्त्र और टेबिल पर रामायण"। बोली में कोई कमजोर नहीं है, सब एक एक से बढ़ बढ़ कर बातें करते है राजनीति में

(श्री मूलचन्द डागा)

सबको वोट लेने है, वोट लेने में कसर नहीं होनी चाहिये। फिर कारण क्या है भारतीयकरण के नारे का ? गोलवलकर साहब के भाषण होते हैं, आर. एस.एस. की एक्टीविटीज होती हैं, उसी से मालूम होगा कि कलाल के घर से आने वाली चीज क्या हो सकती है। यह नारा देने से पहले सोचना होगा कि यह चीज क्यों पैदा हुई ? यह भारतीयकरण का नारा देकर के हिन्दुस्तान का सिर दुनियां के सामने नीचा किया है....

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : आपको समझ नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं कहता हूं समझ का चिराग बुझ गया है तेल डालो नहीं तो काम नहीं देगा। जो नारा हिन्दुस्तान की इज्जत को दुनियां में बढ़ाता नहीं है, घटाता है, वह नारा किस कारण से लगाया गया ? यह भारतीयकरण है क्या ? यह भारतीयकरण का नारा आपकी भावनाओं का प्रदर्शन करता है, जो आपके एक्शन्स से जाहिर होता हैं। आपके आर.एस. एस. के एक्शन्स होते हैं, यह आर. एस. एस. क्या है ? तो यह भारतीयकरण का नारा भ्रम पैदा करता है लोगों में। हिन्दुस्तान ने धर्म निरपेक्षता को स्वीकार किया है, जहां पर डा० जाकिर हुसेन जैसे राष्ट्रपति हुए हैं, वहां फिर यह जाति और धर्म की कैसी बात, भारतीयकरण के नारे से देश के नाम पर धब्बा लगाते हैं। कम्युनिस्ट भी हमारे देश में रहें, राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो अपने आप खत्म हो जायेंगे, हिन्दुस्तान के प्रति वफादार हैं तो रहें, यह कौन कहता है कि कम्युनिस्ट हिन्दुस्तान के प्रति वफादार नहीं है, मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति वफादार नहीं हैं, मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति वफादर नहीं हैं। भारतीयकरण बहुत बड़ा शब्द है। हिन्दुस्तान में जो पैदा हो गया वह पैदा होते ही भारतीय हो गया। गंगा यमुना और लूनी आदि नदियों का पानी पी लिया उसी दिन से वह भारतीय हो गया। जैसे ब्राह्मण को जनेऊ पहनाते हैं, मैं तो जनेऊ नहीं पहनता, वैसे ही आपने यह भारतीयकरण शुरू कर दिया।

नीति का कोई प्रश्न आपके पास है नहीं, प्रीवीपर्स की बात आप करते नहीं, उनसे आपने समझौता कर रखा है। भारतीयकरण का नारा अगर नहीं मिटा तो यह नारा लगाने वालों को मिटा कर रहेगा। इस भारतीयकरण के नारे की नई तरह की विवेचना शुरू कर दो, आज लम्बी चड़ी विवेचना कर दी, विवेचना करने से पहले सोचो...

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : आपके घर के तो टुकड़े हो गये।

**श्री मूलचन्द डागा** : लो। दो भाई हैं, टुकड़े ही हो गये। एक प्रोग्राम है दोनों का, एक पार्टी तेजी से बढ़ना चाहती है तो आप जानते हैं कि टुकड़े हो गये वाह....

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : दिन में इंडीकेटी और रात में सिण्डीकेटी।

**श्री मूलचन्द डागा** : बस यही कहने को रह गया ।

तो हमें सोचना है कि यह भारतीय-करण की भावना पैदा क्यों हुई ? यह एक वोटों को अपनी तरफ खींचने का तरीका निकाला है । पर यह नहीं सोचते कि ६६ में ७० में यह नारा चल नहीं सकता भारतीय-करण का नारा शिष्टता के नाते, देश के नागरिक के नाते यह नारा भ्रम पैदा करता है, यह नारा देश को रसातल को ले जायगा और लोग याद करेंगे कि इन लोगों ने देश को भारतीयकरण का नारा दिया । कम्यु-निष्टों को गाली दो इनसे कांग्रेस खुश नहीं होती । यह गालियां देना गद्दार हैं, गद्दार तो सबसे बड़ा वह है जो देश में टुकड़े करना चाहता है, इन्सान इन्सान में भेद पैदा करना चाहता है । धर्म के नाम पर दीवाल खड़ी करना चाहते हैं ।

**श्री विजयसिंह** : मुझे दो बातों का उत्तर दे दीजिये...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**श्री विजय सिंह** : एक तो यह बता दीजिये कि चण्डीगढ़ की दीवार किसने खड़ी की और दूसरा यह बता दीजिये कि पाकि-स्तान किसने बनाया । आज तामिलनाडू में क्या वातावरण बना रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने उत्तर दे दिया इन पोइन्ट्स का ।

**श्री मूलचन्द डागा** : उत्तर के लायक नहीं समझता ।

कांग्रेस का इतिहास स्पष्ट है । कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी ....

**श्री विजयसिंह** : फिर गलतफहमी पैदा कर रहे हो, महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता नहीं देश के नेता थे ।

**श्री मूलचन्द डागा** : जो पार्टियां देश में धर्म, संस्कृति, और सम्प्रदाय के नाम पर संकुचित दायरे के नाम पर जाना चाहते हैं तो उनको वह संकुचित दायरा छोड़ कर राष्ट्रीय भावना का प्रचार करना चाहिये । जो राष्ट्रीय भावना पैदा करने के स्थान पर, भारतीयकरण, इन्डियेनाइजेशन का भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वे दुनियां की नजरों में देश के मान को, सम्मान को, इज्जत और प्रतिष्ठा को कम करते हैं ।

( अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए )

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री आमल अली ।

**श्री आमल अली खां** : (फतहपुर) मान-नीय उपाध्यक्षजी, मैं आज तांणीं तो राज-स्थानी में बोलियो आज शेखावाटी बोली में बोलूंला ।

( ३.५८ म० प० )

( श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष )

माननीय अध्यक्षजी, आज केई भाई ओ जो प्रस्ताव आयो है वीं को विरोध करे हैं । मैं तो ईंने चोखो बताऊं हूं । २३ साल की आजादी में आज तांणी कोई ध्यान को

(श्री आलम अली खां)

प्रस्ताव लाय र ई तांणी बोलबा की कोशिश कोनी करी। आज हर तरह का विचार सुणणने मिलिया। कांग्रेस का विचार अलग है, जनसंघ का विचार अलग है, स्वतन्त्र पार्टी का विचार अलग है कम्यु-निस्टो का विचार अलग है और दूसरी पार्टियां का विचार अलग है।

माननीय अध्यक्षजी, म्हारे जियां को सिपाही आदमी, मिलिटरी में बोंडर पर लड़बा वालो आदमी, आपके सामने पूरी स्थिति तो नहीं बोल सकेगा पण थोड़ी जो कुछ बातां आत्मा में है, वे जरूर मैं बता-ऊंगा।

(४ म. प.)

**माननीय अध्यक्षजी**···

**श्री अध्यक्ष** : बार्डर का मामला है।

**श्री आलम अली खां** : बार बार तो कोई जनसंघ न गाल काढ़े, कोई कांग्रेस ने गाल काढ़े तो २२ साल में गालियां बहुत काढ़ी हैं लेकिन मुनाफो काई मिल्यो ? देश ने कांई मुनाफो मिल्यो गालियां देने से ? देश तो घाटे की तरफ जा रह्यो है। देश में हजार किस्म की पार्टियां हैं। वास्तव में जो धर्म की बात बतानी चाहिजे वा तो कोई नहीं बताई। जो इनसान झूठ बोलने वालो है, उणरो धर्म कौनसो है ? किसी धर्म की किताब में लिख्यो है कि झूठ बोलनो बढ़िया है ? धर्म तो सच को है, झूंठ बोलणो कौनसो धर्म है ? थोड़े दिन पहली चौमूं में चुनाव हुओ। मुख्यमंत्रीजी और दूसरे मंत्री बरकत साहब उठे पधार्या बस स्टैंड पर चौमू में मस्जिद कच्ची बनी पड़ी है। हर चुनाव में आकर केवे है कि हम पक्की बनवा देंगे तुम कांग्रेस को वोट दो। आप बगुला भगत बन रह्या हो धार्मिक भावना फैलावो हो। धर्म की किताब में लिख्यो है कि किसी को सताना पाप है। कोई ऐसी पार्टी है जिसने कहा हो कि मुसलमानां ने क्यों सतायो जा रह्यो है ? कोई पार्टी नहीं है। माननीय अध्यक्षजी थोड़ो टाइम ज्यादा लूंगा····

**श्री अध्यक्ष** : टाइम ज्यादा नहीं दे सकूंगा।

**श्री आलम अली खां** : आज तो मैं टाइम ज्यादा लूंगो, अइंदा चाहे मत दो। मेरे बोलने को विषय ही आज आयो है। पार्टी जो है मैं ऊने गुड़ की दुकान मानूं हूँ। गुड़ तो एक, दुकान हजार। गुड़ तो एक है लेकिन जिस तरह एक दुकानदार जो कम पैसा लेवे व कम तोले और जो ज्यादा पैसा लेवे वो बेशी तोल दे। ईं के सिवा पार्टी में कांई है ? जैसे धर्म एक है इसी तरह सूं देश एक है। आज जगह २ गांधीजी की फोटो देखबा ने मिले है, चौराहों पर। सर पर कबूतर बींठ करे है। गांधीजी तो कदई नहीं कह्यो कि आप मेरी इज्जत करो। माननीय···

**श्री अध्यक्ष** : अध्यक्षजी।

**श्री आलम अली खां**: आपस में यह बात चाल रही है कि इन पर प्रतिबंध लगाओ, उन पर लगाओ लेकिन कोई धर्म की

(श्री आलम अली खां)

किताब में नहीं लिख्यो कि प्रतिबंध लगाओ, धर्म की किताबां में तो सब इन्सानां न एक बराबर मान्या है। किसी दुनिया की धर्म की किताब में साबित करो कि लिख्यो है कि इनसान इनसान ने तकलीफ दे? तो फेर सांप्रदायिक की बात क्यूं आवे है?

ब्याज लेने वालो कोई भी आदमी है। जब उसूं बहुत रुपए लेवा आवे तो वह अपनी बही में नहीं लिखकर दूसरों की बही में लिखवावे है। रुपया खुद का और दूसरों की बही में।

(४.०५ म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

सभापतिजी, लुगाइयां गीत गावे है कि मूल से प्यारो ब्याज तो जीं देश में ब्याज लेवण्या मिनिस्टर, ब्याज लेवण्या अफसर तो उठे मूल डूब जावे है क्योंकि वंने मूल सूं ब्याज प्यारो लागे है। वाही बात मारा देश में हो रही है। देश डूब जाय, लेकिन पैसो आनो चाहिजे। माननीय डागाजी आप गांधीजी को नाम लियो। गांधीजी कदई अकेला हिन्दुस्तान रे लिये नहीं लड़्या, वे तो पूरी दुनिया के वास्ते लड़्या कि कोई भी आदमी गुलाम नहीं रेवे। हर आदमी केवे है कि फलां बदमाश है। दूसरां ने बदमाश बताणे सूं पेली मैं बदमाश हूं, आ कोई नहीं माने। मैं चोखो हूं तो सारी दुनियां चोखी है। राजाओं रो इतिहास देखो। जैसलमेर रा राजा पेली भी पीर पगारों का मुरीद हा और आज भी है। वा जगह पाकिस्तान में चली गई। जयपुर का राजा ७ पीढ़ियां सूं मोहर्रम निकाले है। वेंरे टाइम में कदई सांप्रदायिकता की बात नहीं आई, अब क्यों आई? अब जो नया राजा बण्या है वे धर्म के नाम पर, हरिजन के नाम पर वोट लेवे है। हरिजनां ने तो सहूल्यतां देवो हो, मुसलमानां ने २२ साल में कांई सहूल्यतां दी? मुसलमान कदई भी किसी आदमी सूं नहीं मांगे है, वे तो खुदा सूं ही मांगे है। माननीय डागाजी आप तो जो पैंट पेरयोड़ा हो वा भी शायद कोई सेठ की होवेगा तो मैं कहनो च हूंगा कि वो दिन भूलो मत जद मोहम्मद अली लंदन में जार्ज पंचम का क्लास फेलो हा। बादशाह जफर का टाइम में अंग्रेज हिन्दुस्तान पर कब्जो कियो, तो कुछ शर्त थी, वे मोहम्मद अली के सामने आई। तो फिर दिल्ली में आकर उन्होंने खिलाफत कमेटी बणाई। वीं बगत गांधीजी कठे हा? बार बार कहो गांधीजी। बिलकुल ठीक। गांधीजी बहुत बढ़िया। खतरो वाने है जो बापू को नाम गुमायो। आप गांधीजी को नाम गुमा दियो। कोई पंडित बात कर ले। मारे साथ बैठ कर बात कर ले। आप खुराफात में हरा सको। राजा जनक सूं लेकर कोई भी आ जाय। आप कहोगा कि कठा से ले आयो या बातां? यां पर थारो ठेको नहीं है। धर्म पर एक को ठेको नहीं। माननीय माथुर साहब आप शिक्षा मंत्री हो। शिक्षा को मतलब के है व्हीने समझो। आकाश पाताल चला अर्जुन की बरात में। पाताल तो अमेरिका और आकाश विलायत। हिन्दुस्तान छोटो कीं हुयो? इं पर महान करजो है। एकीकरण करनो है। कीं को एकीकरण? ज के एक आंख

(श्री आलम अली खां)

होवे कई तो खोले से और कई देख सी। गाय के वास्ते लिख्यो है। ऋषि मुनि गाय का मांस ने जीवत गाय करके बता देता। कोई भी सदस्य कर दे? विदेशी भी आ जावे। कठा सूं आया धर्म ने मानन वा वाला? फरजी अडंगो हो रह्यो है। ब्याज खाना वालोने मूल सूं ब्याज प्यारो लागे। देश प्यारो नीं।

**श्री सभापति** : यह बात आप पहले कह चुके हैं।

**श्री आलम अली खां** : कई बातां कहनी पढ़ जावे फेर।

माथुर साहब पहले भी मिल्या है और मुख्य मंत्रीजी ने भी बता दूं। संविधान में लिख्यो है कि मुसलमानो की कब्रां नहीं उठायी जावेगा फतहपुर के किले में कायम खानियां की कब्री ही वने क्यों मिटायी? हाई कोर्ट से केस विड्रो करवायो। आप मुसलमानां की कोई ठेकेदारी ले राखी है। न कीं का ठेकेदार मुसलमान है। मुसलमान तो इन्डिपेन्डेन्ट है। मुसलमान इतिहास लेकर चाले है, कमजोर को इतिहास नहीं है। ईमान के सामने झूके जका मुसलमान है। खुराफात के सामने नहीं।

**श्री रामनारायण चोधरी ( मंडावा )** : इधर आ जाओ।

**श्री आलम अली खां** : हिन्दुस्तान आजाद होवा के बाद भी कई सदस्य वा ही जमाना की बात लावे। भाई न भाई मार गेरे है जमीन के वास्ते।

**श्री सभापति** . ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर क्या बात कहना चाहते हैं?

**श्री आलम अली खां** : इतना ओल मथोल इश वास्ते ही हो रह्यो है।

**श्री रामचन्द्र आर्य( नोहर )** : कांग्रेस में मिलने के लिये कह रहे हैं उसके लिये तो कहो।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य। आसन को बीच में लेकर कहें।

**श्री आलम अली खां** : गुड़ तो एक है। हिन्दुस्तान तो एक है। अलग अलग दुकानों गुड़ की खोल रखी है। कई दुकान में हलको तोले, दो पैसा कम ले ले। वा कीं

( समाप्ति सूचक घंटी )

हात यां की है। देश के प्रति बफादारी को सबूत होतो तो यांकी या हालत नहीं होती। कम्युनिस्ट नहीं बढ़ता। कतरो ही जोर कर लो पानी की बाढ़ की तरह से बढ़ता आसी। नीति यां की बड़ी दूषित है। दूषित नीति सूं देश डूबो है। मूल डूब जावे लेकिन ब्याज नहीं जावे। राज करने वाला यह माने है। लेनिन ने पहले लिख्यो कलकत्ते में जिस दिन कम्युनिस्टां को कब्जा हो जावेगो पूरी दुनिया में कब्जा होजावेगो। मैं तो अनपढ़ हूं। थे तो पढ्या लिख्या हो। दुनिया में भाई न भाई मानो। धर्म की किताब में इन्सानियत और धर्म ने धर्म

Page No 124



(श्री आलम अली खां)

मान्यो है, कोई पर कोई आपेक्ष लगायो नहीं। जका आपेक्ष लगावे वे धर्म ने माने नहीं, वां को कोई धर्म नीं। जनसंघ ने दोष नहीं दियो जा सके। न कम्युनिस्टां ने दोष दियो जा सके है। राज करण्या दोषी है राज करण्यों मां बाप होवे है। मां बाप दोषी है तो वीं का बेटा बेटी भी दोषी है। राजा को दोष पूरो हिन्दुस्तान की जनता पर पड़े हैं। रसातल में पहुंचाय रह्या है। रसगुल्ला और मिठाइयां चा वे यां ने तो। झौंपड़ी में रहवे है। विज्ञान की बात केवे है। स्वामी विवेकानन्द जी अमेरिका गया। अमेरिकन पूछ्यो कृष्ण की बांसुरी में के ताकत ही के पशु गैल हो जाता। कह्यो के एक एक आदमी ने कठां सूं कहूं। मीटिंग बुलायी। जीरां पर बोलता २ स्टेज से उतर कर एक रास्ते पर चल दिया। आम पब्लिक पीछे हो गयी। हिन्दुस्तान में वो आदमी कठासूं आयो। आप कार से नीचे उतरनो नहीं चावो। गद्दा और मसनद पर बिराजो चाहो। समाजवाद कियां आवे। इस देश की धूल मत करो। भाग्या पछे भी बावड़ जावे तो ओ आच्छो। सूरमो तो हो नहीं सके।

**श्री सभापति :** भाषण समाप्त कर दो।

विश्व विद्यालय का विधेयक लिया जावेगा।

माननीय सभापति जी, जो पार्टी पावर में नहीं है ऊकी आलोचना नहीं करना चाहूं क्योंकि वे पार्टियां दोषी नहीं है, वे घर की मालिक नहीं है। दोष तो हमेशा घर का मालिक को ही होवे है : अपना बेटा-बेटी ने किस तरह की रीति-नीति दे। आ रीति-नीति देने वाली राज्य सरकार है, और केन्द्रीय सरकार है आज ए री रीति-नीति है गांधीजी का नाम ने घोट कर पीलो। गांधीजी को नाम लेने वाला 'कम से कम एक बात तो मान ले। एक ही बात गांधीजी की मान ले। गांधीजी ने कयो हो "हिन्दुस्तान रे आजाद होते ही अंगरेजों का सगला कानून जला दिया जावेगा और ताजीरात हिन्द जि को अंगरेजी बनायी वा खतम कर दूंगा।—ओ कानून अंगरेजी हिन्दुस्तान के गरीब लोगों ने दबाने सारूं बनायो हो। अब ईकी जगह कौनसो दूसरों कानून आप बणायो ? आपने राजा अशोक का थम्भा की मोहर लगाई तो ऊके टाइम को कानून भी लागू करो। जमाना को कानून भी शुरू करो।

**श्री सभापति :** यह इनके बस की बात नहीं है।

**श्री आलम अली खां :** फिर तो कोई की नहीं है। माननीय सभापतिजी, दुख तो ई बात को है कि कितरी बातां को दोष दियो जावे। असल दोष तो अठे हीं है। कलकत्ता, बम्बई ने दोष क्यों दे। दोष तो, असल मूल दोष तो घर का मालिक को होता है। माननीय सभापति जी कई बार मारे देखण में आई है—सुणबा में आई है कलक्टर कयो कि ओ पाकिस्तानियां को गढ़ है। ५०० घरां को वो गांव है और हर घर सूं एक-एक आदमी मिलीटरी में मिलेगा। फिर आफिसर या बात किस्यान के वे है ?

# Page No 125



(श्री आलम अली खां)

पुलिस अफसर यह बात कह दे तो राज्य सरकार काई करती रही ? राज्य सरकार ने कयो तो व केवे है भई वह दियो होगो, कांई करां । फिर की बात कों आप राज्य करो हो ? स्वतन्त्र पार्टी कोई गलत काम करे तो उको जायजो लो, जनसंघ, कम्युनिस्ट कोई गड़बड़ करे तो ऊको जायजो लो । लेकिन खेद है कि इमें भी घोटालो है । जैसे बरतन को पैंदो फूटो है तो उसमें पानी कठासूं ठहरेगो ? सवाल ही नहीं है, माथुर साहब । इंसान इंसान में ही गलती है । हिन्दुस्तान आजाद हो गयो किन्तु आज तक लोगां ने गोलियों सू दबायो गयो है । प्रेम सूं कोई भी वें रां भला की बात नहीं कही गई है । हीरो पत्थर की खान में सू ही मिले है और पत्थर से ही कोयलो बणे है । हीरा थोड़ा ही हो सके है, सब पत्थर हीरा बण सके । परन्तु सब पत्थर के लागे कि मैं हीरा तो वे कठासूं हीरा ? आज हरेक पत्थर री आवाज एक ही है, ऊणां की आवाज में एक ही बात होवे है, कि मारे बराबर कोई नहीं है । परन्तु भाई, सब हीरो कठा सूं हो जावेगा । एक कहावत है :

बड़े बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल,<br>
हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल ।

सभापति जी, कोई भी मंत्री, उपमंत्री, कोई भी चाहे वो प्रान्तीय लेवल को व्यक्ति होवे चाहे केन्द्रीय लेवल को । सब ओही कवे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया । पर आप करयो कांई ? आप कुछ नहीं कर सक्या सिवाय ई देश ने बर्बादी की तरफ ले जाने के । वो के सिवाय और कुछ नहीं किया । और कुछ करता तो आज आ हालत नहीं होती । अब के तो हो समाजवाद लावांगा—पहली खुद तो समाजवाद बणा लो । (श्री रामनारायण द्वारा टोके जाने पर) थांरी जमीन और थांरे गांव ने जाणूं हूं ऊपर सूं ही समाजवादी मत बणों, समाजवादी बननो है तो सही तरीका सूं बनो ।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** ठीक ही हैं, मरे तो जनता मरे, उनके तो ठाठ हैं ।

**श्री आलम अली खां** : पहली राजा भी यही कहता हा और अंग्रेज भी या ही कियो । सभापति जी, आ जो बात है, ओ जो प्रस्ताव है, ई पर में पहले कह चुको हूं, ई में दुःख मती मानों कोई पार्टी दुःख नहीं माने । जो बात अठे हुई, वा पार्लियामेंट में भी नहीं हुई । या बढ़िया बात है । या बात आज साफ हो गई । आप पर जो दोष लगायो है वो साहो गयो । फतेहपुर में काई हुओ, ऊको तफा पिछलो इतिहास देखनों पड़ेगा । ई बात में मत जाइयो । तो ई में आज कोई पार्टी ऊजली हुई है तो जनसंघ पार्टी ऊजली हुई है । कम्युनिस्ट भी उजला हो गया है । परन्तु कोई के अठे कहने सूं दोष दूर नहीं हो जावेगा और अठे कहने सूं कोई मुसलमानों को दुश्मन नहीं जावेगा क्यूंकि राज्य अलग है और राज्य करणे वाला आज कमजोर है । ई वास्ते सारो बदमाश भी हो सके है । राज्य करणे वालो सही व्यवस्था समझण्या नहीं है माननीय सभापति जी,.......

# Page No 126



**श्री सभापति जी** : उस दिन का पता नहीं, कब आयेगा ?

**श्री आलम अली खां** : एक गीदड़ नीलकंठ में नहा कर राजा बन ग्यो, नाहर बन गयो। नीलकंठ में नहाने सूं वो नाहर नहीं बन सके है। नाहर तो नाहर ही रहेगो। आप राज करण्या समाजवाद की बात बोलो हो। ई समाजवाद की बात कर के तो आप लोगों ने धोखो दे रह्या हो, आप इस तरह सूं मुसलमानां ने मत भड़कावा और कोई ने भी मत भड़कावो। हरिजनां न काई केवो हो, दूसरों ने काई के वो हो-ग्रे दो वाजूं क्यूं कोई वस्तु पर जद प्रतिबंध नहीं है, तो शिक्षा मंत्री जी उर्दू को कितने स्कूल आज चला रया है।

**श्री सभापति जी** : आप अपना भाषण समाप्त करें, क्योंकि विश्व विद्यालय....

**श्री आलम अली खां** : आज कितना लड़का मुसलमाना का मास्टर है। प्रतिबन्ध नहीं है तो बतावों ? ग्रे आपकी बातां कागजां में ही है। आज आ जो भेदभाव की नीति है, राज्य सरकार की तरफ सूं है। राज्य सरकार सही हो तो सब सही हो। न तो आर० एस० एस० चले न और कोई चले। एकी बलबूता पर चाल है ? ई के लिये अलग से मंत्री चंदा देते हैं। क्यों, किस वास्ते ? अगर आ पार्टी गलत है तो ई पर प्रतिबन्ध लगा दो और गलत नहीं है तो ऊ पर छींटाकशी करण सूं कोई फायदो नही है। मुसलमान अगर कोई बदमास है तो उण ने देश सू निकाल दो। कानून सूं सजा दो। आपका दस घंटा तक मारणे सूं काई आदमी मर जावेगा ? यों तो आधा घंटा में ही मर सके है। पर ऐसो मारने से क्या ? आप क्यूं मुसलमाना ने जला जला कर मारनो चाहवो हो ? कदई जनसंघ वाला केवे हैं, कदई रामानन्दजी केहवे है मुसलमानों की बात। आज जो ऐसी बात हुई है वह इशारां सूं हुई है। आप दूसरा ने क्यूं मारनो चाहो हो रामानन्दजी। आ थे आपणे पर ही लो। आप केहवो हो सब को बराबर करनो चाहो हो। तो काई किसी मुसलमान ने चीफ सेक्रेटरी बनायो, आई० जी० बनायो की ने ही चीफ सेक्रेटरी बनायो हो वो तो बताओ।.......

जहां तक राष्ट्रपति बनाणे को सवाल है आप ब्राह्मण ने ही राष्ट्रपति बनाओ हो। इस म्यूजियम में बहुत सा बैठों है। आज आप अपनी आत्मा से पूछो कि आप किस मुसलमानां ने क्लेक्टर बणाया कितनां ने एस० पी० बनाया। क्लेक्टर और एस० पी० जो भी आपने मिलेगा राजाओं क टाइम को ही लोग मिलेंगा आप तो एक ने भी नहीं बनायो।

**श्रीमती सुमित्रा** : (राज्य मन्त्री) : आपके सीकर मे ही बैठे हुए हैं।

**श्री आलम अली खां** : वो भी राजाओं का जमाना का है। ऊ रे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हा लेकिन आप में सूं कोई नहीं बोल्या। राम नारायण जी ज्यादा मत उचको मैं थारी पोल जाणूं हूं।

**एक मा० सदस्य** : माननीय सदस्य को थारे कह कर पुकारा है।

# Page No 127



**श्री सत्यीसिंह :** यह तो प्यार की भाषा है।

**श्री आलम अली खां :** गढ़ को मामलो हो हाई कोर्ट सूं विगड़ा करवायो गयो। आप तो केवल मुसलमानां की बात करो हो केवल वोट लेगो री खातिर आज बाईस साल हो गयो लेकिन आप उगके लिये कुछ नहीं कियो।

फतेहपुर का जो नवाब हा उगां ने अपने जमाने में बहुत अच्छा काम किया उगांकी लिखी हुई कितावां मौजूद है आप वे कितावां ने लाकर छपाओ।]

मै एक वात शिक्षा मंत्री जी सूं कहनो चाहूं थे उर्दू के बारे में घणी बातें करो हो लेकिन उर्दू की पढ़ाई को कोई इन्तजाम नहीं है। खाली आप बात मत करो। ये सब जो बातां की जा री है केवल वोट प्राप्त करणे के खातिर। स्वार्थ की भावना सूं यो लायो गयो है। यही भावना देश के लिये घातक हो रही है।

**श्री सभापति :** श्री राम नारायण चौधरी।

**श्री राम नारायण चौधरी :** (मंडावा) माननीय सभापति महोदय, देश में नारा दिया जा रहा है भारतीयकरण का। यह देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा और प्यारा है। इसके पीछे जो भावना और पृष्ठ भूमि है वह खतरनाक है और जहरीली है। जिस देश में जो लोग रहते हैं, उस देश के निवासियों के बारे में, नागरिकों के बारे में उस देश के लोगों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना कि इनका भारतीयकरण होना चाहिए यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही है सिवाय राजनैतिक दलों के। देश में किस का भारतीयकरण हो किस का नहीं हो यह कैसे मालूम कर सकेंगे। सभापति महोदय, इस देश में प्रत्येक नागरिक जो इस देश का निवासी है वह भारतीय है। वह भारतीय परम्पराओं एवम् रीति नीति पूर्वक देश में रह रहा है और देश के प्रति वफादार है। इस नारे से देश के छः करोड़ लोगों में भय और आतंक फैला है उनमें मायूसी आई है। हमारा यह कर्तव्य है कि इस प्रकार के वातावरण को साफ करें और जो लोग भारतीयकरण की बात करते हैं उनके दिमागों को दुरुस्त करें और साफ करें।

आज भारतीयकरण का नारा सिर्फ देश के अल्पसंख्यक मुसलमान नागरिकों के लिए लगाया गया है जो बड़ा खतरनाक और जहरीला है। आज हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हमारे बहादुर लोगों ने इस जाति के लोगों ने जिस कदर देश भक्ति और वफादारी का परिचय दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। उस समय तथाकथित वफादार लोगों को भागते हुए देखा गया है लेकिन इन लोगों ने सीने से सीना लगाकर देश की रक्षा की है, गौरव शाली इतिहास का निर्माण किया है।

आज हम इनके लिए भारतीयकरण की बात करें तो मैं यह कह सकता हूं इसके परिणाम भयंकर और दूरगामी हो सकते है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर भारतीयकरण की बात उठायी जाय हो सकता है भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में अगर हमारी

(श्री रामनारायण चौधरी)

धारणा इस प्रकार की रहनी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं के लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इस तरह से जिस किसी देश में भारतवासी फैले हुए हैं उन देशों में भी इस प्रकार की बातें उठ सकती है।

आज देश जिन हालतों में से गुजर रहा है उसमें इस प्रकार की बातें करें, यह बात देश हित और राष्ट्र हित में नहीं कही जा सकती। आज देश के अन्दर महाराष्ट्र में शिवसेना इस बात के लिए आन्दोलन कर रही है आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है। आसाम में नारा लगता है यह आसामियों के लिए है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : इसीलिए यह भारतीयकरण है।

**श्री राम नारायण चौधरी** : कुछ दिनों पहले भगवान का शुक्र है पंजाब में अब वातावरण सुधरा है वहां पर कुछ अरसे पहले पंजाब में आवाज लगी थी सिक्खों के लिए अलग होमलैंड होना चाहिये। देश में जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, कार्यवाहियां है वे देश हित में नहीं कही जा सकतीं। आज देश में इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक देश का नागरिक बिना किसी जाति धर्म के देश हित में राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर देश के विकास के लिये सोचे और काम करे।

जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा और माननीय रामानन्द ने भी कहा कि देश सर्वोपरि है। देश के बाहर जिन लोगों की वफादारी हो सकती है उस पर भी हमें सोचना है।

देश में आज कुछ राजनैतिक दल हैं जो हिस्सों में बंटे हुए हैं और जिनकी टेरीटोरियल लायल्टी देश की सीमाओं से बाहर है। जिन दलों के प्रेरणा स्रोत देश की सीमाओं से बाहर हो उनका हमें मुकाबला करना है। ऐसे दलों से निस्सन्देह देश को सावधान रहना है।

ऐसे भी दल हैं जो देश में फासिज्म लाना चाहते हैं उनसे भी हमें सावधान रहना है और निपटना है। देश में भारतीय विचारधारा, भारतीय चिन्तन, भारतीय रहन-सहन और भारतीय शासन पद्धति की हमें पूरे अर्थों में व्यवस्था करनी है।

देश में प्रजातान्त्रिक शासन है और इसलिये यहां के निवासी सब एक सा अधिकार रखते हैं। कहने के लिये हम सबके शुभचिन्तक हैं, पर इसके लिये हमें क्रियात्मक रूप में कुछ करके साबित करना होगा। हमारे कार्यक्रमों के द्वारा और हमारी योजनाओं के द्वारा हमें सिद्ध करना होगा कि कौन देश को आगे ले जाना चाहते हैं देश में कौनसा दल ऐसा है जो सारे देश को साथ लेकर आगे चल सकता है। मुझे इस पर यह कहने में संकोच नहीं है कि ४७ से पहले तो वैसे भी कांग्रेस ही ऐसा निर्विवाद दल था पर देश की आजादी के बाद भी आज कांग्रेस ही ऐसा दल है जो इस शर्त को पूरी कर सकता है और देश

(श्री रामनारायण चौधरी)

को पूरी रफ्तार से तरक्की की दिशा में ले जा सकती है। यह बड़े दुख की बात है कि वोट प्राप्त करने के लिये हम इस प्रकार के नारे और आन्दोलन चलाते हैं जिनके कारण देश का भयंकर अहित हो सकता है आपसी कटुता बढ़ सकती है।

आज जब से कांग्रेस में विचाराधारा के आधार पर विभाजन हुआ है तब से देश में ऐसा एक भी दल नहीं जो अपने को समाजवादी नहीं कहता हो। आज इस तरह का परिवर्तन हम जनसंघ में भी देखते हैं। स्वतन्त्र पार्टी में भी देखते हैं। महारावल साहब जैसे नेता भी आज प्रिवि-पर्स और प्रिविलेज के बारे में सीधी तरह से यह कह कर नहीं चल सकते कि ये रहने ही चाहिये। यह कांग्रेस के समाजवादी दृष्टि-कोण का प्रभाव है कि वे आज इस तरह से सोचने के लिये विवश हुए हैं। समाजवादी व्यवस्था इस देश में आएगी तो गरीब ऊपर उठेगा और एक वर्ग विशेष जो आज जोंक की तरह समाज के अंग से चिपका बैठा है उससे छुटकारा मिलेगा।

अब यह जो भारतीयकरण की बात जो देश में चल पड़ी है मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह बात एक बार कुछ लोगों के मुंह में से निकल गई पर उसका अर्थ, परिभाषा और इन्टरप्रीटेशन इस हिसाब से करने लगे हैं कि उनको कहीं इससे कोई राजनैतिक नुकसान तो नहीं हो जावे। अच्छा है कि आज उनके दिमागों में कुछ फर्क आया है और यह महसूस करने लगे हैं कि जो बात उठाई गई थी, गलत उठ गई है। ठीक है। सीधे रास्ते स्वीकार न करके घुमा फिराकर भी सही रास्ते पर आ जावें और सच्ची बात स्वीकार कर लेते हैं तो फिर भी शुक्र है।

तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में भारतीयकरण की जो आवाज है यह इस रूप में देश के लिये घातक है। अल्पसंख्यक सम्प्रदाय एवं धर्म वाले भी आज इस देश के प्रति वफादार हैं उनकी वफादारी में और हमारी वफादारी में कोई अन्तर नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : हमारी और उनकी कौन ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आसन को बीच में लेकर बात करें।

**श्री मदनसिंह** : सभापति महोदय, यह उनके भाषण में दो कौन ?

मुसलमान और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं ? वही आप समझ लेना।

**श्री रामनारायण चौधरी** : जब युद्ध होता है उस वक्त देश भक्ति का परिचय मिलता है। अब यदि मैं किसी वर्ग विशेष के प्रति ही सन्देह करूं तो यह मेरी बड़ी भूल होगी। हमारे देश में किसी बात की कमी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश में हम भारतीय परम्पराओं का भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का विकास करने में मदद दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री नथमल ।

**श्री मदनसिंह** : सभापति महोदय, श्री बरकतुल्ला जी का भी भाषण करा दें थोड़ा। करावें आप उनसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बातें। भारतीय पठन पाठन की बातें करावें उनसे थोड़ा। आपके ही लोग कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का मतलब है हिन्दू संस्कृति। खुद कह रहे हो। तो फिर यह कौनसे ग्रन्थ में से कह रहे हो ?

**श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़ सु) : मेरा नाम लेते हुए जिक्र किया सभापति महोदय, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

**श्री मदनसिंह** : कांग्रेस दल के ही एक सदस्य ने एक हिन्दू पर आरोप लगाया। कांग्रेस में रहते हुए भी आज एक कांग्रेसी की दूसरे कांग्रेसी के प्रति ये विचार हैं ?

**श्री नथमल चोहल** : मेरा नाम लेते हुए जिक्र किया, सभापति महोदय, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

**श्री मदनसिंह** : कांग्रेस दल के ही एक सदस्य ने एक हिन्दू पर आरोप लगाया। कांग्रेस में रहते हुए भी आज एक कांग्रेसी की दूसरे कांग्रेसी के प्रति ये विचार हैं।

**श्री नथमल चोहला** : यह हिन्दु मुसलमान का प्रश्न नहीं है। यह कहा गया कि किले में कायमखानियों की यादगार थी और नथमल ने सरकार पर दबाव डालकर उसे तुड़वाया। श्रीमान्, फतहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वह कतई गलत है। मैं अर्ज करूं कि फतहपुर के किले में कोई कायमखानियों की यादगार नहीं मिलती। उसमें कहीं इनका कोई का भी जिक्र नहीं है। महल बनें हैं उनमें किसी से इनका सम्बन्ध साबित नहीं होता। इन महलों में से एक का नाम है मालम का महल, दूसर का नाम है खातण महल और तीसरा महल का नाम है तेलण महल। कायमखानी का कहीं जिक्र नहीं है। रिहायसी मकान थे। एक नौबत खाना था उसको सेठ ज्वाला प्रसादजी भरतिया ने खरीदा और उसको तोड़ा। तब किसी कायमखानी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इसके बाद घंश्यामदास मुरलीधर ने तीसरा हिस्सा, जिसमें कोई मकान नहीं था, वह खरीदा। राव राजा सीकर से सौदा कायमखानियों ने कराया, दस्तावेज उन्होंने लिखा। उसके बाद राजनीति दुश्मनी के कारण खिलाफत शुरू करदी। सभापतिजी, मैं जानकारी के लिये यह भी कहूंगा कि कभी कायमखानियों ने बावड़ी (मुकबरा) की तरफ सरकार का ध्यान नहीं दिलाया है। वह टूटी फूटी पड़ी है। बीढ़ में है उस पर नाजायज कब्जा करके नोहरा बनवाया है। मेरी चुनौती है कि राज्य सरकार जांच करवाये तो मैं और भी जानकारी राज्य सरकार को दूंगा। बीड़ पर नाजायज कबजा किया है।

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय समय नहीं है।

**श्री सभापति** : श्री वृद्धि चन्द जैन। अब केवल १० मिनट रहे हैं इसी में बोलना है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : समापति महोदय अभी जो रामानन्द जी

अग्रवाल ने प्रस्ताव रखा है उसके बारे में...

**श्री रघुनाथ जी विश्नोई** ( संचार ) : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : मैं भी मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह विषय...

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह विषय धीरे बोलने का नहीं है ।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : बड़ा महत्व-पूर्ण विषय है । हमें यह देखना होगा राज-नैतिक दृष्टि से क्योंकि यह नारा जो जनसंघ ने फैलाया है वह नारा एक राजनैतिक नारा है इसलिये हमें इस पृष्ट भूमि में देखना होगा और पृस्ठ भूमि में देखने से पहले यह देखना होगा कि जिस संस्था ने यह नारा लगाया है उसके पहले का इतिहास क्या है—उसकी पृष्ठ भूमि में जाना होगा । बिना पृष्ठ भूमि में गये यह जो नारा लगाया जा रहा है उसको हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं । जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी कुछ भाषा ऐसी है कि जनता को भ्रम में डाला जा सकता है और यह दृष्टिकोण हो सकता है कि एक बड़ी राष्ट्रीय विचार धारा से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । मैंने बहुत गहराई से चिन्तन किया और मनन किया तो पाया कि जन-संघ के इतिहास में वही पुरानी सम्प्रदाय-वाद की गन्ध आती है । अब प्रश्न यह उठता है हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं—इंडियन सिटिजन एक्ट में इसकी डेफि-नेशन भी दी है । अपने देश के प्रति जो वफादार नहीं है, गद्दार है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून के अन्तर्गत उस पर कार्य-वाही हो सकती है ऐसी सूरत में हम किस प्रकार हमारे देश के नागरिक भारतीयकरण करेंगे—यह प्रश्न बहुत ही सोचने का है और गंभीर चिन्तन का भी है । हम किसको कहें कि यह देश का नागरिक नहीं है देश का वफादार नहीं है । ठीक है, उनके खिलाफ गद्दार साबित होने पर कार्यवाही कर सकते हैं और कानून के अन्तर्गत दण्डित करा सकते हैं । सरकार को यह चाहिये कि देश का कोई गद्दार हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी या कोई भी हो उसके साथ सख्त बर्ताव करे । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है परन्तु भारतीयों का भारतीय-करण किया जाय यह समझ में नहीं आता है । हम भारतीय हैं, हम देश के नागरिक है, हम देश के वफादार नागरिक हैं । कौनसी ऐसी चीज है जिससे हम जान सकें कि यह देश का वफादार नागरिक है—क्या आप उसको शपथ दिलायेंगे, ओथ दिलवायेंगे वह आसानी से शपत ले लेंगे लेकिन जब तक हृदय साफ न हो तब तक कोई चीज नहीं होती है । हर आदमी का हृदय साफ होना चाहिये । मेरा कहना है यह जो नारा दिया गया है यह जनता को भ्रम में डालने के लिये दिया गया है । हिन्दू राष्ट्र का नारा था वह जनता को अधिक अपील नहीं करता था इसलिये यह नारा अधिक प्रभावकारी होगा वोट प्राप्त करने के लिये, शक्ति प्राप्त करने के लिये, जनता को गुमराह करने के यह समझ कर इस नारे का प्रचलन किया गया है । इस कन्टेक्स्ट में देखने से यह नारा बहुत ही खतरनाक है, देश को नुकसान पहुंचाने वाला है । हमने जनसंघ का इतिहास देखा है, कम्युनिस्टों का भी इतिहास देखा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

है—जनसंघ साम्प्रदायवाद में विश्वास करता है और कम्युनिस्ट हिंसा पर विश्वास करता है। कम्युनिस्ट तो यह चाहता है कि कान्स्टीट्यूशन को ही समाप्त किया जाय। कम्युनिस्ट केवल डेमोक्रेसी की बात करते है परन्तु इनका आचरण जनतन्त्र के विपरीत है।

**श्री सभापति** : फिर आप केन्द्र में इनको साथ लेकर क्यों चलते हैं ?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : कोई मदद दे तो हम उसे इन्कार नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने सिद्धान्तों के मानने वाले हैं। इन्दिरा जी ने कोई कम्यूनिस्टों से सांठगाठ की हो ऐसी बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार किसी से बन्धी हुई नहीं है, कोई मदद दें, सपोर्ट करें तो हम कैसे इन्कार कर सकते हैं। कोई कन्डीशन मानकर चलते नहीं हैं।

मैं वह कह रहा था यह भारतीयकरण का नारा सिक्यूलर स्टेट की नींव को हिला देने वाला है।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

महात्मा गान्धी की विचार धारा इस नारे के...

**एक माननीय सदस्य** : सभापति महोदय समय हो गया है।

**श्री समापति** : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक ६ अप्रैल, १९७० के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

( तदन्तर सदन की कार्यवाही ४—५९ म०प० दिनांक ६ अप्रैल, १९७० सोमवार के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है )

---

Page No 133



# परिशिष्ट १

( तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ की सूची )

इन नस्लों के पंचायत समितियांवार व तहसीलवार दो–व निम्न प्रकार हैं ।

| क्र० सं० | नस्ल | पंचायत समिति | तहसील |
|---|---|---|---|
| १. | थरपाकर | १) शिव | १. शिव |
| | | २) बाड़मेर | २. बाड़मेर । |
| | | ३) घोरीमन्ना | ३. बाड़मेर । |
| | | ४) चौहटन | ४. चौहटन |
| | परथारकर व | ५) ग्रायन् | ५. बाड़मेर |
| | काकरेज | ६) सिदरी | ६. बाड़मेर |
| २. | कौकेरेज | १. सिवाना | १. सिवाना |
| | ,, | २. बालोतरा | २. पचपदरा । |

पंचायत समिति बालोतरा क्षेत्र में सांड़ वितरण बाबत सूचना।

| वर्ष | थरपारकर नस्ल के सांड़ | कांकरेज नस्ल के सांड़ |
|---|---|---|
| १९५९-६० | २ | — |
| १९६०-६१ | — | — |
| १९६२-६३ | — | १८ |
| १९६३-६४ | — | १३ |
| १९६४-६५ | — | १६ |
| १९६५-६६ | — | १७ |
| १९६६-६७ | — | १५ |
| १९६७-६८ | — | ४ |
| १९६८-६९ | — | — |
| १९६९-७० | — | — |
| योग— | २ | ८३ |

पंचायत समिति बावसू की वितरण सूचि १६५६ से १६७० तक ।

| क्र० सं० | वर्ष | कांकरेज नस्ल के सांड़ | थरपारकर नस्ल के सांड़ | |
|---|---|---|---|---|
| १. | ५६-६० | निल | — | |
| २. | ६०-६१ | निल | — | |
| ३. | ६१-६२ | निल | — | |
| ४. | ६२-६३ | निल | — | |
| ५. | ६३-६४ | ३ | — | |
| ६. | ६४-६५ | (तीन) | — | |
| ७. | ६५-६६ | १० | — | |
| ८. | ६६-६७ | ५ | — | |
| ९. | ६७-६८ | निल | — | |
| १०. | ६८-६९ | १ | — | |
| ११. | ६९-७० | निल | — | इस पंचायत समिति क्षेत्र में केवल कांकरेज नस्ल ही अनुमोदित है । |

कुल योग २६

# परिशिष्ट २

( तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ की सूची )

सूचि प्रश्न के खण्ड२ के लिए

साझेवारी रकबा व खसरा नम्बरान तालिका ग्राम क्षत्रपुरा आर्थिक ऐण्ड रकार्ड नम्बर

| खसरा नम्बर | रकवा बीघा | रकवा बिस्वा |
|---|---|---|
| ८०।३३ | १ | १ |
| ८८।३४ | २ | ३ |
| १३६।३४ | – | ३ |
| १३५।३३–३४ | १ | ४ |
| १३४।३३ | १ | ३ |
| १३८।३८ | – | १३ |
| १३७।३३ | २ | ८ |
| ९०।३४ | २ | ७ |
| | १० | १४ |

बिना मान सरकारी रकबा व खसरा नम्बरान साबिक

| नम्बरान साबिक | बीघा | बिस्वा |
|---|---|---|
| १०४।३४ | ३ | ११ |
| १०३।३४ | — | ११ |
| १०२।३४ | — | ८ |
| ९३।३६ | १६ | १० |
| ८३।३३ | १५ | १९ |
| ८६।३३ | — | १ |
| १०७।२७ | २८ | १८ |
| ८७।३३ | ६ | १९ |
| | ७२ | १७ |
| | ७२ | १७ |
| | १० | १४ |
| | ८३– | ११ |

सूची प्रश्न के खण्ड ३ के लिये

**खातेदारी रकबा व खसरा नम्बरान तालिका साबिका व हाल ग्राम छत्रपुरा**

| **साबिक खण्ड रकार्ड नम्बर** | | | हाल सेटलमेन्ट के अनुसार | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | खसरा नं० | रकबा | |
| खसरा नं० | बीघा | बिस्वा | | बीघा | बिस्वा |
| ८०।३३ | १ | १ | ५८ | — | ११ |
| | | | ५६ | — | १० |
| | | | | १ | १ |
| ८८।३४ | २ | ३ | ६२ | — | १६ |
| | | | ६१ | — | ८ |
| | | | ६० | — | ६ |
| | | | ५७ मि. | — | ६ |
| | | | ५६ ,, | — | ७ |
| | | | | २ | ३ |
| १३६।३४ | — | ३ | ५७ मि० | — | ३ |
| १३५।३३-३४ | १ | ४ | ५६ ,, | — | १६ |
| | | | ५५ ,, | — | ५ |
| | | | | १ | ४ |
| १३४।३३ | १ | ३ | ५५ मि० | १ | १ |
| | | | ५४ ,, | — | २ |
| | | | | १ | ३ |
| १३८।३८ | — | १३ | ५४ मि० | — | १३ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १३७।३३ | २ | — | ५२।१२९ मि० | १ | ४ | |
| | | | ५२ मि० | — | १६ | |
| | | | | २ | — | |
| ९०।३४ | २ | ७ | ५० | १ | ३ | |
| | | | ५१ | — | १८ | |
| | | | ५२मि० | — | ६ | |
| | | | | २ | ७ | |
| | १० | १४ | | १० | १४ | |
| | | | ५४ मि० | | १ | सरकारी खसरा नं० ८६।३३ का रकबा खसरा नं० ५ ५४हाल में गया |
| | | | | १० | १५ | |

# परिशिष्ट ३

( समयाभाव के कारण समय पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर )

**आयरन स्टील की खरीद के लिये आमंत्रित टेन्डर**

५२०. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग द्वारा सन् १९६८ में आइरन स्टील की खरीद के लिये टेन्डर लिये गये थे ?

(२) उपरोक्त टेन्डरों में लो-एस्ट टेन्डर किस पार्टी का किस किस आईटम में था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त टेन्डरों में से लोएस्ट पार्टियों से न खरीद करके सारी खरीद राधा बल्लभ एण्ड सन्स से की गई ?

(४) यदि हां, तो क्यों और इससे सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

(५) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त माल का रेल्वे फेयर चार्ज आर्डर के अनुसार १०) रुपये फी टन के हिसाब से था परन्तु वह ५० रुपये फी टन के हिसाब से चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह भी सच है कि ५०) रुपये फी टन दर्ज करने पर भी इस पार्टी की दरों से दूसरी पार्टियों की दर कम पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों ऊंची दरों से खरीद करने पर सरकार से स्वीकृति ली गई है ?

(स्थागित किया गया)

**सूरज का खेड़ा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०**

५२१. श्री जयनारायण सालोदिया ( निवाई )- क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सूरज का खेड़ा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड तहसील निवाई कौन से सन् में रजिस्टर्ड हुई थी और उसके कुल सदस्य कितने थे ?

(२) समिति को किस किस सन् में कितनी जमीन कौन से खसरा नम्बरों की अलाट की गई थी ? क्या उसका लगान हर साल समिति से लिया जाता है ? जमीन किसके कब्जे में है ?

(३) क्या यह सच है कि सन् १९६४ में समिति के कागजात सहकारी विभाग के निरीक्षक लेकर आये थे और उसके बाद समिति को वापिस नहीं लौटाये गये हैं और इसके बाद कोई निरीक्षण भी नहीं किया ?

(४) क्या यह भी सच है कि सदस्यों को बिना नोटिस दिये ही समिति अवसायन में लेकर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(५) क्या यह भी सत्य है कि अब सरकार समिति से जमीन को पैदावार का आधा बांटा (हिस्सा) मांगती है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

(६) क्या सरकार इस समिति को चलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(१) सूरका खेड़ा सामुहिक कृषि सहकारी समिति तहसील निवाई दिनांक ५ सितम्बर, १९६२ को रजिस्टर्ड हुई थी। इसके गठन के समय कुल सदस्य ११ थे।

(२) इस समिति को अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक ५-८-६२ को २९७।।)२ भूमि अलाट हुई थी, जिसके खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैं:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ / २७।।)४ | ५ / २)१ | ६ / १)४ | ६३ / १९२।।) |
| ८४ / २ | ८८ / २।।)१ | ८९ / ३।।)४ | ९० / )३ |
| ९१ / १)२ | ९२ / ।।)१ | ९३ / ५)३ | २०६ / ६।।।) |
| २६६ / ६।।) | २६८ / ४)३ | २७० / ५)४ | २८६ / ११।।)२ |
| २८६ / १९।) | २८६।३४२ / ५) | | |

कुल २९७।।)२ भूमि समिति के कब्जे में ही लगान प्रति वर्ष मन्त्री द्वारा दिया दिया जाता है।

(३) जी, नहीं। समिति का निरीक्षण दिनांक २०-११-६५ को तत्कालीन सहकारी प्रसार अधिकारी ने समिति के मुख्यावास पर एवं दिनांक ११-१२-६८ को तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार ने समिति के मुख्यावास पर ही किया। अतः इस दृष्टि से समिति का रिकार्ड समिति के मुख्यावास पर ही था।

(४) जी, नहीं। समिति को अवसायन लाने हेतु धारा ७८ के अन्तर्गत दिनांक ६-२-६९ को नोटिस दिया गया, जिसकी तामील श्री गोवर्धन द्वारा दिनांक १६-३-६९ को नहीं निर्धारित अवधि के उस नोटिस के बाद समिति की तरफ से कोई आपत्ति न प्राप्त होने पर दिनांक १६-६-६९ के आदेश द्वारा समिति को अवसायन में लाया जाकर सहकारी प्रसार अधिकारी पंचायत समिति निवाई को व्यवसाय नियुक्त किया गया, समिति उपनियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। अतः समिति को अवसायन में लाया गया।

(५) जी, नहीं।

(६) यह समिति के सदस्यों पर निर्भर करता है यदि वे नियमानुमार इसे चलाना चाहें तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**बीकानेर जिले के गांवों में बिजली**

५२३. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बीकानेर जिले की तहसील लुणकरणसर, तहसील नोखा, तहसील बीकानेर व तहसील कोलायत के किस किस गांवों में बिजली पहुंच गई है? तहसीलों के गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राज्य सरकार ने जिन गांवों में बिजली पहुंच चुकी है उन गांवों में भी कुओं पर जनता को बिजली अभी तक नहीं दी है? यदि हां, तो उन गांवों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(३) जिला बीकानेर में कृषि कुओं पर बिजली लेने हेतु कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र पेश किये? इनमें से कितनों को कुओं पर बिजली दे दी गई है? यदि नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

(१) बीकानेर जिले के जिन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुछ गांव ऐसे है जहां बिजली पहुंच चुकी है पर कोई प्रार्थना पत्र कुओं के लिये नहीं आया। ऐसे ग्रामों की सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) बीकानेर जिले में कृषि कुओं पर बिजली लेने हेतु कुल १७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से १२ कुओं पर कनेक्शन दे दिये गये है। एक काश्तकार ने अनसेक्शन्ड ग्राम के कुए के लिये अर्जी दी और एक दूसरे काश्तकार ने कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिया। अतः इन दोनों प्रार्थना पत्रों को फाइल कर दिया गया। दो अन्य काश्तकारों ने 'एल फार्म' नहीं दिया इसलिये अर्जी पेन्डिग है और एक काश्तकार ने १८-२-१९७० को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका एस्टीमेंट बनाया जा रहा है।

## APPENDIX 'A'

### List of Towns and Villages Electrified in Bikaner District

| S. No. | Name of the locality | Name of tehsil |
|---|---|---|
| 1. | Bikaner City | Bikaner |
| 2. | Sri Ramsar | do |
| 3. | Karmisar | do |
| 4. | Nal | do |
| 5. | Udasar | do |
| 6. | Devikundsagar | do |
| 7. | Ridmalsar | do |
| 8. | Sheobari | do |
| 9. | Jorbeer | do |
| 10. | Beechwal | do |
| 11. | Jamasar | do |
| 12. | Gangashahar | do |
| 13. | Bhinasar | do |
| 14. | Udramsar | do |
| 15. | Sujandesar | do |
| 16. | Palana | do |
| 17. | Deshnoke | do |
| 18. | Sinthal | do |
| 19. | Napasar | do |
| 20. | Helasar | do |
| 21. | Gadhwala | do |
| 22. | Gusaisar | do |
| 23. | Lalamdesar | do |
| 24. | Tejrasar | do |
| 25. | Naugrangdesar | do |
| 26. | Garsisar | do |
| 27. | Khara | do |
| 28. | Basilarsinghsar | do |
| 29. | Kolayat | Kolayat |
| 30. | Gajner | do |
| 31. | Kodamdesar | do |
| 32. | Akasar | do |
| 33. | Jhajhu | do |

| S. No. | Name of locality | Name of tehsil |
|---|---|---|
| 35. | Bholasar | do |
| 36. | Chandi | do |
| 37. | Chandasar | do |
| 38. | Jaimalsar | do |
| 39. | Nokha | Nokha |
| 40. | Rasisar | do |
| 41. | Surpura | do |
| 42. | Rora | do |
| 43. | Himatsar | do |
| 44. | Mukam | do |
| 45. | Kakra | do |
| 46. | Jasrasar | do |
| 47. | Berasar | do |
| 48. | Kunkunia | do |
| 49. | Udasar | do |
| 50. | Kudsu | do |
| 51. | Udsar | do |
| 52. | Charkara | do |
| 53. | Kanwalisar | do |
| 54. | Salundia | do |
| 55. | Jhareli | do |
| 56. | Ankisar | do |
| 57. | Somalsar | do |
| 58. | Madiya | do |
| 59. | Bikasar | do |
| 60. | Panchoo | do |

Statement showing the names of the villages in which no connections of wells have been taken upto this date by any of the party of that locality and nor any application has been received.

| S. No. | Name of locality | Name of tehsil |
|---|---|---|
| 1. | Bholasar | Sri Kolayat |
| 2. | Mud | do |
| 3. | Tejrasar | Bikaner |
| 4. | Salundia | Nokha |
| 5. | Udsar | do |
| 6. | Ankisar | do |
| 7. | Madiya | do |
| 8. | Udasar | do |
| 9. | Chandasar | Kolayat |

**जस्ते का कोटा**

५२४. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मैसर्स एसोशियेटेड आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज रामगंज मंडी को जस्ते का कोटा दिया गया है? यदि हां, तो सन् १९६७ से लेकर अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना और किस उपयोग के लिये?

(ख) क्या यह सही है कि यह जस्ता रामगंज मन्डी आया भी नहीं और इसका बम्बई में ही विक्रय कर दिया गया? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(क) जी हां।

इन्हें सन् १९६७ से अब तक केवल एक बार १७,६७१ रु० का जस्ते का आयात लाइसेन्स सी० आई०. ये एण्ड कास्टिंग तथा मेल-ये-बलहार्ट गेलवेनाइजड पाइप फिटिंग इत्यादि के उपयोग के लिये दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम छावड़िया में अलाट की गई भूमि**

५२५. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) अजमेर जिले की तहसील केकड़ी के ग्राम छावड़िया में हाथी सिंह दरोगा ग्राम को खसरा नम्बर १९३ में ३० बीघा भूमि राजस्व विभाग संख्या एक (२) (२३८) राजख। ६८ जयपुर दिनांक ७-९-६८ को अलोट क्यों की गई?

(२) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकार के पास ग्राम बघेरा में अपने व अपने

(श्री देवीलाल बुरासिया)

परिवार वालों के नाम काफी जमीन है अगर हां तो कितनी ?

(३) क्या अलोट शुदा जमीन बेचान कर सकता है ? अगर हां, तो कितने समय बाद ?

(४) क्या हाथीसिंह बघेरा ने उक्त अलोट शुदा जमीन बेच दी है ? अगर हां तो किसको कब और कितने रुपयों में बेची ?

(५) क्या उक्त अलाटमेन्ट को सरकार खारिज करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(१) तहसील केकड़ी के ग्राम छावड़िया में श्री हाथीसिंह दरोगा को खसरा नम्बर १९३ में से ३० बीघा भूमि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ, २ (२३९) राजस्व (ख)६८, दिनांक ७-६-६९ के द्वारा राजनैतिक पीड़ित होने के नाते अलोट की गई थी।

(२) ग्राम भौरा में श्री हाथीसिंह के नाम अलग से कोई भूमि नहीं है। मुस्तरका खाते में ११३।।) ३-१० बीघा भूमि है जिसमें श्री हाथीसिंह के हिस्से में ३८।) ३३ बीघा भूमि आती है।

(३) अलोट शुदा भूमि को अलोटी १० साल तक नहीं बेच सकता। १० साल बाद अलोटी को पूर्णरूपेण खातेदारी हक प्राप्त हो जाता है, इसके बाद अलाट शुदा भूमि बेच सकता है।

(४) श्री हाथीसिंह बघेरा ने राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई भूमि में से १५ बीघा भूमि श्री बृजकिशोर शर्मा वकील केकड़ी को १०००) रुपये में बेचना की है। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक १-१२-६९ को की गई है।

(५) इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

**नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भू संरक्षण कार्य**

५२६. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या नागौर जिले में वर्ष १९६६-६७ में अकाल राहत कार्यों में भू-संरक्षण विभाग ने कार्य किया ? यदि हां, तो कितने गांवों में एवं उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में मेहता पंचायत समिति के प्रधान श्री रामचन्द्र जी के गांव हरसोलाव में तत्कालीन भूसंरक्षण अधिकारी ने मजदूरों को पानी पिलाने का व्यय किन्हीं व्यक्तियों के नाम से व्यय होना बताया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? किस-किस व्यक्ति को कितनी राशी ? अन्य किन गांवों में मजदूरों को पानी पिलाने हेतु टंकियां आदि का व्यय दिखाया है? उन गांवों व व्यक्तियों की नामों की सूचियां मय रकम जो चुकारा की गई मय तिथियों जिनमें कि यह व्यय बताया गया है बताने का कष्ट करें ?

(श्री रामसिंह कुडो)

(३) क्या तत्कालीन भू संरक्षण अधिकारी ने इस कार्यकाल में कोई गलत व्यय किया, जिसकी शिकायत जिला परिषद् नागौर ने की ? क्या इस व्यय का आडिट डिपार्टमेंट द्वारा हुआ ? यदि हुआ तो दोनों प्रकार की आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियों सदन की मेज पर रखी जावें यदि कोई विभागीय जांच की गई हो तो जांच रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावें यदि कोई जांच विचाराधीन हो तो वे किस किस मुद्दे पर किस अधिकारी के पास कब से विचाराधीन हैं ?

(स्थगित किया गया)

**बांसवाड़ा में जमा कराई गई रकम**

५२७. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा खान तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा ९-१०-६८ को २५३ रुपया सरकारी खजाने में बैंक में जमा कराने हेतु चालान नं. २१ के द्वारा जारी हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा दिनांक १०-१२-६८ एवं ४-४-६९ को चालान नं २६ व ५१ के द्वारा ९९०।- रु. ६८ पैसा व १८३ रु. बैंक में जमा कराने हेतु आदेश देकर किसी कर्मचारी को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त चालानों की रकम जमा हो गई, और यदि हां, तो किस कर्मचारी द्वारा किस तारीख को जमा हुए ?

**उत्तर**

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

**कस्बा नगर में गांधी स्मारक बाग की भूमि पर कब्जा**

५२८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अन्तर्गत कस्बा नगर में गांधी स्मारक बाग के निर्माणार्थ अराजी कास्त खसरा नम्बर ४९१, ४९२ एवं ४९३ रकबा ६ बीघा ८ विस्वा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? राज्य आज्ञा जो इस सम्बन्ध में प्रसारित की गई उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त स्मारक की भूमि पर किन्हीं व्यक्तियों ने अनेक वर्षों से नाजायज कब्जा कर रखा है और उस पर अपने निजी व्यवसाय धन्धे चालू कर रखे हैं ? यदि हां, तो किसने और कब से ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में वहां की जनता ने अनेकों बार शिकायतें की परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि की गई तो क्या ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस भूमि का नामान्तरणकरण तहसीलदार नगर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

द्वारा तारीख ८-६-५६ को स्वीकृत किया गया था और इस अराजी का कुल लगान तहसील में जमा नहीं होता है ?

(स्थगित किया गया)

**भेड़ व ऊन विभाग के राज-पत्रित**

**अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

५२६. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन विभाग राजस्थान के राज-पत्रित अधिकारियों के खिलाफ नियुक्ति विभाग में कोई कार्य-वाहियां चल रही है ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ क्या क्या कार्यवाहियां चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या उपरोक्त अधिकारियों को आरोप-पत्र दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अधिकारियों ने आरोप पत्र का जवाब दिया है ? यदि हां, तो कब कब और यदि किसी ने रेकार्ड देखने का प्रार्थना-पत्र दिया हो, तो कब कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(४) इतने लम्बे समय तक विभागीय कार्यवाहियां नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(५) क्या उक्त कार्यवाहियां निर्धारित समय में ही पूर्ण हुई है ?

(६) उक्त कार्यवाहियां कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

**उत्तर**

(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वांछित सूचना सूची में अंकित है।

(३ व ४) कर्मचारी को कानूनी तौर पर बचाव का पूरा मौका देना व जांच की निर्धारित प्रक्रिया का पूरा-पूरा पालन करना पड़ता है जिसमें देरी होना स्वाभाविक है।

(५) जी नहीं।

(६) यह बताना सम्भव नहीं है।

---

**श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ामु० मं० के भाग १, २ व ३ से सम्बन्धित सूचना।**

| क्र० सं० | नाम अधिकारी जिनके विरुद्ध जांच चल रही है। | आरोप पत्र देने की तारीख | आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने की तारीख | रेकार्ड देखने का प्रार्थना पत्र देने की तारीख तथा उस पर की गई कार्यवाही। |
|---|---|---|---|---|
| १. | श्री सवाई सिंह मिर्धा, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी | २-७-६५ | १०-६-६५ | — |
| २. | श्री एन० एल० नारायण, उप-निदेशक (भेड़ व ऊन) | २७-८-६६ | २१-६-६६ | — |
| ३. | श्री एस० के० शर्मा | केवल उप-निरिक्षक आरक्षी के यहां प्राथमिक तफतीश चल रही है। | | |
| ४. | श्री आर० एम० सेठी | ३०-८-६७ | ११-११-६७ | — |
| ५. | श्री ए० सी० दुबे | ३०-१-६८ | जवाब नहीं दिया | — |
| ६. | श्री ए० सी० दुबे ) | २५-१-६८ | २०-३-६८ | — |
| ७. | श्री के० एल० चड्डा) | ,, | जवाब नहीं आया | ११-३-६८। निदेशक को रिकार्ड दिखाने को १६-४-६८ को लिखा दुबारा रिकार्ड देखने के लिए दिनांक ३-१०-६८ को प्रार्थना की। प्रशासनिक विभाग को रेकार्ड दिखाने को लिख दिया। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८. | श्री रामेश्वर लाल वी० माथुर | २८--११--६८ | १७--१२--६८ | --- |
| ९. | श्री एम० वी० सपरे | ७--१--६९ | जवाब नहीं दिया | --- |
| १०. | श्री सर्वदानन्द शर्मा | २०--१--६९ | जवाब नहीं दिया | २६-३-६९ को रेकार्ड देखने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया २४-४ ६९ को अतिरिक्त आयुक्त विकास विभाग को रेकार्ड निरीक्षण कराने को लिखा। |
| ११. | एस० सी० दुबे | १--५--६८ | दिनांक २७-५-६८ को जवाब आ गया। वह सरकार के विचाराधीन है। | --- |

**कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची**

**५३० गंगासहाय** (कठूमर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

( १ ) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल को बने १२ वर्ष हो चुके हैं, परन्तु आज तक विद्युत मण्डल के लेखाकारों तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनायी गई है ?

( २ ) क्या यह भी सही है कि कई लेखाकारों को बिना वरिष्ठता का ध्यान रखे ही लेखाधिकारी बना दिया गया है ?

( ३ ) क्या यह भी सही है कि जयपुर वृत में कार्य करने वाले कुछ टेक्निकल कर्मचारियों को १६६४ से ही पदोन्नत कर गलत तरीकों से लगभग ६०,००० रुपये का नकद भुगतान कर दिया है ?

( ४ ) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की पदोन्नति के आदेश न विद्युत मण्डल ने दिये हैं और न अध्यक्ष विद्युत ने दिये हैं ?

( ५ ) क्या यह भी सही है कि मण्डल के लगभग ३५० टेक्निकल कर्मचारियों को मुख्यालय से डेपुटेशन पर अन्यत्र भेजा गया था ? यदि भेजा गया तो इस पर मण्डल को कितना अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ा ?

**उत्तर**

( १ ) प्रश्न का प्रथम भाग सही है कि विद्युत मण्डल को बने १२ वर्ष हो चुके है। परन्तु यह सही नहीं है कि लेखाकारों तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है। लेखाकारों की सूची पहले से ही बनाई गई थी और उसको मंडल द्वारा स्थाई रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। इसी प्रकार अधिकारी अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची भी बनाली गई है।

( २ ) जी नहीं। किसी भी लेखाकार के प्रत्यक्ष रूप से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। पदोन्नति के सम्बन्ध में प्राय: वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है जयपुर वृत के उत्पादन संभाग की कुछ जगहों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अनियमितताएं सामने आई हैं। और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उत्पादन संभाग जयपुर के कर्मचारियों को कुल ३०/-हजार रुपये से भी कम भुगतान हुआ है कितना भुगतान गलत तरीकों से किया है। इसके लिये जांच जारी है जिसके पूरे होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

( ३ ) जी हां। उपरोक्त गलत तरीकों से पदोन्नति के आदेश न विद्युत मण्डल ने और न ही अध्यक्ष विद्युत मण्डल ने दिये हैं।

( ४ ) सामान्यत: कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत मण्डल के कुल ४३ अधिकारी तथा ४६ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये है।

( ५ ) ऐसा करना विद्युत मण्डल के हित में है। तथा प्रतिनियुक्ति से मण्डल को

(विद्युत मंत्री)

अनावश्यक खर्चा होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रतिनियुक्ति का पूर्ण भार वैदेशिक नियोजन को ही वहन करना पड़ता है।

**बाड़मेर जिले के पटवारियों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान**

**५३१. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) बाड़मेर जिले में विभिन्न तहसीलों में किन किन पटवारियों का कितने कितने वर्षों का यात्रा भत्ता कितना कितना बकाया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त यात्रा भत्ता बिल के भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? विभाग द्वारा कब तक उक्त बिलों का भुगतान कर दिया जायगा ?

(३) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठायेगी ?

**उत्तर**

(१) बाड़मेर जिले के विभिन्न तहसीलों के पटवारियान के बकाया यात्रा देयकों का विवरण परिशिष्ट (क) पर अंकित हैं।

(२) बजट कम स्वीकृत होने के कारण इन देयकों का भुगतान नहीं हो सकता सन् १९६९-७० के बजट में अतिरिक्त राशि ३९७२०) रुपये की इसके लिये कराई गई थी जिसके अनुसार बहुत सा भुगतान १९६९-७० में करने की कार्यवाई की जा चुकी है। शेष भुगतान अब १९७०-७१ के बजट में से कर दिया जावेगा।

(३) इस सम्बन्ध में दोष किसी अधिकारी का नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण सभा पुस्तकालय में रखी गई।

**ट्रैक्टर का कारखाना**

५३२. श्री **केदारनाथ** (श्री गंगानगर) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने जोधपुर शहर में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने की घोषणा करदी है।

(२) क्या इस सिलसिले में कोई Experts Committec की राय ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) इस कारखाने में कितनी राशि खर्च होगी ?

(स्थगित किया गया)

**भरतपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि**

**५३३. श्री मजलिस खां** (कामां) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री मजलिस खां)

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में बाढ़ के कारण कृषि भूमि में रेता ाह गया है और इससे भूमि कृषि योग्य नहीं रही है ? यदि हां, तो जिले की किस किस तहसील के किन किन ग्रामों की कितनी कितनी भूमि एसी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इस भूमि का फसल खरीफ में लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(१) जी हां इस जिले की तहसील रूपावास तथा कामां के ग्रामों की क्रमश: लगभग ८२६३ एकड़ २१०० एकड़ व ५० एकड़ भूमि में रेता की तह जम गई है। ग्रामवार सूचना तहसीलों से प्राप्त की जा रही है।

(२) जी नहीं।

**साथीन-रात कुड़िया बिजली लाइन**

५३४. **श्री बाघसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) क्या विद्युत-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि साथीन से रातकुडिया तक बिजली की लाइन लगाई गई है ? अगर हां, तो यह लाइन कितनी लम्बी है और इस पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बिजली की लाइन अकाल की राशि से खीची गई है ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं जबकि बिलाड़ा तहसील में जायकालूना, उदालियास, झाक इत्यादि में अधिक कुए होते हुए भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं ?

(३) आज तक उपरोक्त रातकुड़िया साथीन लाईन पर कितने कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं।

उत्तर

(१) जी हां। करीब ९-६ किलोमीटर लम्बी लाइन खींची गई थी। इस पर करीब ५ हजार चार सौ रुपये खर्च हुए थे।

(२) जल प्रदाय विभाग से प्रस्तावित होने के कारण उनके द्वारा दिये गये व्यय से यह लाइन अभाव ग्रस्त क्षेत्र में जल प्रदाय योजना को कनेक्शन देने हेतु स्वीकार की गई थी। इन ग्रामों के लिये बिजली देने की कोई योजना विद्युत मण्ड को प्राप्त नहीं हुई।

(३) रातकुडिया में वाटर वर्क्स के कुवे पर, जिसके लिये यह लाइन विशेष रूप से खेंची गई थी, कनेक्शन दे दिया गया है। इस लाइन पर कृषि हेतु कोई कनेक्शन लेने के लिये कोई प्रार्थना पत्र १६६८-६६ तक प्राप्त नहीं हुआ था।

**ग्राम मजरा लोधों के झोंपड़े की विवाद ग्रस्त भूमि**

५३५. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री केसरीसिंह हाडा)

( १ ) तहसीलदार हिन्डौली ने दीना वल्द लालू खां साकिन दबलाना को किस किस तारीख से ग्राम मजरा लोधों का झोपड़ा में जो भूमि विवादग्रस्त थी उस पर किस दर पर रखा था ?

( २ ) क्या यह सत्य है कि बंसीलाल जो जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर उसके साथी रामकिशन ने उसके साथ हाथ पकड़े और बन्सीलाल ने उसके सर पर कुलहाड़ी से तीन घातक प्रहार किये थे ?

( ३ ) जब यह वारदात हुई तो तहसीलदार ने क्या केस की रिपोर्ट पुलिस में दज कराई ?

( ४ ) क्या तहसील की ओर से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दीना को दी गई।

उत्तर

( १ ) तहसीलदार, हिण्डोली ने दीना वल्द लालू खां साकिन दबलाना को फसल की हिफाजत के लिए ३०-८-६७ को १॥) रु० प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा था।

( २ ) महकमा पुलिस के कथनानुसार यह पाया जाता है कि बंशीलाल ने उस जमीन को हांकने की कोशिश की थी। श्री दीना वल्द लालू खां के रोकने पर श्री रामकिन ने उसके हाथ पकड़ लिए और बंशीलाल कलाल ने तीन चोटें कुल्हाड़ी की सर पर मारी थी। मगर तहसील में इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

( ३ ) उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा इस बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई।

( ४ ) तहसील की ओर से क्षतिपूर्ति में दीना को कुछ नहीं दिया गया।

**सहायक अभियन्ता नवलगढ़ को अलाट किया गया बजट**

५३६. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सहायक अभियन्ता विद्युत बोर्ड नवलगढ़ को १९६९-७० के लिए कितना बजट अलाट किया गया और उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि इसमें अधिकतर राशि अग्रिम जमा करवाकर प्रायोरिटी के बिना कनेक्शन लेने वालों पर खर्च की गई है और प्रायोरिटी में आने वाले काश्तकार वंचित रह गये हैं ?

(३) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जितना बजट साल में दिया जावे वह प्रायोरिटी के आधार पर कनेक्शन देने में खर्च किया जावे और अग्रिम रकम जमा लेकर बिना प्रायोरिटी के कनेक्शन अलग धन से दिये जावें ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६९-७० में उप खण्ड नवलगढ़ को रु०६, २५,००० आवंटित किये गये थे। जो लगभग तमाम खर्च की जा चुकी है।

(विद्युत मन्त्री)

(२) जी नहीं।

(३) इस विषय में विद्युत मण्डल के द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये हुए हैं जिनके अनुसार अग्रिम राशि जमा कराने वालों तथा साधारण योजना के अन्तर्गत कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ताओं की प्रायरिटी सर्वथा पृथक-पृथक रखी जाती है और कुवों का लक्ष्य केवल साधारण उपभोक्ताओं को दृष्टि में रखते हुए रखा जाता है ?

**तहसीलदार देवली द्वारा बकाया वसूली के लिये जारी किया गया नोटिस**

**५३७, श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) :-

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार देवली, जिला टोंक द्वारा श्री रतन लाल पुत्र श्री दुर्गालाल, निवासी नगर को १०,०००) रु की वसूली का नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो यह वसूली किस मद की बकाया है और कब से चली आ रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह वसूली स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों व किस आदेश से ?

(३) क्या यह भी सही है कि श्री रतन लाल, सरपंच नगर ने इस राशि को आज तक सही उपयोग में न लेकर किसी अन्य कार्य में खर्च किया है ?

(४) क्या इस राशि की एक भी किश्त श्री रतन लाल द्वारा जमा नहीं कराई गई है ? यदि हां तो अब यह वसूली कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ६३००) रु. की वसूली का नोटिस दिया गया था। रकम पंचायत समिति देवली के निजी खाते से ऋण के रूप में दी गई थी जो कि १९६३-६४ से बकाया चली आ रही है।

(२) जी हां। विकास अधिकारी के आदेश से वित्तीय एवं प्रशासन स्थाई समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वसूली स्थगित की गई है।

(३) जी नहीं।

(४) श्री रतनलाल से २५०) रु० मूल व १६२) रु० ५० पैसे ब्याज कुल ४१२) रु० ५० पैसे वसूल हो गये हैं।

# परिशिष्ट ४

( अ. ता. प्र. सं. ५४१ की सूची )

**राजस्थान में मन्डलों, निगमों और न्यासों के गैर सरकारी अध्यक्षों की सूची**

| क्रम सं० मण्डल, निगम और न्यास का नाम | गैर सरकारी अध्यक्ष का नाम | सुविधाएं |
|---|---|---|
| १. राजस्थान लघु उद्योग निगम | श्री भीमसैनजी, उप-मन्त्री उद्योग | इनके वेतन, भत्ता, टेलीफोन, बंगला, कार आदि सुविधाएं सम्बन्धी व्यय निगम द्वारा वहन नहीं किया जाता है। |
| २. राजस्थान वित्त निगम | श्री कमलनयन बजाज | इनको कोई वेतन, भत्ता, टेलीफोन, बंगला, कार आदि की सुविधायें नहीं दी जाती है। जब कभी संचालकों की बैठक होती है, वे उसमें उपस्थित होते हैं तो उनको ७५) फीस के तौर पर व उनके आवास से उस जगह तक का जहां संचालक मण्डल की बैठक होती है आने जाने का किराया दिया जाता है। |
| ३. राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्डमिनरल डवलपमेन्ट निगम | श्री भगवत सिंह जी मेहता | इनके लिए निम्नलिखित खर्चा किया जाता है :—<br>१. सेम्बुयरी अलाउन्स रु० ४००) प्रति माह<br>२. कार अलाउन्स रु०(२५०) प्रति माह<br>३. फ्री फरनीशड रेजीडेन्सियल हाऊस<br>४. टेलीफोन चार्जेन रु० १२२) प्रति माह |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड | श्री मांगीलालजी पंडया | इनको राज्य मन्त्री मंडलीय स्तर की समस्त सुविधाएं स्वीकृत हैं। जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार मासिक व्यय इन पर होता है। | |
| | | वेतन— | ७५०) रु० |
| | | सेम्चुयरी अलाउन्स | २५०) रु० |
| | | यात्रा व्यय | ६००) रु० |
| | | टेलीफोन व्यय | ५००) रु० |
| | | कार का व्यय | १४५०) रु० |
| | | फ्री फरनीसड मकान | ५२५) रु० |
| ५. कृषि उद्योग निगम, जयपुर | श्री चन्दनमल वैद | परिलाभ | प्रतिमाह |
| | | वेतन | १२५०) रु० |
| | | कार भत्ता | ५००) रु० |
| | | सेम्बुयरी भत्ता | २५०) रु० |
| | | फर्नीचर भत्ता | ५०) रु० |
| | | मकान किराया भत्ता | २५०) रु० |
| | | पानी व विद्युत् भत्ता | २००) रु० |
| | | टेलीफोन व्यय | ३००) रु० |
| | | योग | २७०० रु० |
| ६. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | श्री ज्वाला प्रसाद | वेतन | १०००) रु० |
| | | कार भत्ता | ५००) रु० |

| | | |
|---|---|---|
| | | मकान किराया ५५०) रु० |
| | | टेलीफोन खर्चा ४३३) रु० (प्रतिमाह औसत) |
| | | नाना भत्ता ५८५) रु० (प्रतिमाह औसत) |
| | | बाहर जब ये निगम के कार्य से अपनी निजी कार द्वारा यात्रा करते हैं तो ५० पैसे प्रति किलो मीटर के हिसाब से कार किराया भी दिया जाता है जिसका औसत खर्चा अब तक ९७५) रु० प्रतिमाह रहा है। उन्हें ये सुविधायें निगम द्वारा उपलब्ध की जाती हैं, जो एक उप मन्त्री को राज्य सरकार देती है। |
| ७. राजस्थान राज्य होटल निगम लि०, जयपुर | श्री जी० एस० मेहता | ५०) रु० निगम की किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिये। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता-बैठकों के लिये-राजकीय नियमानुसार। ५००) रु० मानदेय प्रत्येक अध्यक्ष के |
| ८. नगर सुधार न्यास, जयपुर | श्री बालचन्द वैद्य | यात्रा। दैनिक भत्ता-विधान सभा सदस्य के समान टेलीफोन सुविधा-नगर सुधार न्यास के खर्चे से |
| नगर सुधार न्यास, अलवर | श्री के० एन० भार्गव | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, भरतपुर | श्री विश्व प्रिया शास्त्री | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, गंगापुर | श्री गुलाबचन्द पालीवाल | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, हिन्डौन | श्री ज्ञानचन्द डेरोलिया | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, जोधपुर | श्री तारकप्रसाद व्यास | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, उदयपुर | श्री गिरधारी लाल शर्मा | ,, ,, ,, |
| नगर सुधार न्यास, बीकानेर | श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित | ,, ,, ,, |

Page No 158



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नगर सुधार न्यास, चितौड़गढ़ | श्री पंकज पनचोली | ,, | ,, | ,, |
| नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा | श्री ज्ञानमल कोठारी | ,, | ,, | ,, |
| राजस्थान आवासन बोर्ड, | श्री द्वारकादास पुरोहित | यह बोर्ड बना ही है इसके अध्यक्ष के भत्ते आदि देना निश्चित नहीं हुआ है। | | |

Page No 159



# परिशिष्ट ५

( अ. प्र. सं. ५४३ की सूची )

जिला भरतपुर, तहसील बयाना के अन्तर्गत गांव महमदपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते को भूमि का वितरण ।

| ख० नं० | रकबा/बीघा/बिस्वा | | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|
| १०१ | — | ८ | मं०मु० गड्ढा |
| ३७५ | — | ६ | ,, ,, |
| ३७५।१ | — | ४ | ,, ,, |
| ३८५।२ | — | १० | ,, ,, |
| ४५५ | — | १४ | गैर मुमकिन नहर |
| ६५६ | १ | १२ | ,, ,, |
| ६७३ | ३ | १६ | ,, ,, |
| १०५६ | १४ | १८ | ,, ,, |
| १०६५ मि० | १३ | — | ,, ,, |
| ११३६ | ३ | १६ | ,, ,, |
| १२५६ | २ | १० | ,, ,, |
| १२७४ | ३ | १० | ,, ,, |
| १४११ | १४ | १३ | ,, ,, |
| १४२३ | १ | ५ | ,, ,, |
| १५५७ | ५ | ६ | बाही। मं० म० आबादी ११ वि० है। १८ |
| १५४२ | २ | १३ | कदीम |
| १५३५ | ४ | १ | मं०मु० गोदाम पत्थर |
| १५३६ | ३ | १० | ,, |
| १५४० | ३ | १८ | ,, |
| १५४६ | १ | — | ,, |
| १५५० | १ | ४ | ,, |
| १५५१ | ३ | २ | ,, |
| १५५२ | १ | ५ | ,, |
| १५५३ | १ | — | ,, |
| १५५४ | १ | १३ | ;, |
| १५५५ | १२ | २ | ,, सड़क कच्ची |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५५६ | ५३ | २ | ,, गोदाम |
| १५५६ | ११ | १० | ,, |
| १६६१ | ५ | ११ | ,, नहर |
| १७०२ | ४ | ६ | ,, |
| १७०६ | — | १४ | मैं० मु० नहर |
| १७६६ | २ | १३ | ,, |
| १७६८ | — | ७ | ,, |
| १७७० | २ | १४ | ,, |
| १८०४ | १ | — | ,, डाक बंगला |
| १८०५ | १ | ७ | ,, |
| १८०८।१ | ४ | ३ | ग्रे० मु० नहर |
| १८१३ | १ | ५ | ,, |
| १८१४ | ६ | १० | ,, |
| १८३० | ६ | १२ | ,, |
| १८४५ | ७ | ८ | ,, |
| १८४७ | १ | ४ | ,, |
| योग | २१५ | ८ | |

# परिशिष्ट ६

( अ. प्र. सं. ५४६ की सूची )

## परिशिष्ट १

इस साक्षात्कार में कुल ५८ प्रत्याशी उपस्थित हुए जिनकी योग्यता निम्न प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| १. | पी० यू० सी० | ३ |
| २. | मैट्रिक | २२ |
| ३. | हायर सैकण्डरी | २५ |
| ४. | बी० ए० | २ |
| ५. | थर्डईयर टी० डी० सी० | १ |
| ६. | फस्टईयर टी० डी० सी० | १ |
| ७. | बी० एस० टी० सी० | १ |
| ८. | इण्टर | २ |
| ९. | फस्ट पार्ट बी० कॉम | १ |
| | कुल योग | ५८ |

## परिशिष्ट २

| क्र० सं० | नाम मय पता | योग्यता | स्थान |
|---|---|---|---|
| १. | श्री श्याम प्रकाश माथुर, निल० सवाई माधोपुर | मैट्रिक | कनिष्ठ लिपिक, तहसील, सवाई माधोपुर । |
| २. | श्री राजेन्द्रकुमार श्री वास्तव, पुत्र शम्भुदयाल निवासी—कमनरी—यू० पी० | ,, | कनिष्ठ लिपिक, तहसील, बामनवास |
| ३. | श्री श्रीराम कुलश्रेष्ठ, पुत्र मुन्शीलाल कुलश्रेष्ठ, निवासी–ग्राम गिरारा-यू० पी० | ,, | कनिष्ठ लिपिक, तहसील, खण्डार । |
| ४. | श्री रामदास बैरवा, निवासी—ग्रालनपुर | ,, | कनिष्ठ लिपिक, तहसील, बामनवास |

## परिशिष्ट ३

इस साक्षात्कार में कुल ५८ प्रत्याशी उपस्थित हुए जिनकी योग्यता निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| १. | पी० यू० सी० | ३ |
| २. | मैट्रिक | २२ |
| ३. | हायर सैकण्डरी | २५ |
| ४. | बी० ए० | २ |
| ५. | थर्डईयर टी० डी० सी० | १ |
| ६. | फस्टईयर टी० डी० सी० | १ |
| ७. | बी० एस० टी० सी० | १ |
| ८. | इण्टर | २ |
| ९. | फस्ट पार्ट बी० कॉम | १ |
| | कुल योग | ५८ |

# परिशिष्ट ८

**कमेटी में प्रत्याशियों को सिफारिश नियुक्त करने हेतु निम्न प्रकार प्रस्तुत की**

| क्र० सं० | सूची का क्रमांक | नाम | प्राप्तांक | योग्यता |
|---|---|---|---|---|
| १. | २१ | श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र शम्भुदयाल श्रीवास्तव | ५४ | हायर सैकण्डरी श्रेणी तृतीय |
| २. | २७ | श्री रामदास बैरवा पुत्र गोपीराम बैरवा | ४७ | ,, ,, |
| ३. | ३२ | श्री पुष्पानन्द शर्मा पुत्र बलभई शर्मा | ४६ | बी० ए० तृतीय श्रेणी |
| ४. | ४० | श्री श्रीराम कुलश्रेष्ठ पुत्र मुन्सीलाल | ४५ | हाई स्कूल श्रेणी तृतीय |
| ५. | २९ | श्री शम्भुदयाल शर्मा पुत्र किशोरीलाल शर्मा | ४४ | फस्ट ईयर टी० डी० सी० |
| ६. | ५९ | श्री रामसिंह मीना पुत्र मोहरपाल मीना | ४३ | सैकण्डरी श्रेणी तृतीय |
| ७. | ५३ | श्री राजेन्द्रकुमार हरित पुत्र श्री भागीरथ मल शर्मा | ४२ | बी० ए० श्रेणी तृतीय |

# परिशिष्ट ८

**इन चयनित प्रत्याशियों में से निम्न प्रकार नियुक्ति आदेश दिये गये :—**

| क्र० सं० | नाम | नियुक्ति आदेश संख्या व दिनांक |
|---|---|---|
| १. | श्री राजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव पुत्र शम्भुदयाल नि० कमनरी (यू०पी०) | नियुक्ति आदेश सं० ५११७-२५। स्थापना ६८ दिनांक ३१-१२-६८। |
| २. | श्री श्रीराम कुलश्रेष्ठ पुत्र मुन्सीलाल कुलश्रेष्ठ नि० गिरारा (यू०पी०) | ,, ,, |
| ३, | श्री रामसिंह मीना पुत्र श्री मोहरपाल | आदेश सं० २७६-८१। स्थापन। ६६ दिनांक १८-१-६६। |
| ४. | श्री राजेन्द्रकुमार हरित पुत्र श्री भागीरथमल शर्मा | आदेश सं० ४२०-२५। स्थापन। ६६ दिनांक २६-१-६६। |
| ५. | श्री रामदास बैरवा पुत्र श्री गोपीराम बैरवा नि० आलनपुर | नियुक्ति आदेश सं० ५११७-२५। स्थापन। ६८ दिनांक ३१-१२-६८। |

# परिशिष्ट ७

( अ. प्र. सं. ५५० की सूची )

**Statement Showing the Districtwise No. of Villages Electrified As On 31. 3. 69.**

| S. No. | Name of the Distt | Number of villages electrified as on 31-3-69 |
|---|---|---|
| 1. | Ajmer | 106 |
| 2. | Alwar | 155 |
| 3. | Banswara | 32 |
| 4. | Barmer | 27 |
| 5. | Bharatpur | 75 |
| 6. | Bhilwara | 77 |
| 7. | Bikaner | 61 |
| 8. | Bundi | 34 |
| 9. | Chittorgarh. | 91 |
| 10. | Churu. | 104 |
| 11. | Dungarpur | 32 |
| 12. | Jaipur. | 354 |
| 13. | Jaisalmer | 3 |
| 14. | Jhunjhunu | 127 |
| 15. | Jalore | 45 |
| 16. | Jhalawar | 118 |
| 17. | Jodhpur. | 76 |
| 18. | Kota. | 89 |
| 19. | Nagour | 99 |
| 20. | Pali. | 91 |
| 21. | Swai Madhopur | 66 |

# Page No 167



| | | |
|---|---|---|
| 22. | Sikar | 89 |
| 23. | Sirohi. | 38 |
| 24. | Sri Ganganagar | 98 |
| 25. | Tonk. | 46 |
| 26. | Udaipur. | 105 |
| | Totals | 2230 |

# परिशिष्ट ८

( प्र. प्र. सं. ५५६ की सूची )

**कार्यालय संचालक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर ।**

क्रमांक एफ २।प्रा.न०।१५३। दिनांक ७।१०।६०

**कार्यालय आदेश**

श्री पन्नालाल वैद्य इन्चार्ज राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय झुन्झुनू को वैद्य :अ: श्रेणी पद पर औषधालय झुन्झुनू में ११० रुपये मासिक वेतन अलावा नियमित महंगाई भत्ते पर ११०।५।१३५।द:अ।१०।२२५ की वेतन शृंखला में कार्यवाहक वैद्य :बी: श्रेणी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दिनांक आदेश से दूसरे आदेश के लिये दी जाती है ।

एस० डी०
वैद्य प्रेमशंकर
संचालक

क्रमांक एफ २।प्रा.न.। दिनांक

प्रतिलिपि :

१. निरीक्षक महोदय आयुर्वेद विभाग अलवर ।
२. श्री मन्नालाल वैद्य झुन्झुनू ।
३. इस कार्यालय की सामान्य शाखा । अवकाश शाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक

# शुद्धि—पत्र

( शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रैल, १९७० )

| स्तम्भ संख्या | | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| १ | | २ | ३ | ४ |
| २ | | ६ | सहने | सेणा |
| ५ | अन्तिम से | १२ | स्यार्थी | स्वार्थी |
| ६ | ,, | २ | श्री नाथूलाल करोल | — |
| ६ | ,, | १६ | ५–५ ३–३ २–२ और ८–८ | ५–५, ३–३ २–२ और ८–८ |
| १३ | | ४ | थापरा | थावरा |
| १४ | | ७ | अतःएव | अतएव |
| १५ | | ४ | अवेन्डमेन्ट | अबेटमेन्ट |
| १६ | | ३ | अवेन्डमेन्ट | अबेटमेन्ट |
| १७ | | ११ | हीं | नहीं |
| १७ | | १५ | मनसिह | मदनसिंह |
| १९ | | ४ व १० | अयक्ष | अध्यक्ष |
| १९ | अन्तिम से | २ | माह् | ३ माह् |
| २४ | | १६ | न | नम्बर |
| २७ | अन्तिम से | १ व २ | स्पेसिफिकेशन | स्पेसिफिकली |
| २९ | | १३ | डिस्ट्रारिट | डिस्टोर्ट |
| ३१ | | १० | स्वगीय | स्वर्गीय |
| ३३ | | ५ | टटे | टंटे |
| ३९ | अन्तिम से | १ | भमि | भूमि |
| ४० | | ११ | सरकर | सरकार |
| ४३ | अन्तिम से | ८ | सरकारी | सहकारी |
| ४९ | ,, | १ | के | — |
| ५६ | | १२ | अपके | आपके |
| ६५ | | ६ | प्रतिबन | प्रतिबन्ध |

| १ | | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| ७३ | | १३ | सृविधायें | सुविधायें |
| ७६ | अन्तिम से | १ | स्क्षगित | स्थगित |
| ७९ | | ८ | जो | — |
| ८१ | | १ | क्रम | — |
| ८६ | | ६ | प्रतिष्ठापित | प्रतिष्थापित |
| ८८ | अन्तिम से | १५ | ट्रक्टर | ट्रेक्टर |
| ९४ | | १४ | वंघ | वैद्य |
| ९५ | | २ | । संशोधन । | — |
| ९९ | | ४ | तथा | — |
| १०१ | | ४ | स्थान | स्थगन |
| १०२ | | १० | पर बांधने | पर बांध बांधने |
| १०३ | अन्तिम से | १५ | — | यह मामला |
| १०३ | ,, | ७ | जि में कस्बा | जिसमें कस्बा |
| १०३ | ,, | ६ | पनी | पानी |
| १०५ | | १३ | प्रकाशन | प्रकाशित |
| १०६ | | ७ | (क्लाज | क्लाज |
| १०७ | | १ | व्यक्तिक | वैयक्तिक |
| १०९ | | २ | of | or |
| १०९ | | ३ | debauld | default |
| ११२ | | १४ | व | में |
| ११३ | | १३ | व्शवस्था | व्यवस्था |
| ११४ | | ११ | अश्तर्गत | अन्तर्गत |
| ११४ | अन्तिम से | ९ | ग्राक | ग्राफ |
| ११५ | ,, | ३ | प्पील | प्लीज़ |
| १२१ | | ४ | अध्बयन | अध्ययन |
| १२१ | अन्तिम से | ९ | सम्गान्ध | सम्बन्ध |
| १२८ | | ८ | ×+× | ........ |
| १२८ | | ९ | ह | हैं |
| १३१ | अन्तिम से | १ | ध्यग्रक्ष | अध्यक्ष |
| १३४ | | १४ | कहा | कहां |
| १४६ | अन्तिम से | १ | लागों | लोगों |
| १६० | | १२ | शे | के |
| १६२ | अन्तिम से | ३ | मुसलनानों | मुसलमानों |

| १ | | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| १६३ | | २ | राष्ट्रदोही | राष्ट्रद्रोही |
| १६३ | अन्तिम से | १५ | जयचन्द | — |
| १६३ | ,, | ७ | सालन्त | सामन्त |
| १६८ | | ७ | राम्राज्यवादियों | साम्राज्यवादियों |
| १७१ | अन्तिम से | ३ | निया | दिया |
| १७६ | ,, | १५ | सुलताम | सुलतान |
| १७६ | ,, | १५ | समाजवद | समाजवाद |
| १८२ | | १२ | (२१८ म. प.) | (२.१८ म.प.) |
| १८७ | | ३ | कम्यूनिष्ट | कम्यूनिस्ट |
| १६० | | ५ | वला | वाला |
| २०० | | ६ | समक्षता | समझता |
| २२७ | अन्तिम से | ३ | कहीं | नहीं |
| २२८ | | ५ | सें | मैं |
| २२६ | | ८ | एसी | ऐसी |
| २३२ | | १५ | बड़ | बढ़ |
| २३३ | | १ | एक | — |
| २३६ | | ६ | श्रौर | और |
| २३६ | अन्तिम से | ६ | । | — |
| २३८ | | ७ | हेते | होते |
| २४० | | ७ | सम्प्रदाय | साम्प्रदाय |
| २४१ | अन्तिम से | १२ | गल | गाल |
| २५० | | १२ | मा | मी |
| २५० | | १५ | में | मैं |
| २५१ | अन्तिम से | ६ | क्सि | किस |
| २५२ | ,, | १२ | क | के |
| २५६ | | ७ | टेरीटोयियल | टेरीटोरियल |
| २५६ | अन्तिम से | ८ से १४ | श्री नथमल चोहल : मेरा नाम लेते हुए जिक्र किया है, समापति महोदय, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।<br>श्री मदनसिंह : कांग्रेस दल के ही एक सदस्य ने | |

| १ | | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| | | | एक हिन्दू पर आरोप लगाया । कांग्रेस में रहते हुए भी आज एक कांग्रेसी की दूसरे कांग्रेसी के प्रति ये विचार हैं । | |
| २६० | | १३ | घंश्यामदास | धनश्यामदास |
| २६० | अन्तिम से | ८ | कबजा | कब्जा |
| २६१ | | शीर्ष | — | (श्री वृद्धिचन्द्र जैन) |
| २६२ | | १६ | नागरिक है | नागरिक नहीं है |
| २६६ | | शीर्षक | अप्रल | अप्रेल |
| २७१ | अन्तिम से | १३ | एण्च | एण्ड |
| २७२ | ,, | १४ | कोन | कौन |
| २७४ | ,, | १४ | नहीं | — |
| २७४ | | २ | दिया | — |
| २८४ | | १३ | १६६६ | १६६६- |
| २८४ | अन्तिम से | ७ | राशी | राशि |
| २८६ | ,, | ६ | रिकाड | रिकार्ड |
| २६४ | | १ | कारण सभा | कारण विधान सभा |
| २६४ | अन्तिम से | ६ | Committec | Committee |
| २६५ | | ३ | ह | हो |
| २६५ | | ४ | किम | किस |
| २६६ | | १८ | मण्ड | मण्डल |
| २६७ | | १३ | दज | दर्ज |
| २६७ | | १४ | ग्रोर | ग्रोर |
| २६७ | अन्तिम से | ४ | रामकिन | रामकिशन |